FOR REFERENCE ONLY

सांख्यिकी संकलन

शालेय शिक्षा

मध्य प्रदेश

NIEPA DC
D00328
-543
370.212
MAD-S

लोक शिक्षण संचालनालय
भोपाल
१९७६

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,SriAurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No......328.....
Date.......30/7/82.........

प्राक्कथन

विकासोन्मुख आयोजन में अनुसंधान, मूल्यांकन तथा प्रबोधन (आर. ई. एम.) के महत्व को कभी भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही यह भी सच है कि सांख्यिकी के अभाव में अनुसंधान, मूल्यांकन एवं प्रबोधन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अनुसंधान योजना के विकास में, मूल्यांकन योजना की प्रगति में तथा प्रबोधन योजना के क्रियान्वयन में सहायक होते हैं। चूंकि हम इन तीनों ही पक्षों में रुचि रखते हैं, हमारे लिये सांख्यिकी का महत्व और भी बढ़ जाता है। सांख्यिकी अनुसंधानकर्ता के लिये जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही वह एक प्रशासक एवं एक नीति निर्धारक के लिये भी है।

2. ऐसा होने पर भी सांख्यिकी तभी अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकेगी जबकि उसे अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाय। शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी जानकारी का अपार भंडार है। अतः हमारे लिये अधिक महत्वपूर्ण जानकारी का उचित संचयन तथा संकलन आवश्यक हो गया है। इस पुस्तक में हमने यही करने का प्रयास किया है। इस अभिरूप को अधिक युक्तियुक्त बनाने की दृष्टि से इसे और अधिक परिष्कृत किया गया है। विशेष महत्व की बात यह है कि हमने अपनी प्रस्तुतीकरण की शैली को अधिक से अधिक यथार्थ-निष्ठ बनाने का प्रयास किया है।

3. राज्य में शालेय शिक्षा पर किया जानेवाला 79.31 करोड़ रुपये का व्यय राज्य के सम्पूर्ण आय-व्ययक (बजट) का 23.21 प्रतिशत है तथा राज्य के सम्पूर्ण कर्मचारियों में से लगभग 35 प्रतिशत कर्मचारी शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। यदि अन्य तथ्यों को ध्यान में न भी रखा जाय तो केवल यही दो तथ्य विकासोन्मुख प्रयास में शैक्षिक पक्ष की प्रधानता को निश्चित करने के लिये पर्याप्त है। इसका पूर्व संस्करण 10-4-1976 को प्रकाशित कर दिया गया था जिसमें 31-3-1974 तक की स्थिति दर्शाई गई थी। इस संस्करण में हमने आंकड़ों को पुनरीक्षित कर 31-3-1975 तक की स्थिति प्रस्तुत कर दी है।

4. हम आशा करते हैं, कि यह प्रकाशन हमारे क्रिया-कलापों के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अवश्य ही सही दिशा में सोचने की प्रेरणा देगा तथा उत्तम शैक्षिक सुविधायें प्रदान करने हेतु रुचि उत्पन्न कर उन्हें पूर्ण करने के लिये कृत-संकल्प रखेगा।

(एस. सत्यम)
संचालक लोक शिक्षण,
मध्यप्रदेश

भोपाल,
जनवरी, 1977

अध्यांय 2 बी. एड. प्रशिक्षण .. .. ..

अध्याय 3 बुनियादी प्रशिक्षण .. .. ..

अध्याय 4 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम .. .. ..

खण्ड 4 विविध

अध्याय 1 छात्रवृत्ति एवं शिष्य वृत्ति .. .. ..

अध्याय 2 अनुदान .. .. ..

अध्याय 3 पुस्तकालय .. .. ..

अध्याय 4 शारीरिक शिक्षा .. .. ..

अध्याय 5 राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान .. .. ..

अध्याय 6 राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान .. .. ..

अध्याय 7 शासकीय जीवाजी वेधशाला, उज्जैन .. .. ..

अध्याय 8 शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् .. ..

खण्ड 5 बीस सूत्रीय कार्यक्रम

अध्याय 1 बीस सूत्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा .. .. ..

अध्याय 2 बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन .. .. ..

खण्ड 6 शिक्षा प्रशासन

अध्याय 1 शिक्षा प्रशासन .. .. ..

अध्याय 2 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या तथा उनके वेतनमान ..

चार्टस् एवं मानचित्र

क्रमांक विवरण

1. मध्यप्रदेश का मानचित्र–संस्थाएं
2. साक्षरता का प्रतिशत–तुलनात्मक चार्ट
3 शिक्षा पर व्यय
4. प्रबन्धानुसार शालाएं
5. शालाओं की संख्या में प्रगति
6. छात्र संख्या में प्रगति
7. अन्तरण गति
8. शिक्षक संख्या की प्रगति
9 प्रबन्धानुसार कन्या शालाएं
10. आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शालाएं
11. मध्यप्रदेश का मानचित्र–(आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शालाएं)
12. शिक्षा प्रशासन

भाग–1

आधार भूत जानकारी

अध्याय–1

सामान्य जानकारी

1.	राज्य का क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में)		4,42,841
2.	राजस्व सम्भाग	..	10
3.	जिले	..	45
4.	तहसील	..	190
5.	नगर	..	232
6.	विकास खण्ड	..	457
7.	गांवों की कुल संख्या	..	77,090
8.	जनसंख्या (वर्ष 1971) के अनुसार–		
	कुल जनसंख्या	..	4,16,54,119
	पुरुष	..	2,14,55,334
	महिलाएं	..	2,01,98,785
	कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत	..	51.5
	कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत	..	48.5
	ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या	..	3,48,69,352
	शहरी क्षेत्र की जनसंख्या	..	67,84,767
	कुल जनसंख्या में ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या का प्रतिशत	..	83.7
	कुल जनसंख्या में शहरी क्षेत्र की जनसंख्या का प्रतिशत	..	16.3
	अनुसूचित जाति की जनसंख्या	..	54,53,690
	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	..	83,87,403
	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत	..	13.1
	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत	..	20.1
9.	महिलाएं प्रति 1000 पुरुष	..	941
10.	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग किलो मीटर)	..	94
11.	जनसंख्या वृद्धि की दर (1961–71) प्रतिशत में—		
	कुल	..	28.67
	ग्रामीण	..	25.68
	नगरीय	..	46.63
12.	राज्य का कुल राजस्व (पयों में)	..	3,91,32,81,000
13.	राज्य के कुल व्यय (रुपयों में)	..	3,83,68,64,000

14. आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या (1971)

आयु वर्ग	जनसंख्या (1971) हजारों में		
	शहरी	ग्रामीण	योग
0–14	2,849	15,354	18,203
15–19	630	2,590	3,220
20–24	614	2,481	3,095
25–29	533	2,570	8,103
30–39	875	4,473	5,348
40–49	589	3,190	3,779
50–59	354	2,140	2,494
60+	341	2,071	2,412
योग ..	6,785	34,869	41,654

15. विभिन्न भाषा भाषियों की जनसंख्या (1971)

भाषा	भाषा भाषियों की संख्या
आसामी	534
बंगाली	2,34,354
गुजराती	1,46,424
हिन्दी	3 46,98,020
कन्नड	6,702
काशमीरी	582
मलयालम	46,465
मराठी	10,36,193
उड़िया	4,83,558
पंजाबी	1,48,217
संस्कृत	91
सिन्धी	2.42,275
तामिल	28,765
तेलगू	1,03,743
उर्दू	10,01,064
अन्य	34,77,132
	4,16,54,119

16. विभिन्न धर्मावलंबियों के अनुसार जनसंख्या (1971)

धर्म	धर्मावलंबियों की संख्या (हजारों में)	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
बुद्ध	82	0.20
ईसाई	286	0.69
हिन्दू	39,024	93.68
इस्लाम	1,819	4.36
जैन	345	0.83
सिक्ख	99	0.24
अन्य धर्म	2	..
योग	41,654	100.00

17. विभिन्न कार्यों में संलग्न व्यक्तियों की जनसंख्या (1971)

	कार्य का प्रकार	पुरुष	महिला	योग
1.	कृषक	65,37,112	15,47,631	80,84,743
2.	कृषक मजदूर	22,28,064	18,34,274	40,62,338
3.	पशुपालक, वन, मछली, शिकार, बागान और संबंधित व्यवसाय	2,35,215	23,476	2,58,691
4.	खनिकर्म	83,275	14,381	97,656
5.	(अ) निर्माण, प्रोसेसिंग, सर्विसिंग तथा मरम्मत (गृह उद्योग संबंधी)	4,19,802	1,37,060	5,56,862
	(ब) गृह उद्योगों से भिन्न व्यवसाय	4,32,744	32,357	4 65,101
6.	कन्सट्रक्शन	1,06,341	14,197	1,20.538
7.	व्यापार एवं वाणिज्य	4,58,014	32,148	4,90,162
8.	यातायात, भंडारन एवं संचार	2,01,329	4,978	2,06,307
9.	अन्य कार्यों में संलग्न	8,27,196	1,26,069	9,53,265
10.	व्यक्ति जो कार्यरत नहीं हैं	99,26,242	1,64,32,214	2 63,58 456
	योग	2,14,55,334	2,01,98,785	4,16,54,119

अध्याय—2

शैक्षिक जानकारी

1. **साक्षरता प्रतिशत (भारत)—**

योग	29.45
पुरुष	39.45
महिलाएं	18.70

2. **साक्षरता प्रतिशत (मध्यप्रदेश)—**

योग	22.12
पुरुष	32.76
महिलाएं	10.84
ग्रामीण	16.81
नगरीय	49.55

3. **साक्षरता प्रतिशत (भारत) राज्यवार—**

क्रमांक	राज्य	1961			1971		
		योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्रप्रदेश	21.2	30.2	12.0	24.7	33.2	15.8
2	आसाम	27.4	37.3	16.0	28.1	36.7	18.6
3	बिहार	18.4	29.8	6.9	19.9	30.6	8.7
4	गुजरात	30.5	41.1	19.1	35.8	46.1	24.7
5	हरियाणा	..	..	..	26.9	37.3	14.9
6	हिमाचल प्रदेश	17.1	27.2	6.2	31.9	43.2	20.2
7	जम्मूकश्मीर	11.0	17.0	4.3	18.6	26.7	9.3
8	केरल	46.8	55.0	38.9	60.4	66.6	54.3
9	मध्यप्रदेश	17.1	27.0	6.7	22.1	32.7	10.9
10	महाराष्ट्र	29.8	42.0	16.8	39.2	51.0	26.4
11	मनीपुर	30.4	45.1	15.9	32.9	46.0	19.5
12	मेघालय	..	..	..	29.5	34.1	24.6
13	कर्नाटक	25.4	36.1	14.2	31.5	41.6	20.9
14	नागालैंड	17.9	24.0	11.3	27.4	35.0	18.6
15	उड़ीसा	21.7	54.7	8.6	26.2	38.3	13.9
16	पंजाब	24.2	33.0	14.1	33.7	40.4	25.9
17	राजस्थान	15.2	23.7	5.8	19.1	28.7	8.5
18	त्रिपुरा	20.2	29.6	10.2	30.9	40.2	21.2
19	तामिलनाडू	31.4	44.5	18.2	39.5	51.8	26.9
20	उत्तरप्रदेश	17.6	27.3	7.0	21.7	31.5	10.5
21	पश्चिमी बंगाल	29.3	40.1	17.0	33.2	42.8	22.4
22	सिक्किम	..	..	..	..	..	..
	भारत ..	24.0	34.4	12.9	29.4	39.4	18.7

पुरुष
भारत की तुलना में मध्यप्रदेश में
साक्षरता का प्रतिशत
महिला
१९६१
प्रतिशत
१९७१
४०
३०
२०
१०
०
मध्यप्रदेश
भारत
मध्यप्रदेश
भारत
भारत
मध्यप्रदेश
भारत
मध्यप्रदेश

4. साक्षरता प्रतिशत (मध्यप्रदेश) जिलेवार

क्रमांक	जिला	1961			1971		
		योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भोपाल ..	..	..	..	..	..	..
2	सीहोर ..	21.5	30.3	11.3	29.7	38.9	18.9
3	रायसेन ..	13.4	21.4	4.5	18.2	27.6	7.9
4	विदिशा ..	13.5	21.2	4.9	18.5	27.5	8.4
5	राजगढ़ ..	9.1	16.4	3.0	14.6	23.1	5.4
6	होशंगाबाद ..	22.9	34 8	10.1	29.6	41.8	16.1
7	खण्डवा ..	24.5	36.6	11.7	27.9	39.3	15.6
8	बैतूल ..	16.6	27.0	6.1	22.4	33.5	11.2
9	छिंदवाड़ा ..	16.3	25.9	6.5	22.0	31.8	11.9
10	नरसिंहपुर ..	21.6	32.6	10.0	28.8	39.4	17.2
11	सिवनी ..	17.1	27.3	6.9	21.3	31.6	10.9
12	जबलपुर ..	28.6	41.0	15.0	34.2	46.0	21.3
13	मण्डला ..	14.2	23.4	5.0	18.3	28.8	7.9
14	बालाघाट ..	20.6	34.3	7.2	25.2	37.9	12.4
15	सागर ..	20.5	30.5	9.6	27.9	38.8	15.7
16	दमोह ..	18.5	28.9	7.6	23.6	34.5	12.0
17	छतरपुर ..	11.2	18.1	3.5	15.1	22.4	6.6
18	पन्ना ..	10.9	18.1	3.2	14.7	23.1	5.6
19	टीकमगढ़ ..	9.7	15.9	2.8	14.0	21.5	5.5
20	रायपुर ..	18.5	31.0	6.5	23.8	36.7	10.9
21	दुर्ग ..	17.9	29.3	6.3	24.7	37.0	12.3
22	बस्तर ..	7.0	11.7	2.2	9.6	15.2	4.1
23	राजनांदगांव ..	..	..	..	..	..	..
24	बिलासपुर ..	18.2	30.5	6.2	22.9	35.9	9.9
25	सरगुजा ..	9.2	15.4	2.6	12.8	20.4	4.9
26	रायगढ़ ..	14.9	24.9	5.0	20.1	31.2	9.1
27	उज्जैन ..	23.4	34.8	11.1	28.5	40.0	15.9
28	मन्दसौर ..	22.4	35.7	8.2	27.5	41.8	11.9
29	रतलाम ..	21.4	31.9	10.3	25.5	35.8	14.5
30	शाजापुर ..	14.1	23.3	4.4	18.9	30.2	6.8

1	2		3	4	5	6	7	8
31	ग्वालियर	..	27.9	39.0	14.9	83.9	45.2	20.4
32	भिन्ड	..	17.4	27.8	5.1	23.5	35.1	9.6
33	मुरैना	..	14.9	23.7	4.4	19.5	30.0	7.1
34	शिवपुरी	..	11.6	19.0	3.2	16.9	26.4	5.8
35	गुना	.	13.8	22.0	4.7	17.7	26.9	7.3
36	दतिया	..	14.9	24.4	4.3	21.3	33.0	8.1
37	इन्दौर	..	38.2	50.6	24.3	43.5	54.7	30.8
38	देवास	..	17.3	28.2	5.7	21.6	33.6	8.7
39	धार	..	13.5	21.4	5.2	16.6	25.3	7.7
40	खरगोन	..	15.3	24.5	5.8	18.7	27.9	8.9
41	झाबुआ	..	6.1	9.1	2.9	8.2	11.7	4.6
42	रीवा	..	14.9	26.0	3.6	19.3	31.1	7.1
43	सतना	..	16.6	26.3	4.5	20.8	32.3	8.6
44	सीधी	..	7.8	14.2	1.2	10.9	18.3	3.2
45	शहडोल	..	10.3	17.4	2.9	14.6	23.0	5.8
		योग ..	17.1	27.0	6.7	22.1	32.7	10.9

5. उच्च शिक्षा संस्थाओं की सांख्यिकी वर्ष 1974–75

(अ) 1. विश्वविद्यालय .. 10

2. माध्यमिक शिक्षा मंडल .. 1

3. तांत्रिक शिक्षा मंडल .. 1

कुल .. 12

(ब) प्रबन्धानुसार महाविद्यालयों की संख्या–

	शासकीय	अशासकीय	कुल
1. सामान्य शिक्षा	78	158	236
2. व्यावसायिक शिक्षा	52	80	132
3. अन्य शिक्षा	9	5	14
कुल ..	139	243	382

(स) पाठ्य क्रमानुसार महाविद्यालय--

	स्नातक	स्नातकोत्तर	कुल
1. सामान्य शिक्षा	138	98	236
2. व्यावसायिक शिक्षा	89	43	132
3. अन्य	5	9	14
कुल ..	232	150	382

(द) बालक/बालिकाओं के अनुसार महाविद्यालय—

	बालक	बालिकायें	सह-शिक्षा	कुल
1. सामान्य शिक्षा	..	35	201	236
2. व्यावसायिक शिक्षा	..	2	130	132
3. अन्य	..	..	14	14
कुल ..	..	37	345	382

6. अन्य उच्च शिक्षा संस्थाएं—

1. औद्योगिक	39
2. होमियोपेथिक	15
3. शिल्पकला मंदिर	23
4. ललित कला केन्द्र	7
5. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें	29
6. पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थायें	2
7. बुनियादी प्रशिक्षण संस्थायें	47
8. इन्जीनियरिंग	9
9. राज्य शिक्षा संस्थान	1
10. राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान	1
11. शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान	2
कुल ..	175

7. शालाएं–

क्रमांक	शाला का प्रकार	शालाओं की संख्या		
		बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5
1	उच्चतर माध्यमिक	1661	334	1995
2	माध्यमिक	7395	951	8346
3	प्राथमिक	45268	3338	48606
4	उपशाला	2447	2	2449
5	पूर्व प्राथमिक	151	243	394
	योग ...	56922	4868	61790

8. छात्र संख्या (शालावार)

क्रमांक	शाला का प्रकार	छात्र संख्या		
		बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5
1	उच्चतर माध्यमिक	454364	166533	620897
2	माध्यमिक	820518	287348	1107866
3	प्राथमिक	2383623	1133718	3517341
4	उपशाला	49372	23053	72425
5	पूर्व-प्राथमिक	13262	11207	24469
	योग ...	3721139	1621859	5342998

टिप्पणी.– अशासकीय शालाओं के छात्रों की संख्या इसमें सम्मिलित है ।

9 छात्र संख्या (स्तरवार)

क्रमांक	स्तर	स्तरवार छात्र संख्या		
		बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5
1.	पूर्व-प्राथमिक	23,011	18,266	41,277
2.	प्राथमिक	28,04,322	13,07,734	41,12,056
	कक्षा 1 से 5	(87.3)	(43.6)	(66.2)
3.	माध्यमिक	6,00,897	2,03,453	8,04,350
	कक्षा 6 से 8	(33.9)	(12.2)	(24.10)
4.	उच्चतर माध्यमिक	2,92,909	92,406	3,85,315
	कक्षा 9 से 11	(18.3)	(6.0)	(12.3)
	योग ..	37,21,139	16,21,859	53,42,998

टीप.–कोष्टक में दिये गये समंक छात्र संख्या के आयु समूह की जनसंख्या के प्रतिशत हैं ।

10. **शिक्षक–**

क्रमांक	शाला का प्रकार	शिक्षकों की संख्या		
		पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5
1.	उच्चतर माध्यमिक	24,462	6,392	30,854
2.	माध्यमिक	38,312	8,358	46,670
3.	प्राथमिक	85,897	17,139	1,03,036
4.	उपशाला	2,238	211	2,449
5.	पूर्व-प्राथमिक	22	690	712
	योग ..	1,50,931	32,790	1,83,721

11. **शालेय शिक्षा हेतु बजट प्रावधान** (74-75)

कुल	79,09,34,000
आयोजनेत्तर	70,61,52,000
आयोजना	8,47,82,000

12. **शालेय शिक्षा पर व्यय** (74-75)

कुल	79,31,18,815
आयोजनेत्तर	76,77,20,394
आयोजना	2,53,98,421

13. **बजट प्रावधान** (74-75)

राज्य का कुल राजस्व	3,91,32,81,000
राज्य के कुल राजस्व से होनेवाला व्यय	3,83,68,64,000
शिक्षा विभाग पर कुल व्यय	90,82,33,000
कुल राजस्व में शिक्षा के व्यय का प्रतिशत	23.21
कुल राजस्व में से राज्य व्यय पर शिक्षा व्यय का प्रतिशत	23.67
शालेय शिक्षा पर कुल व्यय	79,31,18,815
राज्य व्यय में से शालेय शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत	20.65

14. **प्रति विद्यार्थी औसत व्यय (रुपयों में)**

प्राथमिक	102
माध्यमिक	157
उच्चतर माध्यमिक	348

15. **क्षेत्रफल के अनुपात में उपलब्ध शालेय सुविधाएं (वर्ग किलो मीटर में)**

प्राथमिक	9
माध्यमिक	53
उच्चतर माध्यमिक	222

16. **जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध शालेय सुविधाएं--**

प्राथमिक	898
माध्यमिक	5,494
उच्चतर माध्यमिक	22,984

17. **शिक्षक विद्यार्थी अनुपात--**

प्राथमिक	34
माध्यमिक	24
उच्चतर माध्यमिक	20

18. **एक शाला खोलने पर व्यय (रुपयों में)--**

1–प्राथमिक शाला--

प्रथम वर्ष	1,800
द्वितीय तथा अनुगामी वर्ष	3,472

2–माध्यमिक शाला–

प्रथम वर्ष	3,964
द्वितीय वर्ष	6,316
तृतीय वर्ष	11,108
चतुर्थ तथा अनुगामी वर्ष	15,632

3–उच्चतर माध्यमिक शाला–

प्रथम वर्ष	17,228
द्वितीय वर्ष	53,648
तृतीय तथा अनुगामी वर्ष	66,140

मध्यप्रदेश में
शिक्षा पर व्यय

१९७४-७५

७१,३९,००,०००

आयोजनेत्तर

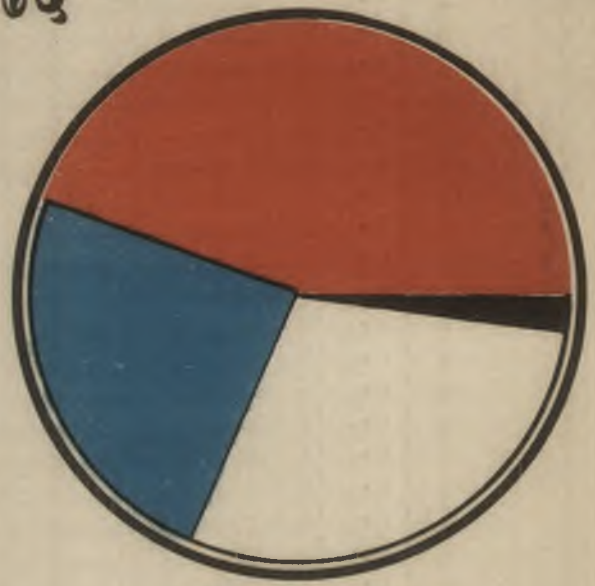

८,४७,००,०००

आयोजना

संकेत

- प्राथमिक
- माध्यमिक
- विशेष
- सामान्य

- विश्वविद्यालय
- क्रीड़ा एवं युवक कल्याण
- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
- कला एवं संस्कृति

.9. **शिक्षा संभाग तथा उनके जिले–**

मांक 1	शिक्षा संभाग का नाम 2	शैक्षिक जिलों के नाम 3
1.	भोपाल	भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा
2.	होशंगाबाद	होशंगाबाद, खण्डवा, बैतूल, सिवनी, छिन्दवाड़ा, नरसिंहपुर
3.	जबलपुर	जबलपुर, बालाघाट, मण्डला
4.	सागर	सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़
5.	रायपुर	रायपुर, महासमुन्द, जगदलपुर, कांकेर
6.	बिलासपुर	बिलासपुर, जांजगीर, धर्मजयगढ़, रायगढ़
7.	ग्वालियर	ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, दतिया
8.	इन्दौर	इन्दौर, देवास, धार, खरगोन, झाबुआ
9.	उज्जैन	उज्जैन, रतलाम, मन्दसौर, शाजापुर
0.	रीवा	रीवा, सतना, सीधी, शहडोल
1.	दुर्ग	दुर्ग, बालोद राजनांदगांव, कवर्धा
2.	सरगुजा	सरगुजा, रामानुजगंज, बैकुंठपुर, सूरजपुर

टीप.––क्रमांक 11 एवं 12 इन दो नवीन संभागों का निर्माण शिक्षा विभाग के क्रमांक एफ-4/34/75/ए-1/20 दिनांक 22-7-76 द्वारा स्वीकृत नवीन रचनाक्रमानुसार के अनुसार किया गया।

20.––**शिक्षा पर व्यय का विवरण** 1974–75 (रुपये हजारों में)

	मद 1	आयोजनेत्तर 2	आयोजना 3	योग 4
1.	प्राथमिक शिक्षा	4,49,904	16,971	4,66,875
2.	माध्यमिक शिक्षा	3,03,445	6,907	3,10,352
.	विज्ञान शिक्षा	664	3	667
4.	विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्च शिक्षा	4,5363	4,122	89,485
5.	तकनीकी शिक्षा	3,0767	1,887	32,654
6.	खेल कूद और युवक कल्याण	81,96	1,503	96,99
7.	सामान्य	7,855	683	8,538
8.	कला तथा संस्कृति	2,788	66	2,853
9	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम	2,28	..	228
	योग ..	8,89,210	32,142	9,21,352

भाग – 2

विस्तृत जानकारी

खण्ड – 1

सामान्य शिक्षा सुविधाएं

अध्याय–1

शिक्षा पर विनियोग

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	प्रत्यक्ष व्यय	उच्चत्तर माध्यमिक	माध्यमिक	प्राथमिक	पूर्व-प्राथमिक	उपशाला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	शिक्षण कार्य में संलग्न व्यक्तियों का वेतन	1710.01	1576.49	3437.24	17.68	24.36	6765.78
2	अन्य कर्मचारियों का वेतन	256.95	81.84	49.97	3.68	..	392.44
3.	उपकरण एवं अन्य सामग्री	66.83	30.10	54.43	0.99	0.26	152.61
4.	अन्य	126.87	56.82	60.44	2.09	.01	246.23
5.	योग	2160.66	1745.25	3602.08	24.44	24.63	7557.06
6.	शासकीय मद से व्यय की गई राशि जो क्रमांक 5 में सम्मिलित है	1786.94	1657.50	3481.83	14.85	24.63	6965.75

2. **मदों के अनुसार विनियोग** (1974–75)

(रुपये लाखों में)

मद	आयोजनेत्तर	आयोजना
1	2	3
1– अधिकारियों, कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ते	62,89,42,000	3,91,17,000
2– नैमित्तिक व्यय	1,93,39,000	4,05,52,600
3– अनुदान	4,33,88,000	9,09,400
4– छात्रवृत्ति	40,60,000	36,90,000
5– अन्य	1,04,23,000	5,13,000
योग ..	70,61,52,000	8,47,82,000

3. **एक शाला खोलने पर व्यय** (रुपयों में)—

(अ) प्राथमिक शाला प्रथम वर्ष—

1– एक सहायक शिक्षक (वेतनमान 169–300) का 8 माह का वेतन	..	1,200
2– अनावर्तक व्यय	..	500
3– आवर्तक व्यय	..	100
	योग ..	1,800

द्वितीय तथा अनुगामी वर्ष—

1– प्रथम वर्ष में दिए गए सहायक शिक्षक का 12 माह का वेतन	..	3,372
2– आवर्तक व्यय	..	100
	योग ..	3,472

(ब) माध्यमिक शाला प्रथम वर्ष—

1– एक शिक्षक (वेतनमान 246–460) का 8 माह का वेतन ..	..	3,264
2– अनावर्तक व्यय	..	500
3– आवर्तक व्यय	..	200
	योग ..	3,964

द्वितीय वर्ष —

1. प्रथम वर्ष में दिए गए शिक्षक का 12 माह का वेतन	..	5,016
2. एक सहायक शिक्षक (वेतनमान 169–300) का 8 माह का वेतन	..	1,200
3. आवर्तक व्यय	..	100
	योग ..	6,316

तृतीय वर्ष —

1. प्रथम वर्ष में दिए गए शिक्षक को 12 माह का वेतन	..	5,136
2. द्वितीय वर्ष में दिए गए सहायक शिक्षक को 12 माह का वेतन	..	3,372
3. दो सहायक शिक्षकों का 8 माह का वेतन ..	..	2,400
4. अनावर्तक व्यय	..	200
	योग ..	11,108

चतुर्थ तथा अनुगामी वर्ष —

1. तीन वर्षों में दिए गए कर्मचारियों का 12 माह का वेतन	..	15,432
2. आवर्तक व्यय	..	200
	योग ..	15,632

(स) **उच्चतर माध्यमिक शाला**

प्रथम वर्ष—

1. एक प्रधानाध्यापक (वेतनमान 350–600) का 8 माह का वेतन	.. ..	4,216
2. दो शिक्षकों का (वेतनमान 246–460) का 8 माह का वेतन	.. ..	6,528
3. एक निम्न श्रेणी लिपिक (वेतनमान) का 8 माह का वेतन	..	2,248
4. एक भृत्य (वेतनमान 125–150) का 8 माह का वेतन	..	1,736
5. अनावर्तक व्यय ..	..	2 000
6. आवर्तक व्यय ..	..	500
	योग ..	17,228

द्वितीय वर्ष—

1. प्रधानाध्यापक पद समाप्त होकर प्राचार्य पद (वेतनमान 425–900) का निर्माण तद्नुसार ८ माह का वेतन	..	4,912
2. प्रधानाध्यापक का 4 माह का वेतन ..	..	2,108
3. प्रथम वर्ष के लिए दो शिक्षकों का 12 माह का वेतन	..	9,792
4. प्रथम वर्ष के लिए भृत्य का 12 माह का वेतन ..	..	2,604
5. चार व्याख्याताओं (वेतनमान 350–600) का 8 माह का वेतन	..	16,864
6. एक शिक्षक (वेतनमान 246–460) का 8 माह का वेतन	..	3,264
7. एक उद्योग शिक्षक (वेतनमान 246–460) का 8 माह का वेतन	..	3,264
8. एक प्रयोग शाला सहायक (वेतनमान 169–300) का 8 माह का वेतन	..	2,248
9. एक उ. श्रे. लिपिक (वेतनमान 195–300) का 8 माह का वेतन	..	2,592
10. नैमित्तिक व्यय वेतन पानेवाले 3 कर्मचारियों का 8 माह का वेतन (125) रु. मासिक	..	3,000
11. अनावर्तक व्यय	..	2,500
12. आवर्तक व्यय	..	500
	योग ..	53,648

तृतीय तथा अनुगामी वर्ष—

1. प्रथम दो वर्ष में दिए गए कर्मचारियों का 12 माह का वेतन	..	65,640
2. आवर्तक व्यय	..	500
	योग ..	66,140

4. **प्रति छात्र औसत व्यय—**

(अ) **प्राथमिक शालाओं में—**

शिक्षकों का वेतन	.. ..	34,61,60,545
अन्य कर्मचारियों का वेतन	.. ..	49,96 792
उपकरण तथा अन्य प्रसाधन (आवर्तक)	..	54,68,556
अन्य मद	..	60,45,445
	योग ..	36,23,71,338
कुल छात्रों की संख्या	.. ..	35,89,766
प्रति छात्र औसत व्यय (रुपये)	.. ..	101.02

(ब) **माध्यमिक शालाओं में—**

शिक्षकों का वेतन	.. ..	15,76,48,693
अन्य कर्मचारियों का वेतन	.. ..	81,84,455
उपकरण तथा अन्य प्रसाधन (आवर्तक)	.. ..	30,10,307
अन्य मद		56,82,176
	योग ..	17,45,25,631
कुल छात्रों की संख्या	.. ..	11,07,866
प्रति छात्र औसत व्यय (रुपये)	.. ..	157.53

(स) **उच्चतर माध्यमिक शालाओं में—**

शिक्षकों का वेतन	.. ..	17,10,01,049
कर्मचारियों का वेतन	.. ..	2,56,94,762
उपकरण तथा अन्य प्रसाधन (आवर्तक)	.. ..	66,83,414
अन्य मद ..	.. ..	1,26,86,785
	योग ..	21,60,66,010
कुल छात्रों की संख्या	.. ..	6,20,897
प्रति छात्र औसत व्यय (रुपये)	.. ..	34.8

मध्यप्रदेश में

प्रबन्धानुसार शालाएं

वर्ष १९७४-७५

मध्यप्रदेश में

शालाओं की संख्या में प्रगति

१९५६-५७ से १९७४-७५

अध्याय—2

शालाएं

शालाओं की संख्या—प्रबन्धानुसार

क्रमांक	शाला का प्रकार	केन्द्रीय शासन	राज्य शासन	स्थानीय निकाय	अशासकीय		योग
					सहायता प्राप्त	सहायता अप्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उच्चतर माध्यमिक	24	1430	44	351	146	1995
2.	माध्यमिक	19	6592	1256	224	255	8346
३.	प्राथमिक	173	36146	10951	840	496	48606
4.	उप शालाएं	..	2449	..	..	..	2449
5.	पूर्व प्राथमिक	6	64	102	148	74	394
	योग ..	222	46681	12353	1563	971	61790

टीप :—माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक शाला स्थानीय निकाय में सम्मिलित हैं।

शालाओं की संख्या–जिलेवार

क्रमांक	जिले का नाम	उच्चतर माध्यमिक	माध्यमिक	प्राथमिक	उपशाला	पूर्व प्राथमिक	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भोपाल	41	113	468	..	..	622
2.	सीहोर	19	142	764	8	..	933
3.	रायसेन	24	159	982	82	2	1249
4.	विदिशा	21	122	840	3	6	992
5.	राजगढ़	21	107	699	69	1	897
6.	होशंगाबाद	55	160	926	64	11	1216
7.	खण्डवा	41	151	976	66	39	1273
8.	बैतूल	36	153	968	65	4	1226
9.	छिन्दवाड़ा	51	185	1232	133	38	1639
10.	नरसिंहपुर	41	123	556	56	15	791
11.	सिवनी	28	128	834	71	9	1070
12.	जबलपुर	119	299	1425	44	41	1928
13.	मंडला	37	193	1227	34	19	1510
14.	बालाघाट	35	168	1079	45	6	1333
15.	सागर	50	168	1094	175	15	1505
16.	दमोह	25	103	675	52	10	865
17.	छतरपुर	30	131	846	50	1	1058
18.	पन्ना	18	80	581	21	..	702
19.	टीकमगढ़	21	89	624	40	1	775
20.	रायपुर	116	482	3030	59	19	3706
21.	दुर्ग	71	307	1568	42	14	2002

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	बस्तर	45	291	2257	74	13	2680
23.	राजनांदगांव	30	176	1322	77	7	1612
24.	बिलासपुर	124	348	2870	100	18	3460
25.	सरगुजा	44	262	1992	52	13	2363
26.	रायगढ़	53	252	1693	133	5	2136
27.	ग्वालियर	61	233	1014	42	9	1359
28.	भिण्ड	50	277	799	48	1	1175
29.	मुरैना	54	217	1432	50	1	1754
30.	शिवपुरी	28	133	859	49	3	1072
31.	गुना	24	128	902	44	2	1100
32.	दतिया	13	62	341	24	2	442
33.	इन्दौर	73	306	707	47	8	1141
34.	देवास	25	120	640	58	6	849
35.	धार	38	182	861	3	6	1090
36.	खरगोन	52	264	1354	7	11	1688
37.	झाबुआ	30	111	788	1	4	934
38.	उज्जैन	48	162	796	20	15	1041
39.	रतलाम	31	143	667	12	5	858
40.	मन्दसौर	61	244	952	13	3	1273
41.	शाजापुर	29	127	707	44	6	913
42.	रीवा	65	247	1065	100	..	1477
43.	सतना	47	168	1001	71	1	1288
44.	सीधी	26	124	933	66	1	1150
45.	शहडोल	44	206	1260	135	3	1648
	योग ..	1995	8346	48606	2449	394	61790

उच्चतर माध्यमिक शालाओं की जिलेवार संख्या--प्रबन्धानुसार

क्रमांक	जिले का नाम	केन्द्रीय शासन	राज्य शासन				स्थानीय निकाय	अशासकीय		योग (कालम 8, 9 तथा 10)	महा-योग
			शिक्षा विभाग	आ. जा. कल्याण विभाग	अन्य	योग		सहायता प्राप्त	सहायता अप्राप्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	भोपाल	2	22	..	1	23	..	9	7	16	41
2.	सीहोर	..	19	..	..	19	..	..	..	..	19
3.	रायसेन	..	24	..	..	24	..	..	..	..	24
4.	विदिशा	..	18	.	..	18	..	3	..	3	21
5.	राजगढ़	..	21	..	..	21	.	..	..	..	21
6.	होशंगाबाद	2	41	1	..	42	..	9	2	11	55
7.	बैतूल	1	16	9	1	26	..	8	1	9	36
8.	खण्डवा	..	20	3	..	23	..	16	2	18	41
9.	छिन्दवाड़ा	..	24	8	..	32	3	14	2	19	51
10.	नरसिंहपुर	..	33	.	..	33	1	..	..	8	41
11.	सिवनी	..	25	2	..	27	..	1	..	1	28
12.	जबलपुर	4	49	..	..	49	7	51	8	66	119
13.	मण्डला	1	19	13	..	32	1	3	..	4	37
14.	बालाघाट	..	25	6	..	31	1	2	1	4	35
15.	सागर	1	31	..	..	31	6	10	2	18	50
16.	दमोह	..	19	..	..	19	1	4	1	6	25
17.	पन्ना	..	16	..	..	16	..	1	1	2	18
18.	छतरपुर	..	28	..	..	28	1	1	..	2	30
19.	टीकमगढ़	..	19	..	..	19	..	1	1	2	21
20.	रायपुर	2	64	6	..	70	9	32	3	44	116
21.	दुर्ग	1	44	3	..	47	1	9	13	23	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	बस्तर	4	5	31	..	36	1	2	2	5	45
23.	राजनांदगांव	..	22	5	..	27	2	1	..	3	30
24.	बिलासपुर	2	65	18	..	83	5	24	10	39	124
25.	सरगुजा	..	20	20	..	40	1	3	..	4	44
26.	रायगढ़	..	18	18	..	36	3	8	6	17	53
27.	ग्वालियर	1	28	..	..	28	..	28	4	32	61
28.	भिण्ड	..	27	..	..	27	..	13	10	23	50
29.	मुरैना	..	24	1	..	25	..	17	12	29	54
30.	शिवपुरी	..	19	..	..	19	..	8	1	9	28
31.	दतिया	..	13	..	..	13	..	..	..	..	13
32.	गुना	..	21	..	..	21	..	2	1	3	24
33.	इन्दौर	1	37	..	..	37	1	29	5	35	73
34.	देवास	..	21	1	..	22	..	3	..	3	25
35.	खरगोन	..	15	36	..	51	..	1	..	1	52
36.	धार	..	11	26	..	37	..	1	..	1	38
37.	झाबुआ	..	..	30	..	30	..	..	..	..	30
38.	उज्जैन	..	32	..	..	32	..	8	8	16	48
39.	रतलाम	1	16	4	..	20	..	5	5	10	31
40.	मान्दसौर	..	42	..	..	42	..	4	15	19	61
41.	शाजापुर	..	25	..	..	25	..	1	3	4	29
42.	रीवा	1	44	..	1	45	..	5	14	19	65
43.	सतना	..	39	..	..	39	..	6	2	8	47
44.	सीधी	..	26	..	..	26	..	..	..	..	26
45.	शहडोल	..	31	8	..	39	..	1	4	5	44
	योग ..	24	1178	249	3	1430	44	351	146	541	1995

माध्यमिक शालाओं की जिलेवार संख्या–प्रबन्धानुसार

क्रमांक	जिले का नाम	केन्द्रीय शासन	राज्य शासन				स्थानीय निकाय	अशासकीय		योग कालम (8, 9 तथा 10)	महायोग
			शिक्षा विभाग	आ. जा. कल्याण विभाग	अन्य	योग		सहायता प्राप्त	सहायता अप्राप्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	भोपाल	..	103	..	..	103	..	10	..	10	113
2.	सीहोर	..	142	..	..	142	..	..	..	..	142
3.	रायसेन	..	157	..	..	157	..	2	..	2	159
4.	विदिशा	..	117	..	..	117	..	5	..	5	122
5.	राजगढ़	..	107	..	..	107	..	..	..	..	107
6.	होशंगाबाद	1	100	4	..	104	51	3	1	55	160
7.	बैतूल	..	57	63	2	122	29	1	1	31	153
8.	खण्डवा	..	70	31	..	101	40	6	4	50	151
9.	छिन्दवाड़ा	..	84	61	..	145	35	5	..	40	185
10.	नरसिंहपुर	..	70	..	..	70	53	..	..	53	123
11.	सिवनी	..	70	12	..	82	46	..	..	46	128
12.	जबलपुर	2	167	..	..	167	102	26	2	130	299
13.	मण्डला	..	47	93	..	140	45	8	..	53	193
14.	बालाघाट	..	78	40	..	118	48	1	1	50	168
15.	सागर	1	117	..	..	117	42	4	4	50	168
16.	दमोह	..	62	..	..	62	39	2	..	41	103
17.	पन्ना	1	75	2	1	78	.	1	.	1	80
18.	छतरपुर	..	127	2	..	129	..	1	1	2	131
19.	टीकमगढ़	..	87	..	..	87	..	..	2	2	89
20.	रायपुर	2	183	19	..	202	269	8	1	278	482
21.	दुर्ग	..	143	18	..	161	136	1	9	146	307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	बस्तर	9	36	190	..	226	54	1	1	56	291
23.	राजनांदगांव	..	87	29	..	116	58	2	..	60	176
24.	बिलासपुर	1	107	102	..	209	130	6	2	138	348
25.	सरगुजा	..	120	91	1	212	36	5	10	51	263
26.	रायगढ़	..	64	116	..	180	42	12	18	72	252
27.	ग्वालियर	..	184	..	..	184	..	29	20	49	233
28.	भिण्ड	..	262	..	..	262	..	4	11	15	277
29.	मुरैना	..	187	9	..	196	..	9	12	21	217
30.	शिवपुरी	..	129	..	..	129	..	2	2	4	133
31.	दतिया	..	62	..	..	62	..	..	..	..	62
32.	गुना	..	122	..	..	122	..	5	1	6	128
33.	इन्दौर	..	248	1	1	250	..	26	30	56	306
34.	धार	..	49	127	..	176	..	4	2	6	182
35.	देवास	..	115	2	..	117	..	3	..	3	120
36.	खरगोन	..	67	194	..	261	..	3	..	3	264
37.	झाबुआ	..	..	107	..	107	..	3	1	4	111
38.	उज्जैन	..	150	..	..	150	..	4	8	12	162
39.	रतलाम	1	105	18	..	123	..	6	13	19	143
40.	मन्दसौर	..	180	2	..	182	1	7	54	62	244
41.	शाजापुर	..	121	2	..	123	..	..	4	4	127
42.	रीवा	..	224	..	..	224	..	5	17	22	246
43.	सतना	..	151	1	..	152	..	4	12	16	168
44.	सीधी	..	109	13	..	122	..	..	2	2	124
45.	शहडोल	1	138	58	.	196	..	..	9	9	206
	योग ..	19	5180	1407	5	6592	1256	224	255	1735	8346

प्राथमिक शालाओं की जिलेवार संख्या–प्रबन्धानुसार

क्रमांक	जिले का नाम	केन्द्रीय शासन	राज्य शासन				स्थानीय निकाय	अशासकीय		योग कालम (8, 9 तथा 10)	महा-योग
			शिक्षा विभाग	आ. जा. कल्याण विभाग	अन्य	योग		सहायता प्राप्त	सहायता अप्राप्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	भोपाल	1	458	..	..	458	..	2	7	9	468
2.	सीहोर	..	763	..	..	763	..	1	..	1	764
3.	रायसेन	..	982	..	..	982	..	..	..	..	982
4.	विदिशा	..	834	..	..	834	..	4	2	6	840
5.	राजगढ़	..	699	..	..	699	..	..	..	..	699
6.	होशंगाबाद	4	333	24	5	362	541	16	3	560	926
7.	बैतूल	1	190	378	30	598	360	8	1	369	968
8.	खंडवा	3	325	100	7	432	509	25	7	541	976
9.	छिन्दवाड़ा	2	420	342	6	768	438	24	..	462	1232
10.	नरसिंहपुर	..	261	..	..	261	293	2	..	295	556
11.	सिवनी	..	431	57	4	492	335	7	.	342	834
12.	जबलपुर	8	675	..	..	675	692	41	9	742	1425
13.	मण्डला ,	3	238	537	..	775	413	36	..	449	1227
14.	बालाघाट	..	299	241	1	541	534	4	..	538	1079
15.	सागर	2	579	1	..	580	493	15	4	512	1094
16.	दमोह	1	346	..	..	346	323	4	1	328	675
17.	पन्ना	..	566	1	7	574	..	4	3	7	581
18.	छतरपुर	..	836	1	..	837	..	..	9	9	846
19.	टीकमगढ़	..	624	..	..	624	..	..	..	..	624
20.	रायपुर	24	1275	125	12	1412	1555	38	1	1594	3030
21.	दुर्ग	3	715	64	1	780	746	5	34	785	1568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	बस्तर	95	293	1305	..	1598	558	3	3	564	2257
23.	राजनांदगांव	1	577	201	..	778	540	3	..	543	1322
24.	बिलासपुर	8	998	680	8	1686	1136	36	4	1176	2870
25.	सरगुजा	3	594	601	6	1201	745	23	20	788	1992
26.	रायगढ़	1	332	556	..	888	733	18	53	804	1693
27.	ग्वालियर	..	922	..	..	922	..	47	45	92	1014
28.	भिण्ड	..	741	..	..	741	..	37	21	58	799
29.	मुरैना	..	1044	67	..	1111	..	249	72	321	1432
30.	शिवपुरी	..	773	..	..	773	..	67	19	86	859
31.	दतिया	..	341	..	..	341	..	..	..	..	341
32.	गुना	..	884	..	..	884	..	12	6	18	902
33.	इंदौर	2	602	..	..	602	2	32	69	103	707
34.	धार	..	149	697	..	846	..	8	7	15	861
35.	देवास	..	627	2	..	629	2	2	7	11	640
36.	खरगोन	..	410	936	..	1346	..	6	2	8	1354
37.	झाबुआ	..	..	771	..	771	..	5	12	17	788
38.	उज्जैन	1	750	..	..	750	..	35	10	45	796
39.	रतलाम	2	529	111	..	640	1	7	17	25	667
40.	मन्दसौर	4	933	..	..	933	1	8	6	15	952
41.	शाजापुर	..	703	1	..	704	..	2	1	3	707
42.	रीवां	..	1041	..	..	1041	..	2	22	24	1065
43.	सतना	2	987	1	..	988	1	2	8	11	1001
44.	सीधी	..	872	56	..	928	..	..	5	5	933
45.	शाहडोल	2	916	336	..	1252	..	..	6	6	1260
	योग ..	173	27867	8192	87	36146	10951	840	496	12287	48606

पूर्व प्राथमिक शालायें (जिलेवार एवं प्रबन्धानुसार)

क्रमांक	जिले का नाम	केन्द्रीय शासन	राज्य शासन				स्थानीय निकाय	अशासकीय		योग कालम (8, 9 तथा 10)	महायोग
			शिक्षा विभाग	आ. जा. कल्याण विभाग	अन्य	योग		सहायता प्राप्त	सहायता अप्राप्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	भोपाल	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2.	सीहोर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3.	रायसेन	..	1	..	..	1	..	1	..	1	2
4.	विदिशा	..	1	..	..	1	..	2	3	5	6
5.	राजगढ़	..	1	..	..	1	..	..	..	..	1
6.	होशंगाबाद	..	1	..	..	1	5	2	3	10	11
7.	बैतूल	..	1	..	..	1	3	..	..	3	4
8.	खण्डवा	..	1	10	7	18	3	4	14	21	39
9.	छिन्दवाड़ा	4	..	..	..	..	6	..	28	34	38
10.	नरसिंहपुर	..	..	..	..	..	11	4	..	15	15
11.	सिवनी	..	2	..	..	2	3	..	4	7	9
12.	जबलपुर	2	3	..	..	3	12	16	8	36	41
13.	मण्डला	..	1	..	..	1	2	16	..	18	19
14.	बालाघाट	..	1	..	..	1	2	3	..	5	6
15.	सागर	..	1	..	1	2	4	3	6	13	15
16.	दमोह	..	..	..	1	1	5	3	1	9	10
17.	पन्ना	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
18.	छतरपुर	..	1	..	..	1	..	..	..	..	1
19.	टीकमगढ़	..	1	..	..	1	..	..	..	..	1
20.	रायपुर	..	1	..	..	1	4	9	5	18	19
21.	दुर्ग	..	2	..	..	2	4	4	4	12	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	बस्तर	..	..	2	..	2	6	2	3	11	13
23.	राजनांदगांव	..	1	..	..	1	3	3	..	6	7
24.	बिलासपुर	..	3	..	..	3	9	3	3	15	18
25.	सरगुजा	..	..	..	..	..	..	5	8	13	13
26.	रायगढ़	..	..	..	..	..	1	2	2	5	5
27.	ग्वालियर	..	3	..	..	3	..	2	4	6	9
28.	भिण्ड	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1
29.	मुरैना	..	..	..	..	..	..	1	.	1	1
30.	शिवपुरी	..	1	..	..	1	..	2	..	2	3
31.	दतिया	..	..	..	..	..	1	1	.	2	2
32.	गुना	..	1	.	..	1	..	1	..	1	2
33.	इन्दौर	..	1	..	..	1	..	6	1	7	8
34.	धार	..	1		..	1	..	5	..	5	6
35.	देवास	..	..	1	..	1	4	1	..	5	6
36.	खरगोन	..	1	..	..	1	6	4	..	10	11
37.	झाबुआ	..	..	..	..	..	2	1	1	4	4
38.	उज्जैन	..	2	.	..	2	3	9	1	13	15
39.	रतलाम	..	2	..	..	2	1	1	1	3	5
40.	मन्दसौर	..	..	..	..	..	2	1	..	3	3
41.	शाजापुर	..	1	1	..	2	.	2	2	4	6
42.	रीवा	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
43.	सतना	..	1	..	..	1	.	..	..	..	1
44.	सीधी	..	1	..	..	1	..	..	..	..	1
45.	शहडोल	..	3	..	..	3	..	..	..	..	3
	योग	..	6	41	14	9	64	102	148	74	324	394

जिलेवार उपशालाओं की संख्या

क्रमांक	जिले का नाम	शालाओं की संख्या (शिक्षा विभाग)
1	2	3
1.	भोपाल	..
2.	सीहोर	8
3.	रायसेन	82
4.	विदिशा	3
5.	राजगढ़	69
6.	होशंगाबाद	64
7.	बैतूल	65
8.	खण्डवा	66
9.	छिन्दवाड़ा	133
10.	नरसिंहपुर	56
11.	सिवनी	71
12.	जबलपुर	44
13.	मंडला	34
14.	बालाघाट	45
15.	सागर	175
16.	दमोह	52
17.	पन्ना	21
18.	छतरपुर	50
19.	टीकमगढ़	40
20.	रायपुर	59
21.	दुर्ग	42

1	2	3
22.	बस्तर	74
23.	राजनांदगांव	77
24.	बिलासपुर	100
25.	सरगुजा	52
26.	रायगढ़	133
27.	ग्वालियर	42
28.	भिण्ड	48
29.	मुरैना	50
30.	शिवपुरी	49
31.	दतिया	24
32.	गुना	44
33.	इन्दौर	47
34.	धार	3
35.	देवास	58
36.	खरगोन	7
37.	झाबुआ	1
38.	उज्जैन	20
39.	रतलाम	12
40.	मन्दसौर	13
41.	शाजापुर	44
42.	रीवा	100
43.	सतना	71
44.	सीधी	66
45.	शहडोल	135
	योग ..	2449

छात्र संख्या—शालावार

क्रमांक	संस्था का प्रकार	छात्र संख्या			अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	उच्चतर माध्यमिक	454364	166533	620897	36095	5797	26686	395
2.	माध्यमिक	820518	287348	1107866	80486	14562	61254	1215
3.	प्राथमिक	2383623	1133718	3517341	298332	96829	437438	15599
4.	उपशाला	49372	23053	72425	6413	2378	8901	384
5.	पूर्व प्राथमिक	13262	11207	24469	516	397	437	44
	योग ..	3721139	1621859	5342998	421842	119963	534716	17639

अध्याय–3

छात्र संख्या

छात्र संख्या कक्षावार

कक्षा	छात्र संख्या			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पूर्व-प्राथमिक	23011	18266	41277	585	464	1049	439	449	888
1	829914	449547	1279461	109507	40070	149577	169134	74981	244115
2	620677	305398	926075	79499	25600	105099	119703	41653	161356
3	646312	280511	926823	78328	22047	100375	101414	29427	130841
4	410326	160703	571029	45824	10967	56791	50827	11967	62794
5	297093	111575	408668	29819	7176	36995	30914	7396	38310
6	242882	86774	329656	23272	5041	28313	18760	3783	22543
7	185486	63464	248950	16137	3190	19327	12950	2309	15259
8	172529	53215	225744	13891	2407	16298	12354	1980	14334
9	110216	37308	147524	9729	1313	11042	7173	1013	8186
10	87339	29610	116949	7657	983	8640	5560	754	6314
11	95354	25488	120842	7594	705	8299	5488	685	6173
.	3721139	1621859	5342998	421842	119963	541805	534716	176397	711113

टीप :–(1) इस तालिका में केवल सामान्य शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या दी गई है ।

(2) स्तम्भ 2 एवं 3 में बताई गई बालक । बालिकाओं की संख्या में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की छात्र संख्या सम्मिलित है ।

बालक

बालिका

मध्यप्रदेश में
छात्र संख्या में प्रगति
१९७६-७७ से १९७४-७५

पूर्व प्राथमिक शाला
आयु समूह ५ वर्ष तक

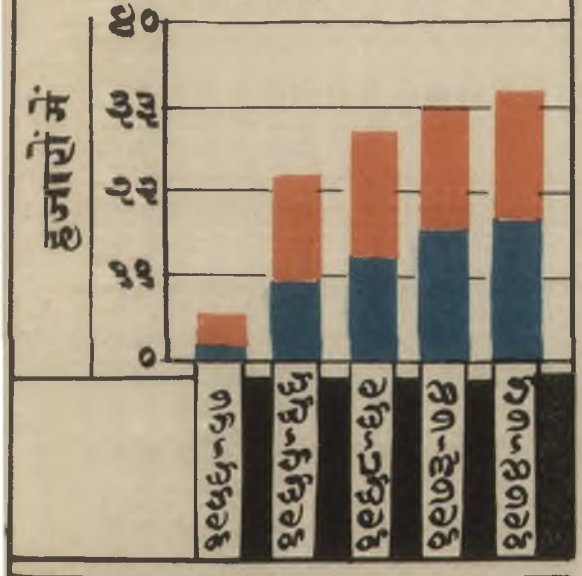

प्राथमिक शाला
आयु समूह ६ से ११ वर्ष

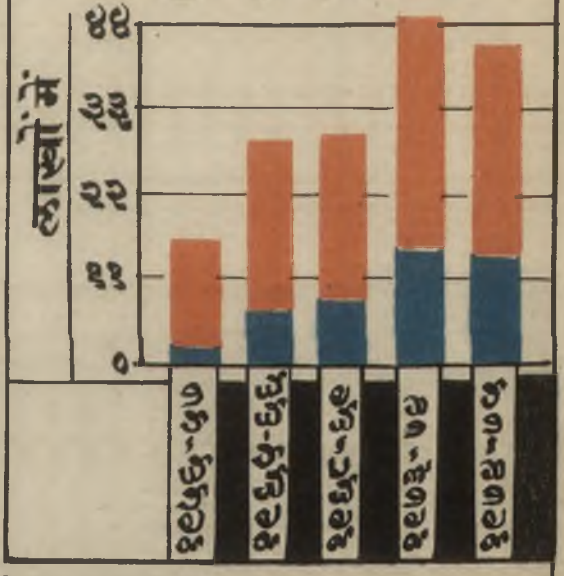

माध्यमिक शाला
आयु समूह ११ से १४ वर्ष

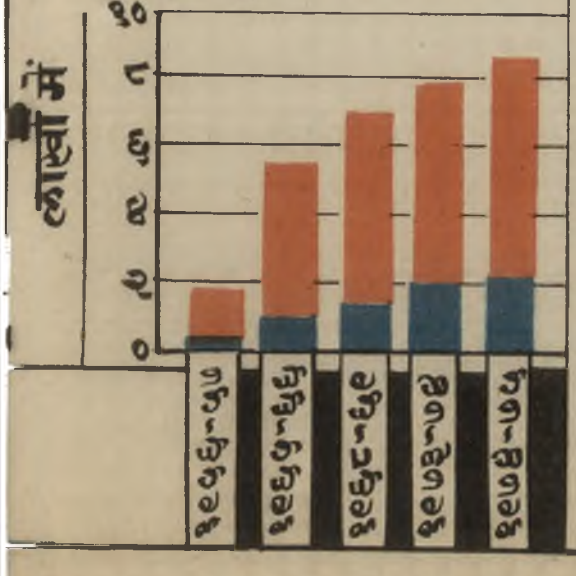

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
आयु समूह १४ से १७ वर्ष

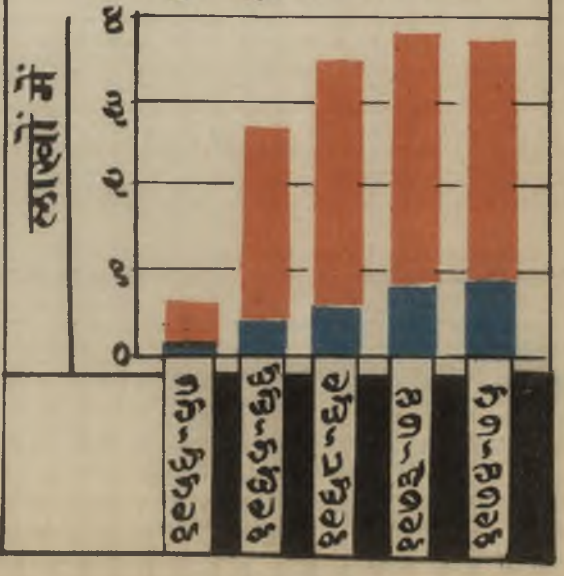

प्रबन्धानुसार दर्ज संख्या वर्ष 1974–75 (उच्चतर माध्यमिक शालायें)

क्रमांक	जिले का नाम	शासकीय		स्थानीय निकाय		अशासकीय		योग	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भोपाल	6245	4725	..	..	5890	3034	12135	7760
2.	रायसेन	3182	551	..	..	..	..	3182	551
3.	राजगढ़	2714	605	..	..	..	..	2714	605
4.	सीहोर	2799	583	..	..	..	..	2779	583
5.	विदिशा	1732	1073	..	..	1470	20	3202	1093
6.	बिलासपुर	16976	4772	2058	1228	5892	1783	24926	7783
7.	रायगढ़	8552	2419	1496	542	2174	1149	12222	4110
8.	सरगुजा	7655	1799	208	..	903	831	8766	2630
9.	भिण्ड	6697	798	..	..	6186	361	12883	1159
10.	दतिया	2085	358	..	..	..	..	2085	358
11.	ग्वालियर	8466	5823	..	..	7664	1924	16130	7747
12.	गुना	3769	1072	..	..	256	63	4025	1135
13.	मुरैना	4638	823	..	..	5591	115	10229	938
14.	शिवपुरी	3420	731	..	..	1203	63	4623	794
15.	बैतूल	5353	1985	..	..	1227	116	6580	2101
16.	छिन्दवाड़ा	6240	2834	1855	126	3863	1521	11958	4481
17.	होशंगाबाद	10533	3720	..	..	3276	1595	13809	5315
18.	खण्डवा	5709	3852	..	..	5386	1645	11095	5497
19.	नरसिंहपुर	7260	2078	..	129	2177	109	9437	2316
20.	सिवनी	4404	1903	..	..	1606	..	6010	1903
21.	देवास	3465	992	..	..	137	759	3602	1751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	धार	8860	1647	..	..	137	40	8997	1687
23.	इन्दौर	9959	5440	..	1169	15199	11924	25158	18533
24.	झाबुआ	4767	2746	..	..	..	..	4765	2746
25.	खरगोन	10478	4783	..	..	490	..	10968	4783
26.	बालाघाट	5989	1704	504	..	339	119	6832	1832
27.	जबलपुर	11664	5945	1134	1052	22300	12183	35098	19180
28.	मण्डला	5319	1633	265	..	430	347	6014	1980
29.	बस्तर	6605	2741	107	..	795	126	7507	2867
30.	दुर्ग	11715	3706	511	..	8057	4296	20283	8002
31.	रायपुर	14449	5370	2700	1299	7702	2753	24851	9422
32.	राजनांदगांव	5815	3385	714	10	208	..	6737	3395
33.	रीवा	18821	2408	144	..	2540	401	21505	2809
34.	सतना	12760	2207	..	..	1845	1004	14605	3211
35.	सीधी	5893	425	..	..	..	.	5893	425
36.	शहडोल	7682	1755	..	..	467	169	8149	1924
37.	छतरपुर	7236	1807	..	53	111	..	7347	1860
38.	दमोह	3065	2019	444	..	1691	22	5200	2041
39.	पन्ना	3294	821	..	..	295	81	3589	902
40.	सागर	8630	3457	2017	1089	5519	1807	16164	6353
41.	टीकमगढ़	5866	1318	..	..	127	6	5993	1324
42.	मन्दसौर	6720	2549	.	..	1070	123	7790	2672
43.	रतलाम	4013	2381	..	..	2824	1332	6837	3713
44.	शाजापुर	3389	796	..	..	177	9	3566	805
45.	उज्जैन	5802	2858	..	..	2300	608	8102	3466
	योग ..	310685	107398	14157	6697	129522	52438	454364	166533

प्रबन्धानुसार दर्ज संख्या वर्ष 1974–75 (माध्यमिक शालायें)

क्रमांक	जिले का नाम	शासकीय		स्थानीय निकाय		अशासकीय		योग	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भोपाल	7529	4972	..	..	805	737	8334	5709
2.	रायसेन	6542	1635	..	..	175	70	6717	1705
3.	राजगढ़	14322	4820	..	..	..	..	14322	4820
4.	सीहोर	6289	1368	..	..	..	..	6289	1368
5.	विदिशा	6664	2086	..	..	500	201	7164	2287
6.	बिलासपुर	9747	2843	6767	989	519	312	17033	4144
7.	रायगढ़	5270	1331	2396	290	2405	1812	10071	3433
8.	सरगुजा	4157	1123	1579	117	974	191	6710	1431
9.	भिण्ड	47590	10956	..	..	508	239	48098	11195
10.	दतिया	4354	946	..	..	..	..	4354	946
11.	ग्वालियर	12873	5018	..	..	3591	1509	16464	6527
12.	गुना	17631	6109	..	..	1403	591	19034	6700
13.	मुरैना	15057	2398	..	..	1439	208	16496	2606
14.	शिवपुरी	17315	5097	..	..	490	343	17805	5440
15.	बैतूल	4834	2361	1633	235	106	51	6573	2647
16.	छिन्दवाड़ा	4891	2392	2533	726	229	72	7653	3190
17.	होशंगाबाद	4992	2113	9457	1586	168	14	14617	3713
18.	खण्डवा	3126	3203	8400	1901	288	177	11814	5281
19.	नरसिंहपुर	2088	4458	9298	3962	..	..	11386	8420
20.	सिवनी	2814	1236	5468	1489	..	..	8282	2725
21.	देवास	19867	5336	..	..	643	437	20510	5773
22.	धार	19685	9973	..	..	1027	718	20712	10691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	इन्दौर	31346	16752	..	..	12879	8353	44225	25105
24.	झाबुआ	9202	2973	..	..	627	344	9829	3317
25.	खरगोन	36404	13012	..	..	122	574	36526	13586
26.	बालाघाट	5230	1945	9606	2498	75	122	14911	4565
27.	जबलपुर	11135	3808	22463	8267	6381	4390	39979	16465
28.	मंडला	5301	1601	6224	2096	433	204	11958	3901
29.	बस्तर	3657	983	2062	279	171	117	5890	1379
30.	दुर्ग	8966	4495	11118	2979	2633	1715	22717	9189
31.	रायपुर	6418	8078	58237	14035	902	237	65557	22350
32.	राजनांदगांव	4775	1002	2079	334	32	112	6886	1448
33.	रीवा	32212	7930	..	..	2540	886	34752	8816
34.	सतना	24722	5821	..	..	2527	1369	27249	7190
35.	सीधी	13509	2637	..	..	354	167	13863	2804
36.	शहडोल	22018	7616	..	..	1553	711	23571	8327
37.	छतरपुर	14601	4311	..	..	188	117	14789	4428
38.	दमोह	2848	603	6063	1544	113	181	9024	2328
39.	पन्ना	8740	2276	..	..	164	64	8904	2340
40.	सागर	4624	4322	11412	1300	580	768	16616	6390
41.	टीकमगढ़	14493	5019	..	..	110	13	14603	5032
42.	मन्दसौर	30990	10082	465	413	3393	1798	34848	12293
43.	रतलाम	15299	5317	..	..	2352	2162	17651	7479
44.	शाजापुर	19833	4750	...	.	106	2	19939	4752
45.	उज्जैन	22043	10920	..	..	3750	2193	25793	13113
	महायोग ..	586003	208027	177260	45040	57255	34281	820518	287348

प्रबन्धानुसार दर्ज संख्या वर्ष 1974–75 (प्राथमिक शालायें)

क्रमांक	जिले का नाम	शासकीय		स्थानीय निकाय		अशासकीय		योग	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भोपाल	31325	20086	..	..	890	861	32215	20947
2.	रायसेन	32798	12678	..	..	..	..	32798	12678
3.	राजगढ़	28574	7976	..	..	..	..	28574	7976
4.	सीहोर	32868	9400	..	..	100	75	32968	9475
5.	विदिशा	36897	14072	..	..	1075	596	37972	14668
6.	बिलासपुर	62987	35533	79174	24069	3701	2620	145862	62222
7.	रायगढ़	26432	15407	27388	17252	6064	5192	59884	37851
8.	सरगुजा	39282	23733	38856	19743	4156	2506	82294	45982
9.	भिण्ड	36571	18234	..	..	3604	1920	40175	20154
10.	दतिया	16630	5618	.	..	..	..	16630	5618
11.	ग्वालियर	55176	29592	..	..	10743	4321	65919	33913
12.	गुना	35063	9647	..	..	970	429	36033	10076
13.	मुरैना	69436	22459	..	..	13635	5331	83071	27790
14.	शिवपुरी	29099	7322	..	..	2346	765	31445	8087
15.	बैतूल	22491	12933	25210	13318	702	681	48403	26932
16.	छिन्दवाड़ा	26490	13993	36625	19411	2372	1872	65487	35276
17.	होशंगाबाद	9615	10106	35783	15437	2059	1542	47457	27085
18.	खण्डवा	13367	8893	39043	20464	2993	1734	55403	31091
19.	नरसिंहपुर	8987	6720	25274	13645	154	340	34415	20705
20.	सिवनी	19489	11153	18119	8937	572	434	38180	20524
21.	देवास	29645	12046	89	62	890	540	30624	12648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	धार	40929	13347	..	..	821	558	41750	13905
23.	इन्दौर	47932	29455	1703	1435	10723	8635	60358	39525
24.	झाबुआ	29765	10110	..	..	1412	677	31177	10787
25.	खरगोन	55981	26035	..	..	1102	401	57083	26436
26.	बालाघाट	19405	16759	38078	21081	170	377	57653	38217
27.	जबलपुर	30551	19300	66136	40061	8644	7892	105331	67253
28.	मंडला	25977	13818	27050	12405	2570	1183	55597	27406
29.	बस्तर	56517	29001	35310	16656	687	572	92514	46229
30.	दुर्ग	24942	22539	53599	23529	11495	8656	90036	54724
31.	रायपुर	26969	17139	135046	54582	7393	7983	169408	79704
32.	राजनांदगांव	24527	11573	33120	11944	183	102	57830	23691
33.	रीवा	45131	17883	..	..	1508	801	46639	18684
34.	सतना	42270	17481	135	114	785	407	43190	18002
35.	सीधी	39682	11288	..	..	342	151	40024	11439
36.	शहडोल	51504	20026	..	..	1049	924	52553	20950
37.	छतरपुर	31340	11954	..	..	646	398	31986	12352
38.	दमोह	10263	7454	23584	8348	639	623	34486	16425
39.	पन्ना	20918	8247	..	..	798	463	21716	8710
40.	सागर	19168	15260	41937	17195	1967	2255	63072	34710
41.	टीकमगढ़	32601	12095	..	..	..	..	32601	12095
42.	मन्दसौर	50644	18463	149	91	1963	1054	52756	19608
43.	रतलाम	25187	11056	285	150	2982	1734	28454	12940
44.	शाजापुर	31011	9762	..	..	278	142	31289	9904
45.	उज्जैन	36840	16468	..	..	3471	1928	40311	18396
	महायोग ..	1483276	694114	781693	359929	118654	79675	2383623	1133716

प्रबन्धानुसार दर्ज संख्या वर्ष 1974–76 (उप-शालायें)

क्रमांक	जिले का नाम	शासकीय		स्थानीय निकाय		अशासकीय		योग	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भोपाल	..	..	..	..	..	..	..	..
2.	रायसेन	1562	749	..	..	..	..	1562	749
3.	राजगढ़	1543	494	..	..	..	..	1543	494
4.	सीहोर	224	23	..	..	..	..	224	23
5.	विदिशा	58	26	..	..	..	..	58	26
6.	बिलासपुर	1738	725	..	..	..	..	1738	725
7.	रायगढ़	2292	1623	..	..	..	..	2292	1623
8.	सारगुजा	830	476	..	..	..	..	830	476
9.	झिण्ड	1143	650	..	..	..	..	1143	650
0.	दतिया	525	181	.	..	..	..	525	181
1.	ग्वालियर	1226	408	..	..	..	..	1226	408
2.	गुना	1187	407	..	..	..	..	1187	407
3.	मुरैना	1069	460	..	..	..	..	1069	460
4.	शिवपुरी	1226	287	..	..	..	..	1226	287
.	बैतूल	1175	684	..	..	..	..	1175	684
6.	छिंदवाडा	2350	1286	..	..	..	..	2350	1286
7.	होशंगाबाद	1060	546	..	..	..	..	1060	546
8	खण्डवा	1322	612	..	..	..	..	1322	612
9.	नरसिंहपुर	1141	731	..	..	..	..	1141	731
0.	सिवनी	1282	757	..	..	..	..	1282	757
1	देवास	1229	528	..	..	..	..	1229	528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	धार	48	32	..	..	..	..	48	32
23.	इन्दौर	1046	461	..	..	..	..	1046	461
24.	झाबुआ	16	3	..	..	..	..	16	3
25.	खरगोन	172	65	..	..	..	..	172	65
26.	बालाघाट	749	623	..	..	..	..	749	623
27.	जबलपुर	2284	630	..	..	..	..	2284	630
28.	मंडला	647	271	..	..	..	..	647	271
29.	बस्तर	1475	732	..	..	..	..	1475	732
30.	दुर्ग	518	341	..	..	..	..	518	341
31.	रायपुर	731	427	..	..	..	..	731	427
32.	राजनांदगांव	1509	691	..	..	..	..	1509	691
33.	रीवा	1924	1066	..	..	..	..	1924	1066
34.	सतना	1480	826	..	..	..	..	1480	826
35.	सीधी	1458	501	..	..	..	..	1458	501
36.	शहडोल	1875	422	..	..	..	..	1875	422
37.	छतरपुर	1132	328	..	..	..	..	1132	328
38.	दमोह	1004	578	..	..	..	..	1004	578
39.	पन्ना	544	282	..	..	..	..	544	285
40.	सागर	3661	1824	..	..	..	..	3661	1824
41.	टीकमगढ़	986	591	..	..	..	..	986	591
42.	मन्दसौर	264	82	..	..	..	..	264	82
43.	रतलाम	222	92	..	..	..	..	222	92
44	शाजापुर	1041	336	..	..	..	..	1041	336
45	उज्जैन	404	196	..	..	..	..	404	196
	महायोग ..	49372	23053	..	..	..	..	49372	23053

प्रबन्धानुसार दर्ज संख्या वर्ष 1974–75 (पूर्व प्राथमिक शालायें)

क्रमांक	जिले का नाम	शासकीय		स्थानीय निकाय		अशासकीय		योग	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भोपाल	..	..	..	..	..	..	..	..
2.	रायसेन	16	13	..	..	31	25	47	38
3.	राजगढ़	43	63	..	..	..	..	43	63
4.	सीहोर	..	..	.	..	..	..	..	..
5.	विदिशा	12	51	..	..	212	155	224	206
6.	बिलाससुर	113	118	325	168	219	163	657	449
7.	रायगढ़	..	..	41	56	206	212	247	268
8.	सरगुजा	..	..	..	..	373	267	373	267
9.	भिण्ड	..	..	..	..	40	32	40	32
10.	दतिया	..	..	57	32	29	19	86	51
11.	ग्वालियर	166	65	..	..	346	258	512	323
12.	गुना	30	16	..	..	12	16	42	32
13.	मुरैना	..	..	..	..	24	27	24	27
14.	शिवपुरी	31	24	..	..	115	57	146	81
15.	बैतूल	25	16	106	91	..	..	131	107
16.	छिंदवाड़ा	152	146	132	150	648	654	932	950
17.	होशंगाबाद	69	68	204	135	110	112	387	315
18.	खण्डवा	338	362	99	85	826	597	1263	1044
19.	नरसिंहपुर	..	..	135	127	95	81	230	208
20.	सिवनी	42	51	94	113	125	101	261	264
21.	देवास	16	9	135	127	29	11	180	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	धार	83	54	..	..	101	106	184	160
23.	इन्दौर	155	127	..	..	345	270	500	397
24.	झाबुआ	..	..	97	94	49	58	146	152
25.	खरगोन	50	52	280	103	275	266	605	421
26.	बालाघाट	16	24	86	65	97	74	199	163
27.	जबलपुर	208	175	244	210	621	558	1073	943
28.	मण्डला	22	18	43	57	131	146	196	221
29.	बस्तर	72	72	157	162	338	201	567	435
30.	दुर्ग	83	57	185	177	218	139	486	373
31.	रायपुर	41	64	252	294	268	332	561	690
32.	राजनांदगांव	33	18	83	113	109	82	225	213
33.	रीवा	..	..	..	..	..	..	..	..
34.	सतना	17	29	..	..	..	..	17	29
35.	सीधी	19	21	..	..	..	..	19	21
36.	शहडोल	245	134	..	..	..	..	245	134
37.	छतरपुर	12	28	..	..	..	..	12	28
38.	दमोह	14	22	208	153	136	102	358	277
39.	सागर	63	59	68	51	386	343	517	453
40.	पन्ना	..	..	..	..	..	..	..	..
41.	टीकमगढ़	63	46	..	..	..	..	63	46
42.	मन्दसौर	..	..	65	84	80	68	145	152
43.	रतलाम	55	38	42	27	33	61	130	126
44.	शाजापुर	87	64	..	..	128	81	215	145
45.	उज्जैन	74	91	60	57	840	607	974	755
	योग ..	2465	2195	3202	2731	7595	6281	13262	11207

शाला जाने योग्य बालक/बालिकाएं व उनकी दर्ज संख्या प्रतिशत

आयु सीमा 6–11 (कक्षा 1 से 5)

क्रमांक	जिला	शाला जाने योग्य बालक । बालिकाएं			दर्ज संख्या प्रतिशत		योग
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भोपाल ..	47450	39934	87384	67.9	52.5	60.8
2.	सीहोर ..	41026	37119	78145	80.3	25.5	54.3
3.	रायसेन ..	42966	38875	81841	76.3	32.6	55.6
4.	विदिशा ..	52444	45036	97480	72.4	32.5	54.0
5.	राजगढ़ ..	48376	43944	92320	79.2	26.6	54.4
6.	होशंगाबाद ..	63330	54383	117713	87.2	53.6	71.7
7.	खण्डवा ..	66317	61216	127533	96.5	56.2	77.1
8.	बैतूल ..	55806	52034	107840	88.8	53.0	71.6
9.	छिन्दवाड़ा ..	74031	68336	142367	91.6	53.5	73.3
10.	नरसिंहपुर ..	44858	30869	75727	96.9	89.8	94.3
11.	सिवनी ..	50035	46654	96689	86.7	48.4	68.2
12.	जबलपुर ..	130850	116856	247806	99.3	66.08	83.6
13.	मण्डला ..	63217	63167	126387	96.8	47.6	72.2
14.	बालाघाट ..	69091	69396	138447	92.5	57.8	75.1
15.	सागर ..	82710	73937	156647	47.4	24.3	32.3
16.	दमोह ..	43161	40646	83807	90.8	44.2	68.2
17.	छतरपुर ..	54096	46829	100925	78.8	33.6	57.8
18.	पन्ना ..	32489	29990	62479	85.8	36.0	61.9
19.	टीकमगढ़ ..	44466	37084	81550	99	45.4	74.7
20.	रायपुर ..	189000	192818	381818	95.4	43.4	69.1
21.	दुर्ग ..	109258	105394	214652	90.4	56.3	73.6

1	2		3	4	5	6	7	8
22.	बस्तर	..	110695	110253	220948	48.9	42.6	63.8
23.	राजनांदगांव	..	72378	72668	145046	81.9	33.3	57.7
24.	बिलासपुर	..	172245	172935	345180	85.7	36.4	61.0
25.	सरगुजा	..	97598	94525	192123	85.2	49.1	67.4
26.	रायगढ़	..	90318	91775	182093	68.8	43.0	55.8
27.	उज्जैन	..	64850	61072	125922	82.2	41.8	62.6
28.	मन्दसौर	..	72258	66968	139226	99.8	41.1	71.6
29.	रतलाम	..	46988	44250	91238	83.4	39.9	62.3
30.	शाजापुर	..	51062	47514	98576	89.9	27.3	57.7
31.	ग्वालियर	..	68164	57138	125302	99.2	60.6	81.6
32.	भिण्ड	..	61823	51614	113437	100	56.7	87.7
33.	मुरैना	..	77231	64476	141707	88.2	43.8	79.3
34.	शिवपुरी	..	51564	44280	95844	64.5	27.0	47.2
35.	गुना	..	61006	53883	114889	78.9	27.5	54.8
36.	दतिया	..	19624	17264	36888	87.4	33.6	62.2
37.	इन्दौर	..	81132	71371	152503	93	76.6	89.7
38.	देवास	..	453547	42195	87542	96.7	40.7	69.7
39.	धार	..	62704	60486	123190	90.6	36.5	64.1
40.	खरगौन	..	96027	91160	187187	85.8	41.5	64.2
41.	झाबुआ	..	49252	48083	97335	78.1	29.4	54.0
42.	रीवा	..	77554	63453	141007	89.5	42.0	68.0
43.	सतना	..	68701	65219	133920	89.3	37.8	64.2
44.	सीधी	..	58512	56218	114730	86.8	25.5	56.8
45.	शहडोल	..	75419	71884	147303	91.8	38.5	65.8
	योग	..	3137429	2915201	6052690	89.3	44.8	67.9

आयु सीमा 11–14 (कक्षा 6 से 8)

क्रमांक	जिला	शाला जाने योग्य बालक/बालिकाएं			दर्ज संख्या प्रतिशत		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भोपाल ..	26586	22376	48962	31.3	25.5	28.7
2.	सीहोर ..	22987	20798	43785	27.3	6.5	17.5
3.	रायसेन ..	24074	21782	45856	27.9	7.8	18.4
4.	विदिशा ..	29385	25234	54619	24.4	9.0	17.3
5.	राजगढ़ ..	27105	24623	51728	21.8	6.5	14.5
6.	होशंगाबाद ..	35484	30472	65956	41.9	17.5	30.6
7.	खण्डवा ..	37158	34300	71458	29.1	10.2	22.8
8.	बैतूल ..	31226	29199	60425	28.3	12.0	20.4
9.	छिन्दवाड़ा ..	41480	38290	79770	32.4	14.5	23.8
10.	नरसिंहपुर ..	21772	20098	41870	38.9	15.9	27.9
11.	सिवनी ..	27996	26080	54176	26.7	9.4	18.2
12.	जबलपुर ..	72756	66092	138848	45.06	24.3	34.8
13.	मण्डला ..	35421	35393	70814	24.9	6.7	15.8
14.	बालाघाट ..	38701	38873	77574	29.0	9.2	19.5
15.	सागर ..	46343	41428	87771	15.1	5.6	10.6
16.	दमोह ..	24183	22775	46958	29.0	10.3	19.9
17.	छतरपुर ..	30311	26239	56550	27.7	8.9	18.9
18.	पन्ना ..	18204	16804	35008	28.1	6.3	17.6
19.	टीकमगढ़ ..	24355	21339	45694	26.2	7.2	17.3
20.	रायपुर ..	105899	108038	213937	61.2	7.2	17.3
21.	दुर्ग ..	61218	59054	120272	37.1	15.6	26.5

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	बस्तर ..	62024	61776	123800	14.9	4.9	9.9
23.	राजनांदगांव ..	40554	40717	81271	23.8	8.2	16.0
24.	बिलासपुर ..	96511	96898	193409	28.4	6.9	17.6
25.	सरगुजा ..	54686	52963	107649	18.9	5.3	12.2
26.	रायगढ़ ..	50606	51423	102029	29.1	9.7	19.3
27.	उज्जैन ..	36336	34220	70556	39.5	19.5	29.8
28.	मन्दसौर ..	40487	37523	78010	38.9	13.0	26.5
29.	रतलाम ..	26328	24794	51122	36.5	17.9	27.5
30.	शाजापुर ..	28611	26622	55233	29.1	7.4	18.6
31.	ग्वालियर ..	38193	32015	70208	43.1	20.3	32.7
32.	भिण्ड ..	45431	37929	83360	43.2	7.7	27.1
33.	मुरैना ..	43273	36127	79400	38.9	7.2	24.5
34.	शिवपुरी ..	28892	24810	53702	26.7	7.5	17.8
35.	गुना ..	34182	30191	64373	23.6	7.85	16.2
36.	दतिया ..	10996	9673	20669	39.6	9.7	25.6
37.	इन्दौर ..	45485	40014	85449	60.6	39.8	50.9
38.	देवास ..	25408	23643	49051	32.3	9.4	21.3
39.	धार ..	35134	33891	69025	28.7	8.6	18.8
40.	खरगोन ..	53805	51078	104883	28.0	9.8	19.2
41.	झाबुआ ..	27495	26843	54338	17.3	6.9	12.1
42.	रीवा ..	43454	35554	79008	48.7	9.9	31.2
43.	सतना ..	38494	365543	75037	43.4	8.7	26.5
44.	सीधी ..	32785	31500	64285	22.6	2.0	12.5
45.	शहडोल ..	42258	40278	82536	28.3	7.1	18.0
	योग ..	1764072	1646312	3410434	34.0	12.3	23.5

आयु सीमा 14–17 **(कक्षा** 9 **से** 11)

क्रमांक	जिला	शाला जाने योग्य बालक/बालिकाएं			दर्ज संख्या प्रतिशत		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भोपाल ..	25076	21105	46181	48.4	36.8	43.1
2.	सीहोर ..	21682	19617	41299	12.9	2.9	8.2
3.	रायसेन ..	22707	20545	43252	14.0	2.7	8.6
4.	विदिशा ..	27716	23801	51517	11.5	4.6	8.3
5.	राजगढ़ ..	25566	23224	48790	10.6	2.6	6.8
6.	होशंगाबाद ..	33469	28741	62210	20.2	7.4	14.3
7.	खण्डवा ..	34643	32756	67399	13.9	7.9	11.0
8.	बैतूल ..	29276	27716	56992	14.7	4.5	9.7
9.	छिन्दवाड़ा ..	38673	36566	75239	15.9	22.6	11.0
10.	नरसिंहपुर ..	20290	19202	39492	21.7	6.5	14.3
11.	सिवनी ..	26248	24851	51099	10.08	3.5	7.4
12.	जबलपुर ..	68625	62338	130963	28.9	16.4	23.0
13.	मण्डला ..	33410	33483	66793	12.4	3.2	7.8
14.	बालाघाट ..	36504	36664	73168	13.7	3.3	8.5
15.	सागर ..	43711	39075	82786	7.9	2.7	5.5
16.	दमोह ..	22810	21481	44291	15.2	5.0	10.2
17.	छतरपुर ..	28589	24749	53338	13.9	3.1	8.9
18.	पन्ना ..	17170	15850	33020	10.2	2.3	6.4
19.	टीकमगढ़ ..	23057	20041	43098	16.2	3.3	10.18
20.	रायपुर ..	99885	101902	201787	15.4	4.8	10.0
21.	दुर्ग ..	57741	55700	113441	20.8	6.7	13.9

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	बस्तर ..	58501	58267	116768	70.05	2.0	4.6
23.	राजनांदगांव ..	38251	38404	76655	10.3	3.9	7.0
24.	बिलासपुर ..	91030	91394	182424	15.9	5.7	10.8
25.	सरगुजा ..	51580	49955	101535	9.9	2.5	6.3
26.	रायगढ़ ..	47732	48502	96234	15.8	5.2	10.5
27.	उज्जैन ..	34273	32275	66548	20.2	9.5	15.0
28.	मन्दसौर ..	38188	35391	73579	19.5	5.5	12.8
29.	रतलाम ..	24832	23386	48218	17.0	8.7	13.0
30.	शाजापुर ..	26986	25110	52096	13.2	3.2	8.4
31.	ग्वालियर ..	36024	30196	66220	44.7	25.6	36.1
32.	भिण्ड ..	32673	27277	59950	37.9	3.6	22.3
33.	मुरैना ..	40815	34075	74890	24.1	2.7	14.4
34.	शिवपुरी ..	27251	23401	50652	15.0	3.3	9.6
35.	गुना ..	32240	28477	60717	12.5	3.9	8.5
36.	दतिया ..	10371	9124	19495	20.1	3.9	12.5
37.	इन्दौर ..	42877	37719	80596	33.4	21.3	27.6
38.	देवास ..	23965	22300	46265	14.6	4.6	9.5
39.	धार ..	33138	31967	65105	13.9	4.0	9.0
40.	खरगोन ..	50749	48177	98926	14.14	4.2	9.2
41.	झाबुआ ..	26029	25412	51441	9.4	3.1	6.3
42.	रीवा ..	40987	33534	74521	34.5	3.3	70.2
43.	सतना ..	36308	34467	70775	21.8	3.0	12.6
44.	सीधी ..	30923	29711	60634	9.8	0.5	5.2
45.	शहडोल ..	39858	37990	77848	12.3	2.7	7.6
	योग ..	1652429	1545918	3198247	17.7	6.0	12.0

अध्याय-4

शिक्षा में अपव्यय

भारतीय संविधान की धारा 45 के अनुसार 14 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बालक को शिक्षा सुविधा देना राज्य का उत्तरदायित्व है, किन्तु विभिन्न कारणों से किसी एक वर्ष में कक्षा 1 में प्रविष्ट हुए प्रति 100 छात्रों में से 63 छात्र कक्षा 5 पूर्ण करने के पूर्व शाला त्याग देते हैं। अतः यदि प्रारम्भिक शिक्षा का लक्ष्य केवल साक्षरता प्रदान करना ही हो, तो प्राथमिक स्तर पर ही 63 प्रतिशत शिक्षा में अपव्यय हो जाता है। कक्षा 8 पूर्ण करने तक इन 100 में केवल 24 छात्र रह जाते हैं अर्थात् 76 प्रतिशत अपव्यय हो जाता है।

विभिन्न कक्षाओं में पहुंचने वाले सफल छात्रों की संख्या तालिका में दर्शाई गई है जिनसे अपव्यय का सही अन्दाज लगाया जा सकता है।

प्राथमिक स्तर पर अपव्यय

वर्ष	कक्षा				
	1	2	3	4	5
1970–71	1100287 (100)	..	..	..	..
1971–72	1430558 (100)	665295 (60.5)	..	..	..
1972–73	2183043 (100)	989548 (69.2)	658184 (59.8)	..	..
1973–74	1576526 (100)	1138816 (52.2)	805708 (56.3)	499356 (45.3)	.. ..
1974–75	1279461 (100)	926075 (58.7)	926823 (42.5)	571029 (39.9)	408668 (37.1)

टीप.—कोष्टक में दी गई संख्या कक्षा 1 में प्रवेश पाने वाले छात्रों के समूह से प्रतिशत बताती है।

माध्यमिक स्तर पर अपव्यय

वर्ष	कक्षा		
	6	7	8
1972-73	297347	..	..
	(100)		
1973-74	312361	249242	..
	(100)	(83.8)	
1974-75	329656	248950	225744
	(100)	(79.7)	(75.9)

टीप.—कोष्टक में दी गई संख्या कक्षा 6 में प्रवेश पानेवाले छात्रों के समूह से प्रतिशत बताती है ।

एक कक्षा से दूसरी कक्षा में अन्तरण की दर

कक्षा १ से ११

(वर्ष १९६४-६५ से १९७४-७५ तक)

अध्याय-5

शिक्षक

शिक्षक संख्या–शालावार

क्रमांक	शाला का प्रकार	कुल शिक्षक			प्रशिक्षित शिक्षक		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उच्चतर माध्यमिक	24462	6392	30854	18083	4745	22828
2.	माध्यमिक	38312	8358	46670	30097	6165	36262
3.	प्राथमिक	85897	17139	103036	65607	13471	79078
4.	उपशाला	2238	211	2449	41	18	59
5.	पूर्व-प्राथमिक	22	690	712	4	468	472
	योग..	150931	32790	183721	113832	24867	138699

पुरुष
मध्यप्रदेश में
शिक्षक संख्या की प्रगति
१९५६-५७ से १९७४-७५
महिला
पूर्व प्राथमिक शाला
८००
६००
४००
२००
०
१९५६-५७
१९६५-६६
१९६८-६९
१९७३-७४
१९७४-७५
प्राथमिक शाला
हजारों में
१००
७५
५०
२५
०
१९५६-५७
१९६५-६६
१९६८-६९
१९७३-७४
१९७४-७५
माध्यमिक शाला
हजारों में
५०
४०
३०
२०
१०
०
१९५६-५७
१९६५-६६
१९६८-६९
१९७३-७४
१९७४-७५
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
हजारों में
३२
२४
१६
८
०
१९५६-५७
१९६५-६६
१९६८-६९
१९७३-७४
१९७४-७५

जिलेवार शिक्षक संख्या (कुल शिक्षक संख्या)

उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय

क्रमांक	जिला	शासकीय		स्थानीय		अन्य		योग	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भोपाल	313	274	–	–	163	193	476	466
2.	सीहोर	199	22	–	–	–	–	199	22
3.	रायसेन	202	24	–	–	–	–	202	24
4.	विदिशा	164	35	–	–	46	–	214	35
5.	राजगढ़	208	26	–	–	–	–	208	26
6.	होशंशाबाद	606	128	–	–	118	57	724	185
7.	बैतूल	317	62	91	2	–	–	408	64
8.	खंडवा	302	114	–	–	227	70	529	184
9.	छिन्दवाड़ा	371	69	76	–	177	53	624	132
10.	नरसिंहपुर	413	67	–	5	101	4	514	76
11.	सिवनी	296	65	–	–	45	–	341	65
12.	जबलपुर	603	243	51	47	763	463	1417	753
13.	मंडला	325	51	11	–	24	11	360	62
14.	बालाघाट	307	67	15	1	25	4	347	72
15.	सागर	432	119	70	31	169	72	671	222
16.	दमोह	170	69	17	–	75	6	262	75
17.	पन्ना	227	27	–	–	18	1	245	28
18.	छतरपुर	447	70	5	4	14	–	466	74
19.	टीकमगढ़	305	38	–	–	18	–	323	38
20.	रायपुर	880	205	112	63	396	137	1388	405
21.	दुर्ग	633	112	18	–	390	113	1041	225
22.	बस्तर	412	89	11	1	28	18	451	108
23.	राजनांदगांव	369	125	35	–	14	–	418	125
24.	बिलासपुर	951	191	104	24	312	97	1367	312
25.	सरगुजा	461	62	10	–	39	20	510	82
26.	रायगढ़	426	63	52	14	125	48	603	125
27.	ग्वालियर	422	221	–	–	350	129	772	350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
28.	भिण्ड	298	36	—	—	306	8	6044	4
29.	मुरैना	305	34	—	—	337	6	6422	4
30.	शिवपुरी	211	29	—	—	97	15	3083	4
31.	दतिया	135	21	—	—	—	—	1355	2
32.	गुना	234	37	—	—	28	4	2622	4
33.	इन्दौर	627	244	—	39	402	489	10291	77
34.	धार	533	53	—	—	5	3	5383	5
35.	देवास	220	49	—	—	17	27	2377	7
36.	खरगोन	592	152	—	—	21	—	6133	15
37.	झाबुआ	344	84	—	—	—	—	3444	8
38.	उज्जैन	404	115	—	—	96	37	5100	15
39.	रतलाम	300	62	—	—	89	66	3889	12
40.	मन्दसौर	505	75	—	—	137	18	6422	9
41.	शाजापुर	242	41	—	—	28	2	2770	4
42.	रीवा	912	103	—	—	276	14	11388	11
43.	सतना	705	73	—	—	100	38	8105	111
44.	सीधी	363	13	—	—	—	—	3663	13
45.	शहडोल	480	61	—	—	33	1	5513	62
	योग ..	18175	3938	678	231	5609	2223	24462	6392

जिलेवार शिक्षक संख्या (कुल शिक्षक संख्या)

माध्यमिक विद्यालय

क्रमांक	जिला	शासकीय		स्थानीय		अन्य		योग	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भोपाल	375	343	–	–	35	123	410	466
2.	सीहोर	503	78	–	–	–	–	503	78
3.	रायसेन	621	74	–	–	–	–	621	74
4.	विदिशा	436	84	–	–	18	4	454	88
5.	राजगढ़	770	149	–	–	–	–	770	149
6.	होशंगाबाद	266	71	409	8	7	5	682	84
7.	बैतूल	345	65	112	4	8	–	465	69
8.	खण्डवा	233	130	289	47	9	21	531	198
9.	छिन्दवाड़ा	416	88	150	10	19	2	585	100
10.	नरसिंहपुर	174	143	386	51	–	–	560	194
11.	सिवनी	164	45	292	11	–	–	456	56
12.	जबलपुर	367	160	724	238	110	125	1201	523
13.	मंडला	360	61	315	30	23	6	698	97
14.	बालाघाट	268	45	342	27	2	6	612	78
15.	सागर	227	128	315	37	19	25	561	190
16.	दमोह	169	20	230	33	5	5	404	58
17.	पन्ना	421	56	–	–	7	2	428	58
18.	छतरपुर	755	91	–	–	2	9	757	100
19.	टीकमगढ़	595	60	–	–	7	–	602	60
20.	रायपुर	456	108	1039	186	20	6	1515	300
21.	दुर्ग	484	61	478	31	70	25	1032	117
22.	बस्तर	462	72	144	11	2	9	608	99
23.	राजनांदगांव	397	41	181	7	3	1	581	49
24.	बिलासपुर	532	63	633	28	22	12	1187	103
25.	सरगुजा	421	48	121	–	26	17	568	65
26.	रायगढ़	493	44	123	–	93	41	709	85
27	ग्वालियर	867	310	–	–	228	170	1095	480
28.	भिण्ड	2037	126	–	–	36	8	2073	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	मुरैना	892	74	—	—	92	2	984	76
30.	शिवपुरी	8 32	133	—	—	11	32	843	165
31.	दतिया	309	42	—	—	—	—	309	42
32.	गुना	757	146	—	—	43	32	800	169
33.	इन्दौर	1213	696	—	—	97	510	1311	1206
34.	धार	1065	326	—	—	24	33	1089	359
35.	देवास	88	126	—	—	5	18	892	144
36.	खरगोन	1680	310	—	—	3	19	1683	329
37.	झाबुआ	509	88	—	—	21	15	530	103
38.	उज्जैन	804	225	—	—	71	83	875	308
39.	रतलाम	755	178	—	—	67	92	822	270
40.	मन्दसौर	1451	242	5	13	151	74	1607	329
41.	शाजापुर	971	135	—	—	7	—	978	135
42.	रीवा	1616	180	—	—	129	35	1745	215
43.	सतना	1122	83	—	—	122	38	1244	121
44.	सीधी	650	19	—	—	11	10	661	29
45.	शहडौल	1200	196	—	—	71	17	1271	213
	योग..	30328	5963	6288	772	1696	1623	38312	8359

जिलेवार शिक्षक संख्या (कुल शिक्षक)

प्राथमिक विद्यालय

क्रमांक	जिला	शासकीय		स्थानीय निकाय		अन्य		योग	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भोपाल	675	909		..	..	10	675	919
2.	सीहोर	1124	196	..	..	9	3	1133	199
3.	रायसेन	1565	202	..	..	..	..	1565	202
4.	विदिशा	1565	249	..	..	30	4	1595	253
5.	राजगढ़	1061	80	..	..	..	..	1061	80
6.	होशंगाबाद	357	179	1237	182	32	58	1626	419
7.	बैतूल	1100	127	900	131	29	24	2029	282
8.	खंडवा	476	137	1178	284	48	78	1702	499
9.	छिंदवाड़ा	1175	132	1265	269	53	57	2493	458
10.	नरसिंहपुर	371	66	766	193	..	12	1137	271
11.	सिवनी	683	126	750	80	13	11	1446	217
12.	जबलपुर	812	321	1636	988	83	271	2531	1580
13.	मंडला	888	160	983	78	92	12	1963	250
14.	बालाघाट	859	159	1411	94	6	11	2276	264
15.	सागर	619	225	1154	266	41	66	1814	557
16.	दमोह	387	102	750	131	13	20	1150	253
17.	पन्ना	882	107	..	..	19	16	901	123
18.	छतरपुर	1287	175	..	..	38	24	1325	199
19.	टीकमगढ़	1011	114	..	..	..	.	1011	114
20.	रायपुर	1602	629	4092	501	239	29	5933	1159
21.	दुर्ग	1262	262	2088	164	325	361	3675	787
22.	बस्तर	2320	257	1130	122	14	21	3464	400
23.	राजनांदगांव	1158	140	1224	153	4	2	2386	295
24.	बिलासपुर	2411	354	2896	260	106	90	5413	704
25.	सरगुजा	1655	112	1475	69	94	91	3224	272
26.	राजगढ़	1320	66	1878	104	195	107	3393	277
27.	ग्वालियर	1542	926	..	..	248	361	1790	1287
28.	भिण्ड	1280	152	..	..	96	35	1376	187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	मुरैना	2269	181	..	..	459	43	2728	224
30.	शिवपुरी	1323	107	..	..	78	28	1401	135
31.	दतिया	644	61	..	..	..	..	644	61
32.	गुना	1276	111	..	..	31	7	1307	118
33.	इन्दौर	1231	765	47	45	105	482	1383	1292
34.	धार	1458	144	..	..	20	20	1478	164
35.	देवास	923	179	..	4	7	33	930	216
36.	खरगोन	1902	273	..	..	26	13	1928	286
37.	झाबुआ	967	128	..	..	33	31	1000	159
38.	उज्जैन	1453	372	..	..	269	301	1722	673
39.	रतलाम	984	289	..	4	72	46	1056	339
40.	मन्दसौर	1765	206	..	74	42	42	1807	255
41.	शाजापुर	1126	177	..	..	5	6	1131	183
42.	रीवा	1973	157	..	..	79	32	2052	189
43.	सतना	1765	131	1	4	25	21	1791	156
44.	सीधी	1382	51	..	..	18	9	1400	60
45.	शहडोल	2017	120	..	..	35	2	2052	122
	योग ..	55905	10116	26861	4133	3131	2890	85897	17139

जिलेवार शिक्षक संख्या (कुल शिक्षक)

पूर्व प्राथमिक विद्यालय

क्रमांक	जिला	शासकीय		स्थानीय निकाय		अन्य		योग	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भोपाल	..	..	..	..	..	..	..	..
2.	सीहोर	..	..	..	..	..	..	..	..
3.	रायसेन	..	3	..	..	..	..	..	3
4.	विदिशा	5	11	..	..	..	..	5	11
5.	राजगढ़	..	3	..	..	..	..	..	3
6.	होशंगाबाद	..	5	..	6	..	7	..	18
7.	बैतूल	..	2	..	4	..	..	..	6
8.	खंडवा	..	21	..	5	1	37	1	63
9.	छिंदवाड़ा	..	4	..	10	..	34	..	48
10.	नरसिंहपुर	..	..	..	11	..	4	..	15
11.	सिवनी	..	2	..	3	..	4	..	9
12.	जबलपुर	..	9	..	19	..	49	..	77
13.	मंडला	..	1	..	3	..	16	..	20
14.	बालाघाट	..	3	..	8	..	7	..	18
15.	सागर	..	4	..	4	2	17	2	25
16.	दमोह	..	1	..	10	..	7	..	18
17.	पन्ना	..	..	..	..	..	..	..	..
18.	छतरपुर	..	1	..	..	..	..	..	1
19.	टीकमगढ़	..	3	..	..	..	..	..	3
20.	रायपुर	..	6	..	8	..	21	..	35
21.	दुर्ग	..	5	..	13	..	9	..	27
22.	बस्तर	..	8	..	7	1	12	1	27
23.	राजनांदगांव	..	1	..	6	..	5	..	12
24.	बिलासपुर	..	7	..	16	..	11	..	34
25.	सरगुजा	..	..	..	..	6	17	6	17
26.	रायगढ़	..	..	..	3	3	8	3	11
27.	ग्वालियर	..	8	..	..	1	22	1	30
28.	भिण्ड	..	..	..	..	..	2	..	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	मुरैना	..	..	..	..	..	1	..	1
30.	शिवपुरी	1	1	..	..	..	5	1	6
31.	दतिया	..	..	..	2	..	1	..	3
32.	गुना	..	2	..	..	..	1	..	3
33.	इन्दौर	..	3	..	..	..	15	..	18
34.	धार	..	3	..	..	..	6	..	9
35.	खरगोन	1	2	..	8	1	12	2	22
36.	झाबुआ	..	..	..	5	..	3	..	8
37.	उज्जैन	..	9	..	4	..	36	..	49
38.	रतलाम	..	2	..	2	..	3	..	7
39.	मन्दसौर	..	..	..	3	..	4	..	7
40.	शाजापुर	..	4	..	..	..	6	..	10
41.	रीवा	..	..	..	..	..	..	..	..
42.	सतना	..	1	..	..	..	..	..	1
43.	सीधी	..	1	..	..	..	..	..	1
44.	शहडोल	..	6	..	..	..	..	..	6
45.	देवास	..	1	..	4	..	1	..	6
	योग ..	7	143	—	164	15	383	22	69

जिलेवार शिक्षक संख्या (कुल शिक्षक)

उप शालाएं

क्रमांक	जिला	शासकीय		स्थानीय निकाय		अन्य		योग	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भोपाल	..	..	..	..	...	..	...	..
2.	सीहोर	8	1	..	..	..	..	8	1
3.	रायसेन	68	14	..	..	..	..	68	14
4.	विदिशा	3	..	..	..	..	..	3	..
5.	राजगढ़	61	8	..	..	..	..	61	8
6.	होशंगाबाद	56	8	..	..	..	..	56	8
7.	बैतूल	52	13	..	..	..	..	52	13
8.	खंडवा	55	11	..	..	..	..	55	11
9.	छिन्दवाड़ा	119	14	..	..	..	..	119	14
0.	नरसिंहपुर	54	2	..	..	..	..	54	2
1.	सिवनी	70	1	..	..	..	..	70	1
2.	जबलपुर	42	2	..	..	..	..	42	2
3.	मंडला	33	1	..	..	..	..	33	1
4.	बालाघाट	42	3	..	..	..	..	42	3
5.	सागर	157	18	..	..	..	..	157	18
6.	दमोह	51	1	..	..	..	..	51	1
7.	पन्ना	19	2	..	..	..	..	19	2
8.	छतरपुर	48	2	..	..	..	..	48	2
9.	टीकमगढ़	36	4	..	..	..	..	36	4
	रायपुर	59	..	..	..	..	..	59	..
1.	दुर्ग	39	3	..	..	.	..	39	3
2.	बस्तर	60	14	..	..	..	..	60	14
3.	राजनांदगांव	70	7	..	..	..	..	70	7
4.	बिलासपुर	96	4	..	..	..	..	96	4
5.	सरगुजा	49	3	..	..	..	..	49	3
6.	रायगढ़	124	9	..	..	..	..	124	9
7.	ग्वालियर	40	2	..	..	..	..	40	2
8.	भिण्ड	43	5	..	..	..	..	43	5
9.	मुरैना	40	10	..	..	..	..	40	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	शिवपुरी	43	6	..	..	..	..	43
31.	दतिया	19	5	..	..	..	..	19
32.	गुना	43	1	..	..	..	..	43
33.	इन्दौर	42	4	..	..	..	..	42
34.	धार	2	1	..	..	..	..	2
35.	देवास	57	1	..	..	..	..	57
36.	खरगोन	7	..	..	..	..	..	7
37.	झाबुआ	1	..	..	..	..	..	1
38.	उज्जैन	19	1	..	..	..	..	19
39.	रतलाम	10	2	..	..	..	..	10
40.	मन्दसौर	12	1	..	..	..	..	12
41.	शाजापुर	40	4	..	..	..	..	40
42.	रीवा	86	14	..	..	..	..	86
43.	सीधी	64	2	..	..	..	..	64
44.	सतना	65	6	..	..	..	..	65
45.	शहडोल	134	1	..	..	..	..	134
योग ...		2238	211	..	..	..	..	2238

जिलेवार प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या

(उच्चतर माध्यमिक)

क्रमांक	जिले का नाम	शासकीय		स्थानीय निकाय		अन्य		योग	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भोपाल	282	250	..	..	67	101	349	351
2.	सीहोर	192	22	..	..	..	..	192	22
3.	रायसेन	185	22	..	..	..	..	185	22
4.	विदिशा	160	33	..	..	10	..	170	33
5.	राजगढ़	195	18	..	..	..	..	195	18
6.	होशंगाबाद	573	115	..	..	76	53	649	168
7.	बैतूल	249	55	62	1	..	..	311	56
8.	खण्डवा	287	101	..	..	171	56	458	157
9.	छिन्दवाड़ा	330	75	68	..	124	34	522	109
10.	नरसिंहपुर	394	60	..	2	70	3	464	65
11.	सिवनी	276	56	..	..	35	..	311	56
12.	जबलपुर	526	230	49	44	521	407	1096	681
13.	मंडला	247	41	9	..	18	8	274	49
14.	बालाघाट	256	53	14	..	16	3	286	56
15.	सागर	408	104	61	29	121	66	590	199
16.	दमोह	157	65	16	..	44	5	217	70
17.	पन्ना	212	24	..	..	3	..	215	24
18.	छतरपुर	417	63	..	..	3	..	420	63
19.	टीकमगढ़	274	34	..	..	6	..	280	34
20.	रायपुर	587	149	98	48	192	66	877	263
21.	दुर्ग	523	89	14	..	254	86	791	175
22.	बास्तर	192	28	4	1	5	5	201	34
23.	राजनांदगांव	278	99	32	..	6	..	316	99
24.	बिलासपुर	827	170	80	11	148	60	1055	241
25.	सारगुजा	328	44	4	..	29	17	361	61
26.	रायगढ़	314	46	48	11	62	81	424	88
27.	ग्वालियर	292	143	..	..	93	66	385	209
28.	भिण्ड	259	21	..	..	61	4	320	33
29.	मुरैना	239	30	..	..	72	..	311	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	शिवपुरी	163	25	..	..	21	3	184	28
31.	दतिया	108	17	..	..	..	..	108	17
32.	गुना	193	28	..	..	5	1	198	29
33.	इन्दौर	597	226	..	38	110	225	707	489
34.	धार	325	33	..	..	1	1	326	34
35.	देवास	199	38	..	..	..	6	199	44
36.	खरगोन	381	72	..	..	2	..	383	72
37.	झाबुआ	164	32	..	..	..	..	164	32
38.	उज्जैन	356	110	..	..	32	20	388	130
39.	रतलाम	262	45	..	..	13	28	275	73
40.	मन्दसौर	444	62	..	..	16	..	460	67
41.	शाजापुर	207	31	..	..	5	..	212	31
42.	रीवा	865	91	..	..	53	4	918	95
43.	सतना	645	66	..	..	18	13	663	79
44.	सीधी	288	12	..	..	..	..	288	12
45.	शहडोल	376	46	..	..	9	1	385	47
	योग ..	15032	3182	559	185	2492	1378	18083	4745

जिलेवार प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या (माध्यमिक)

क्रमांक	जिले का नाम	शासकीय		स्थानीय निकाय		अन्य		योग	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भोपाल	368	334	..	..	11	41	379	375
2.	सीहोर	449	68	..	..	..	..	449	68
3.	रायसेन	586	71	..	..	..	..	586	71
4.	विदिशा	398	76	..	..	..	..	398	76
5.	राजगढ़	646	130	..	..	..	..	646	130
6.	होशंगाबाद	252	66	397	8	2	4	651	78
7.	बैतूल	243	45	112	4	2	..	357	49
8.	खण्डवा	172	120	298	39	3	14	473	173
9.	छिन्दवाड़ा	303	64	138	9	9	1	450	74
10.	नरसिंहपुर	161	141	359	49	..	..	520	190
11.	सिवनी	180	37	222	11	..	..	402	48
12.	जबलपुर	347	156	695	236	78	78	1120	470
13.	मंडला	235	42	291	30	20	5	546	77
14.	बालाघाट	224	38	337	27	2	2	563	67
15.	सागर	192	124	302	35	2	14	496	173
16.	दमोह	147	20	204	32	4	2	355	54
17.	पन्ना	349	45	..	..	2	..	351	45
18.	छतरपुर	669	82	..	..	..	3	669	85
19.	टीकमगढ़	514	51	..	..	..	..	514	51
20.	रायपुर	363	90	642	123	14	5	1019	218
21.	दुर्ग	327	51	368	27	54	21	749	99
22.	बस्तर	133	15	108	7	1	6	242	28
23.	राजनांदगांव	221	21	123	6	1	1	345	24
24.	बिलासपुर	353	45	607	25	11	11	971	81
25.	सरगुजा	197	21	104	..	8	9	309	30
26.	रायगढ़	280	23	104	..	48	31	432	54
27.	ग्वालियर	754	300	..	..	86	37	840	337
28.	भिण्ड	1941	112	..	..	6	..	1947	112
29.	मुरैना	815	66	..	..	14	..	829	66
30.	शिवपुरी	664	112	..	..	6	10	670	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	दतिया	281	38	..	..	..	..	281	38
32.	गुना	613	114	..	..	2	4	615	118
33.	इन्दौर	1147	665	..	..	19	217	1166	882
34.	धार	556	141	..	..	7	13	563	154
35.	देवास	784	117	..	..	3	7	787	124
36.	खरगोन	1089	131	..	..	1	10	1090	141
37.	झाबुआ	193	17	..	..	5	9	198	26
38.	उज्जैन	747	216	..	..	14	24	761	240
39.	रतलाम	649	145	..	..	9	27	658	171
40.	मंदसौर	1181	207	1	3	22	19	1204	229
41.	शाजापुर	745	89	..	..	..	..	745	89
42.	रीवा	1481	162	..	..	10	7	1491	169
43.	सतना	912	75	..	..	11	6	923	81
44.	सीधी	472	21	..	..	1	..	473	21
45	शहडोल	850	143	..	..	14	9	864	152
	योग ..	24183	4847	5412	671	502	647	30097	6165

जिलेवार प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या (प्राथमिक शाला)

क्रमांक	जिले का नाम	शासकीय		स्थानीय निकाय		अन्य		योग	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भोपाल	603	880	..	..	..	4	603	884
2.	सीहोर	916	172	..	..	..	3	916	175
3.	रायसेन	1330	178	..	..	..	..	1330	178
4.	विदिशा	1287	221	..	..	30	4	1317	225
5.	राजगढ़	826	54	..	..	..	..	826	54
6.	होशंगाबाद	329	168	1197	179	26	44	1552	391
7.	बैतूल	762	88	900	131	17	18	1679	237
8.	खण्डवा	388	126	1118	273	43	63	1549	462
9.	छिन्दवाड़ा	943	96	1177	255	27	36	2147	387
10.	नरसिंहपुर	353	64	738	182	..	10	1091	256
11.	सिवनी	581	116	697	75	12	9	1290	200
12.	जबलपुर	770	314	1588	982	36	234	2394	1530
13.	मंडला	628	124	941	75	77	9	1646	208
14.	बालाघाट	713	133	1382	88	2	9	2097	230
15.	सागर	455	216	1107	259	14	55	1576	530
16.	दमोह	265	94	665	130	5	16	935	240
17.	पन्ना	722	89	..	..	1	3	723	92
18.	छतरपुर	1125	158	..	..	6	4	1131	162
19.	टीकमगढ़	933	98	..	..	..	..	933	98
20.	रायपुर	652	306	2822	353	192	20	3666	679
21.	दुर्ग	742	215	996	118	284	320	2022	653
22.	बस्तर	678	69	895	81	6	12	1579	162
23.	राजनांदगांव	622	100	826	126	..	..	1448	226
24.	बिलासपुर	1589	278	2713	245	51	61	4353	584
25.	सरगुजा	901	44	1259	62	25	56	2185	162
26.	रायगढ़	762	38	1665	92	81	77	2508	207
27.	ग्वालियर	1408	843	..	..	52	66	1460	909
28.	भिण्ड	1194	140	..	..	15	4	1209	144
29.	मुरैना	2115	161	..	..	40	2	2155	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	शिवपुरी	1107	89	..	..	25	..	1132	89
31.	दतिया	593	56	..	..	..	..	593	56
32.	गुना	1059	95	..	..	2	3	1061	98
33.	इंदौर	1161	730	25	35	30	183	1216	948
34.	धार	685	75	..	..	3	1	688	76
35.	देवास	761	148	..	2	2	13	763	163
36.	खरगोन	1181	106	..	..	5	9	1186	115
37.	झाबुआ	412	40	..	..	2	12	414	52
38.	उज्जैन	1211	324	..	..	191	180	1402	504
39	रतलाम	757	254	..	4	3	7	760	265
40.	मंदसौर	1360	156	..	3	7	6	1367	165
41	शाजापुर	781	114	..	..	1	1	782	115
42.	रीवा	1802	145	..	..	10	1	1812	146
43.	सतना	1402	115	..	2	2	7	1404	124
44.	सीधी	1133	40	..	..	2	7	1135	47
45.	शहडोल	1572	80	..	..	..	..	1572	80
	योग..	41569	8150	22711	3752	1327	1569	65607	13471

जिलेवार प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या (पूर्व प्राथमिक)

क्रमांक	जिले का नाम	शासकीय		स्थानीय निकाय		अन्य		योग	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भोपाल	..	..	..	..	..	..	..	..
2.	सीहोर	..	..	..	..	..	..	..	..
3.	रायसेन	..	3	..	..	..	..	..	3
4.	विदिशा	..	9	..	..	..	..	..	9
5.	राजगढ़	..	3	..	..	..	..	..	3
6.	होशंगाबाद	..	5	..	6	..	7	..	18
7.	बैतूल	..	2	..	4	..	..	..	6
8.	खण्डवा	..	5	..	5	..	17	..	27
9.	छिन्दवाड़ा	..	2	..	7	..	22	..	31
10.	नरसिंहपुर	..	..	..	11	..	3	..	14
11.	सिवनी	..	2	..	3	..	3	..	7
12.	जबलपुर	..	9	..	19	..	46	..	74
13	मंडला	..	1	..	3	..	..	..	4
14.	बालाघाट	..	3	..	7	..	7	..	17
15.	सागर	..	4	..	4	1	14	1	22
16.	छतरपुर	..	1	..	..	..	..	..	1
17.	टीकमगढ़	..	3	..	..	..	..	..	3
18.	दमोह	..	1	..	8	..	3	..	12
19.	पन्ना	..	..	..	..	..	..	..	..
20.	रायपुर	..	4	..	4	..	18	..	26
21.	दुर्ग	..	5	..	8	..	6	..	19
22.	बस्तर	..	..	..	3	..	7	..	10
23.	राजनांदगांव	..	1	..	5	..	4	..	10
24.	बिलासपुर	..	6	..	15	..	6	..	27
25.	सरगुजा	..	..	..	..	..	4	..	4
26.	रायगढ़	..	..	..	1	..	6	..	7
27.	ग्वालियर	..	8	..	..	..	12	1	20
28.	भिण्ड	..	..	..	..	..	..	..	..
29.	मुरैना	..	..	..	..	..	1	..	1
30.	शिवपुरी	1	..	..	..	..	3	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	दतिया	..	..	..	1	..	1	..	2
32.	गुना	..	2	..	..	..	..	..	2
33.	इंदौर	..	3	..	..	..	13	..	16
34.	धार	..	3	..	..	..	5	..	8
35.	देवास	..	1	..	1	..	1	..	3
36.	खरगोन	1	1	..	2	..	5	1	8
37.	झाबुआ	..	..	..	3	..	3	..	5
38.	उज्जैन	..	9	..	2	..	11	..	22
39.	रतलाम	..	2	..	1	..	1	..	4
40.	मंदसौर	..	..	..	2	..	2	..	4
41	शाजापुर	..	3	..	..	..	5	..	8
42.	रीवा	..	..	..	..	..	..	..	..
43.	सतना	..	1	..	..	..	..	..	1
44.	सीधी	..	1	..	..	..	..	..	1
45.	शहडोल	..	6	..	..	..	..	..	6
	योग	.. 2	109	..	125	2	234	4	468

जिलेवार प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या (उपशालाएं)

क्रमांक	जिले का नाम	शासकीय		स्थानीय निकाय		अन्य		योग	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भोपाल	..	..	..	..	..	..	..	..
2.	सीहोर	1	1	..	..	..	..	1	1
3.	रायसेन	..	..	..	..	..	..	..	..
4.	विदिशा	..	..	..	..	..	..	..	..
5.	राजगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..
6.	होशंगाबाद	2	2	..	..	..	..	2	2
7.	बैतूल	..	..	..	..	..	..	..	..
8.	खण्डवा	2	3	..	..	..	..	2	3
9.	छिन्दवाड़ा	2	3	..	..	..	..	2	3
10.	नरसिंहपुर	..	2	..	..	..	..	..	2
11.	सिवनी	3	..	..	..	..	..	3	..
12.	जबलपुर	..	..	..	..	..	..	..	..
13.	मंडला	..	..	..	..	..	..	..	..
14.	बालाघाट	2	..	..	..	..	..	2	..
15.	सागर	1	1	..	..	..	..	1	1
16.	दमोह	5	..	..	..	..	..	5	..
17.	पन्ना	..	..	..	..	..	..	..	..
18.	छतरपुर	..	..	..	..	..	..	..	..
19.	टीकमगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..
20.	रायपुर	..	..	..	..	..	..	..	..
21.	दुर्ग	..	1	..	..	..	..	..	1
22.	बस्तर	..	..	..	..	..	..	..	..
23.	राजनांदगांव	..	..	..	..	..	..	..	..
24.	बिलासपुर	..	..	..	..	..	..	..	..
25.	सरगुजा	..	..	..	..	..	..	..	..
26.	रायगढ़	2	..	..	..	..	..	2	..
27.	ग्वालियर	..	..	..	..	..	..	..	..
28.	भिण्ड	1	1	..	..	..	..	1	1
29.	मुरैना	6	1	..	..	..	..	6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	शिवपुरी	6	1	..	..	..	..	6	1
31.	दतिया	..	..	..	..	..	..	..	..
32.	गुना	..	..	..	..	..	..	..	..
33.	इंदौर	7	2	..	..	..	..	7	2
34.	धार	..	..	..	..	..	..	..	..
35.	देवास	..	..	..	..	..	..	..	..
36.	खरगोन	..	..	.	..	..	..	..	..
37.	झाबुआ	..	..	..	..	..	..	..	..
38.	उज्जैन	..	..	..	..	..	..	..	..
39.	रतलाम	..	..	..	..	..	..	..	..
40.	मंदसौर	..	..	..	..	..	..	..	..
41.	शाजापुर	..	..	..	..	..	..	..	..
42.	रीवा	..	..	..	..	..	..	..	..
43.	सतना	1	..	..	..	..	..	1	..
44.	सीधी	..	..	..	..	..	..	..	..
45.	शहडोल	..	..	..	..	..	..	..	..
	योग	.. 41	18	..	..	..	..	41	18

खण्ड –2

विशिष्ट क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाएं

अध्याय–1

मध्यप्रदेश में स्त्री शिक्षा

बालिकाओं की शिक्षा के विकास के लिए राज्य में निम्नानुसार कन्या शालाएं संचालित हैं:—

	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	योग
उच्चत्तर माध्यमिक	54	280	334
माध्यमिक	403	548	951
प्राथमिक	856	2482	3338
पूर्व–प्राथमिक	119	124	243
उपशाला	–	2	2
योग	1432	3436	4868

उपरोक्त शालाओं में निम्नांकित तालिका में दर्शाई गई संख्या अनुसार बालिकाओं ने अध्ययन किया:—

उच्चत्तर माध्यमिक	166533
माध्यमिक	287348
प्राथमिक	1133718
पूर्व–प्राथमिक	11207
उपशाला	23053
योग	16,21,859

राज्य में 32,790 शिक्षिकाएं बालिकाओं को विभिन्न स्तर पर मार्ग दर्शन करती हैं।

राज्य स्त्री शिक्षा परिषद

मध्यप्रदेश में सन् 1960 में राज्य स्त्री शिक्षा परिषद की स्थापना शासन द्वारा की गई और इसका पुनर्गठन क्रमशः सन् 1964 एवं 1973 में हुआ।

इस संस्था का मुख्य लक्ष्य महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षित करना तथा उनके स्तर का उन्नयन करना है। विशेष कर पिछड़े वर्ग एव देहात की महिला एवं बालिकाओं को आगे बढ़ाना भी इसका मुख्य लक्ष्य है। इस परिषद की जिला स्तरीय समितियां हैं। इन समितियों के माध्यम से ग्रामीण एवं पिछड़े वर्ग को लाभान्वित किया जा रहा है। परिषद को शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1962 से आवश्यकतानुसार अनुदान भी दिया जाता है। इस अनुदान में से ग्रामीण क्षेत्र की निर्धन बालिकाओं को गणवेश, पुस्तकें, स्टेशनरी, स्लेट पेन्सिल एवं बस्तों का प्रदाय किया गया है।

परिषद के अनुरोध पर बालिकाओं को शासन द्वारा छात्रवृत्तियां, गणवेश, एवं बुक बैंक योजनान्तर्गत पुस्तकें भी दी जाती हैं।

परिषद द्वारा शासन के सहयोग से दिनांक 14-2-75 को लाल परेड मैदान भोपाल में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के उपलक्ष में महिलाओं की एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। प्रत्येक जिले में महिला शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। कन्या शालाओं में स्वच्छता अभियान चलाया गया।

परिषद के उपरोक्त कार्यकलापों द्वारा बालिका शिक्षा की दिन प्रतिदिन प्रगति हो रही है।

बालिका शिक्षानिधि समिति

वर्ष 1974–75 में 1000 प्रति जिले के हिसाब से 10 जिलों में (मण्डला/गुना/सरगुजा/बस्तर/धार/झाबुआ/छतरपुर/सीधी/टीकमगढ़ तथा राजगढ़) कक्षा पहली से 5 वीं (पांचवी) तक की बालिकाओं को निशुल्क गणवेश के जोड़े तथा पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई।

फरवरी 1975 से 10 जिलों में (धार/बस्तर/सरगुजा/छिन्दवाड़ा/सीधी/छतरपुर/राजगढ़/गुना तथा मण्डला) प्राथमिक स्तर पर अंशकालीन शिक्षा योजना लागू की गई। इसके साथ साथ 45 बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं में भी केन्द्र खोले गए। इस योजना के अन्तर्गत प्रति शिक्षक को रुपये 25/– प्रति छात्र के हिसाब से पारिश्रमिक दिया गया। रुपये 25/–प्रति छात्र उत्तीर्ण होने पर शिक्षकों की पारिश्रमिक दिया जायगा। बुक बैंक योजनान्तर्गत पुस्तकें भी वितरित की जाती हैं।

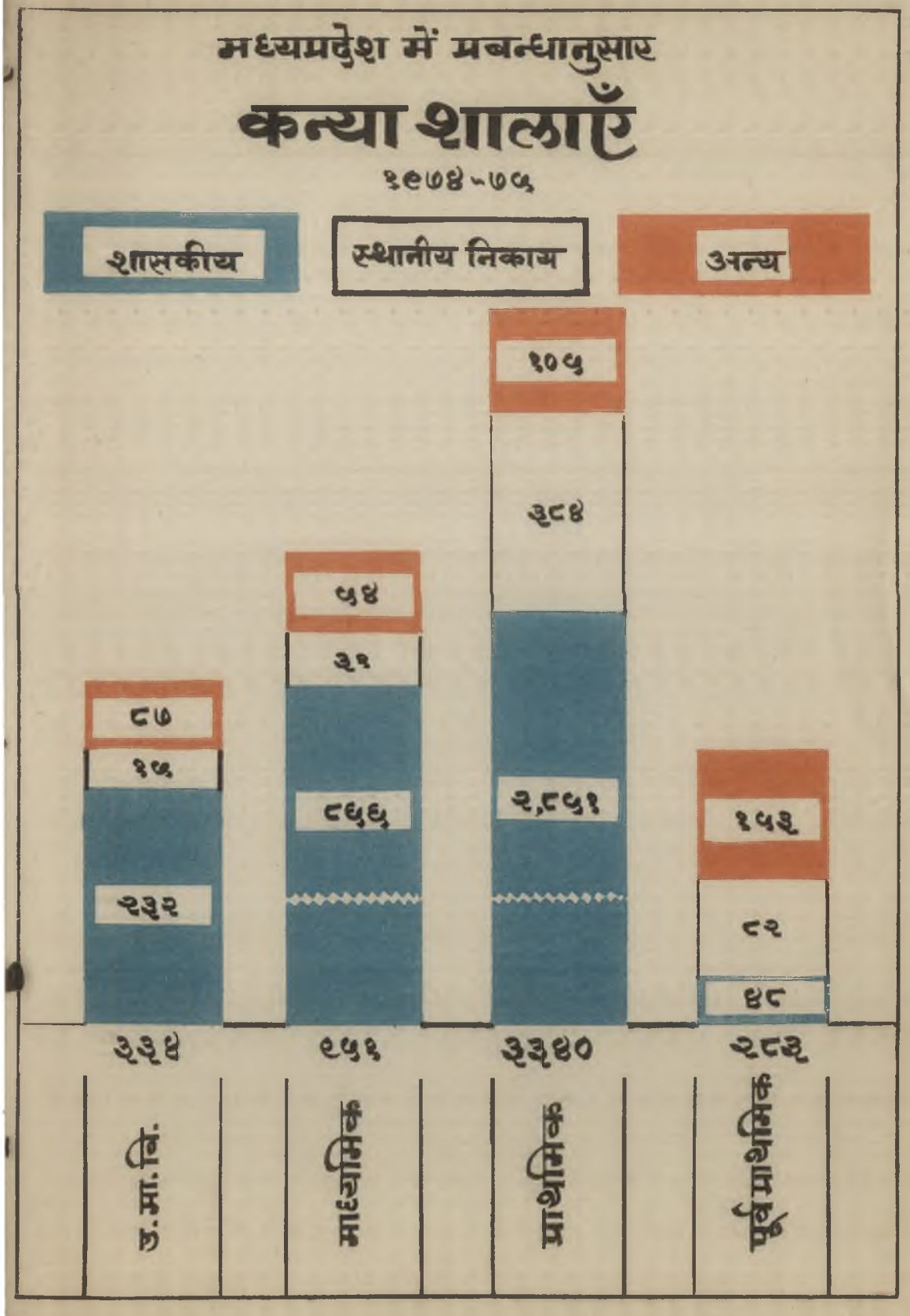

मध्यप्रदेश में प्रबन्धानुसार

कन्या शालाएँ

१९७४-७५

राज्य स्त्री शिक्षा परिषद

मध्यप्रदेश में सन् 1960 में राज्य स्त्री शिक्षा परिषद की स्थापना शासन द्वारा की गई और इसका पुनर्गठन क्रमशः सन् 1964 एवं 1973 में हुआ।

इस संस्था का मुख्य लक्ष्य महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षित करना तथा उनके स्तर का उन्नयन करना है। विशेष कर पिछड़े वर्ग एव देहात की महिला एवं बालिकाओं को आगे बढ़ाना भी इसका मुख्य लक्ष्य है। इस परिषद की जिला स्तरीय समितियां हैं। इन समितियों के माध्यम से ग्रामीण एवं पिछड़े वर्ग को लाभान्वित किया जा रहा है। परिषद को शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1962 से आवश्यकतानुसार अनुदान भी दिया जाता है। इस अनुदान में से ग्रामीण क्षेत्र की निर्धन बालिकाओं को गणवेश, पुस्तकें, स्टेशनरी, स्लेट पेन्सिल एवं बस्तों का प्रदाय किया गया है।

परिषद के अनुरोध पर बालिकाओं को शासन द्वारा छात्रवृत्तियां, गणवेश, एवं बुक बैंक योजनान्तर्गत पुस्तकें भी दी जाती हैं।

परिषद द्वारा शासन के सहयोग से दिनांक 14-2-75 को लाल परेड मैदान भोपाल में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के उपलक्ष में महिलाओं की एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। प्रत्येक जिले में महिला शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। कन्या शालाओं में स्वच्छता अभियान चलाया गया।

परिषद के उपरोक्त कार्यकलापों द्वारा बालिका शिक्षा की दिन प्रतिदिन प्रगति हो रही है।

बालिका शिक्षानिधि समिति

वर्ष 1974–75 में 1000 प्रति जिले के हिसाब से 10 जिलों में (मण्डला/गुना/सरगुजा/बस्तर/धार/झाबुआ/छतरपुर/सीधी/टीकमगढ़ तथा राजगढ़) कक्षा पहली से 5 वीं (पांचवी) तक की बालिकाओं को निशुल्क गणवेश के जोड़े तथा पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई।

फरवरी 1975 से 10 जिलों में (धार/बस्तर/सरगुजा/छिन्दवाड़ा/सीधी/छतरपुर/राजगढ़/गुना तथा मण्डला) प्राथमिक स्तर पर अंशकालीन शिक्षा योजना लागू की गई। इसके साथ साथ 45 बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं में भी केन्द्र खोले गए। इस योजना के अन्तर्गत प्रति शिक्षक को रुपये 25/– प्रति छात्र के हिसाब से पारिश्रमिक दिया गया। रुपये 25/–प्रति छात्र उत्तीर्ण होने पर शिक्षकों की पारिश्रमिक दिया जायगा। बुक बैंक योजनान्तर्गत पुस्तकें भी वितरित की जाती हैं।

मध्यप्रदेश में प्रबन्धानुसार

कन्या शालाएँ

१९७४-७५

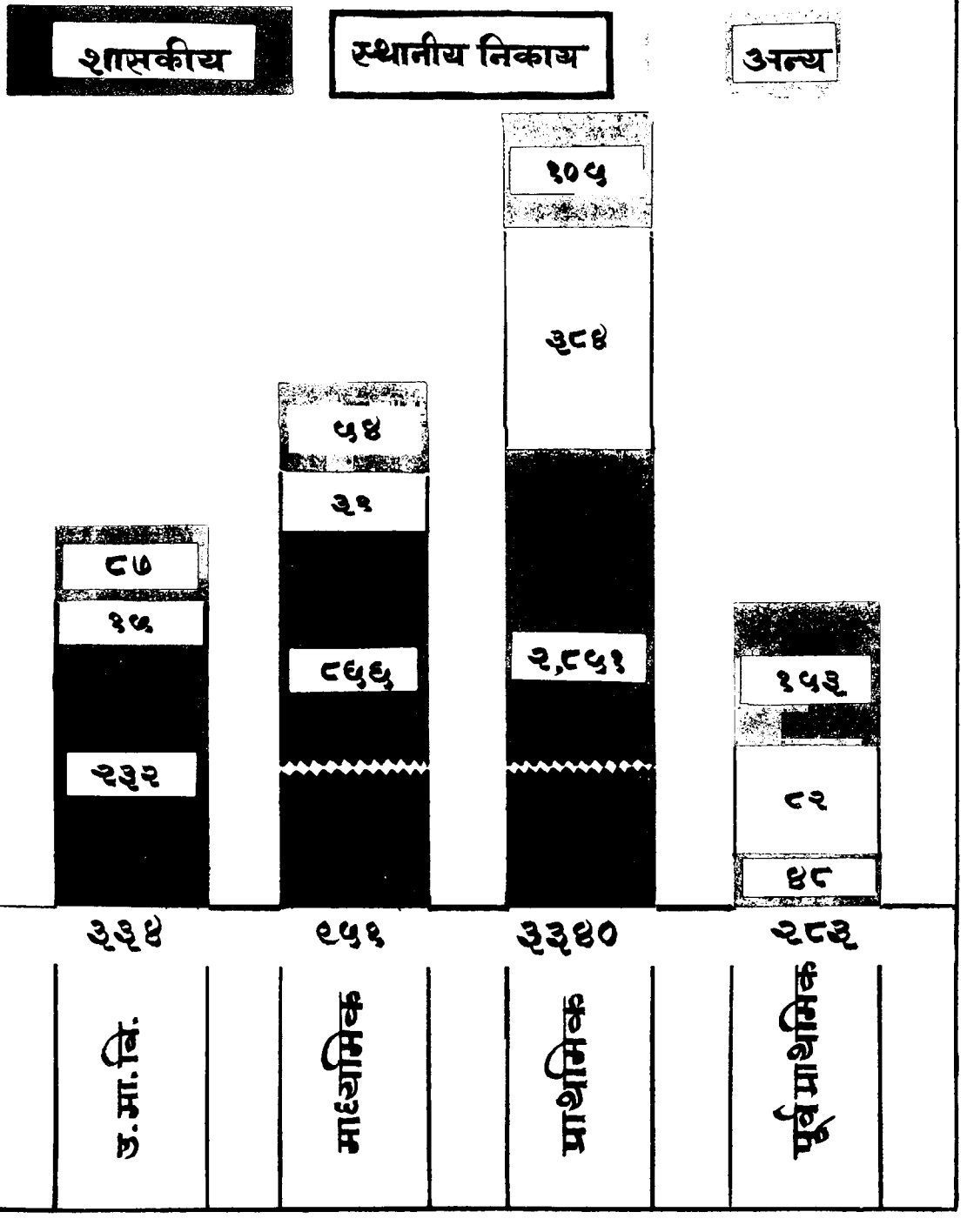

अध्याय–2

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाएं

क्रमांक	शाला का प्रकार	संस्थाओं की संख्या		छात्र संख्या (लाखों में)		शिक्षक संख्या		व्यय (लाखों में)
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	पुरुष	महिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	उच्चतर माध्यमिक	1066	54	1.72	0.21	11703	542	784.43
2.	माध्यमिक	6398	548	6.30	1.47	31324	3714	1138.94
3.	प्राथमिक	42586	2482	18.89	7.68	72184	7073	2633.92
4.	उपशाला	2447	2	0.49	0.23	2238	211	24.63
5.	पूर्व-प्राथमिक	24	124	0.04	0.03	4	184	7.45
	योग ..	52521	3210	27.44	9.62	117453	11724	4589.37

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शालाओं का राज्य की कुल शालाओं से प्रतिशत

क्रमांक	शाला का प्रकार	राज्य में कुल शालाओं की संख्या	ग्रामीण क्षेत्र में संचालित शालाओं की संख्या	ग्रामीण क्षेत्र में संचालित शालाओं का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	उच्चतर माध्यमिक	1995	1120	56.14
2.	माध्यमिक	8346	6946	83.22
3.	प्राथमिक	48606	45068	92.72
4.	उपशाला	2449	2449	100
5.	पूर्व प्राथमिक	394	148	37.56

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शालाओं में अध्ययनरत छात्रों का राज्य की कुल संख्या का प्रतिशत

क्रमांक	शाला का प्रकार	कुल छात्र संख्या	ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में छात्र संख्या (प्रतिशत)	ग्रामीण क्षेत्र की छात्र संख्या का कुल संख्या से प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	उच्चतर माध्यमिक	620897	1.93	31.08
2.	माध्यमिक	1107866	7.77	70.13
3.	प्राथमिक	3517341	26.57	75.54
4.	उपशाला	72425	0.72	100
5.	पूर्व प्राथमिक	24469	0.07	28.60

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों का राज्य के कुल शिक्षकों से प्रतिशत

क्रमांक	शाला का प्रकार	कुल शिक्षक	ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में शिक्षक	ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं के शिक्षकों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	उच्चतर माध्यमिक	30854	12245	39.69
2.	माध्यमिक	46670	35038	75.08
3.	प्राथमिक	103036	79257	76.92
4.	उपशाला	2449	2449	100
5.	पूर्व प्राथमिक	712	188	26.40

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शालाओं पर राज्य की कुल शालाओं से प्रतिशत व्यय

(व्यय हजारों में)

क्रमांक	शाला का प्रकार	कुल व्यय	ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं पर व्यय	ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं पर व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	उच्चतर माध्यमिक	2160.66	784.43	36.30
2.	माध्यमिक	1745.26	1138.94	65.25
3.	प्राथमिक	3602.08	2633.92	73.12
4.	उपशाला	24.63	24.63	100
5.	पूर्व प्राथमिक	24.44	7.45	30.48

अध्याय--3

आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा

पिछड़े वर्गों की उन्नति मूलभूत आधार उनकी शैक्षणिक उन्नति है। शैक्षणिक विकास से ही उनमें सामाजिक जागृति का उन्मेष होता है यही कारण है कि पूरक योजनाओं के अन्तर्गत शैक्षणिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं परीक्षा सुविधा के साथ राज्य तथा केन्द्र सरकार की छात्रवृत्तियां दी गई है। शासन ने महाविद्यालयीन स्तर के छात्रों की छात्रवृत्ति में काफी वृद्धि की है तथा उनके अभिभावकों की आय सीमा इस हेतु 500 रुपये तक होने पर भी छात्रवृत्ति सुविधा दी है। इन सुविधाओं ने अनुसूचित समुदाय का ध्यान शिक्षा की ओर आकर्षित किया है और सभी स्तरों पर छात्रों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है।

छात्रावासों की व्यवस्था :

शैक्षणिक आवास के लिए छात्रावासों की व्यवस्था करना अनिवार्य है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में नीचे दिये गये विवरण अनुसार छात्रावासों की व्यवस्था की गई है। आवास व्यवस्था के साथ ही उपकरण एवं भोजन बनाने के लिए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सुविधा प्रदान की गई है तथा छात्रावासों में वाचनालय, खेल कूद आदि का भी प्रबन्ध किया गया है। विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की जानकारी निम्नानुसार है:—

विभाग द्वारा संचालित छात्रावास	हरिजन		आदिवासी	
	संख्या	उपलब्ध स्थान	संख्या	उपलब्ध स्थान
1	2	3	4	5
पूर्व माध्यमिक	246	5167	1255	28628
मैट्रिकोत्तर	32	1600	26	1500

उक्त तालिका में दर्शाये गए छात्रवासी छात्रों को जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर 45/–एवं तहसील स्तर से नीचे छात्रावासियों को 40/–प्रतिमाह शिष्यवृत्ति प्रदाय की जाती है।

इसके अतिरिक्त शासकीय अनुदान से अशासकीय संस्थाओं द्वारा 40 आदिवासी एवं 13 हरिजन छात्रावास भी संचालित है तथा कुल 1612 छात्रावासों ने 38767 छात्रों के लिए शिष्यवृत्ति तथा निःशुल्क आवास सुविधा उपलब्ध की है।

आश्रम शालायें :—

हरिजन/आदिवासी एव विमुक्त जाति प्रायमरी के छात्र/छात्राओं के उत्थान हेतु आश्रम शालायें भी प्रारम्भ की गई है। इन आश्रम शालाओं का उद्देश्य छात्र एवं छात्राओं में अच्छे संस्कार डालना, उनको प्रारंभिक शिक्षा देना तथा उनकी देख भाल करना है। राज्य में खोली गई आश्रम शालाओं का विवरण निम्नानुसार है:—

आश्रम शालाएं	आश्रम शालाओं की संख्या	उपलब्ध स्थान
1–हरिजन	7	150
2–आदिवासी	131	2820
3 विमुक्त जाति	15	710

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित

शिक्षा शालाएँ

१९७४-७५

अन्य वित्तीय सहायता :

अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शासन द्वारा प्रत्येक स्तर पर शिक्षण शुल्क से मुक्त रखा है जो छात्र एवं छात्रायें अशासकीय संस्थाओं में अध्ययन कर रहे है, उन्हें शिक्षण शुल्क की क्षतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है। इसी प्रकार उन वर्गों के छात्रों की माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित उच्चत्तर माध्यमिक परीक्षा शुल्क, अंक सूची की प्रति पूर्ति भी विभाग द्वारा की जाती है। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में इस योजना पर निम्नानुसार व्यय हुआ:—

शिक्षण शुल्क	धनराशि
(अ) हरिजन	3,29,713
(ब) आदिवासी	2,96,069

बोर्ड परीक्षा एवं अंक सूची शुल्क:—

(अ) हरिजन	2,85,767
(ब) आदिवासी	1,77,980

छात्रवृत्ति:—

राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर हरिजन/आदिवासी एवं विमुक्त जाति के छात्रों को 6 वी से 11 वीं तक राज्य छात्रवृत्ति एवं 12 वर्ष से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में वितरित छात्रवृत्ति का विवरण निम्नानुसार है :—

छात्रवृत्तियां	हरिजन		आदिवासी		विमुक्त जाति	
	छात्र संख्या	राशि	छात्र संख्या	राशि	छात्र संख्या	राशि
राज्य छात्रवृत्ति	71,723	98,09,270	46371	48,75,765	13,875	3,31,165
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	7,034	4,07,607	3,237	22,63,927	328	1,70,971

पाठ्य सामग्री का वितरण :—

विभाग द्वारा आदिवासी छात्रों को प्रायमरी स्तर तक की पाठ्य सामग्री का निःशुल्क प्रदाय किया जाता है। जिसके अन्तर्गत स्लेट, स्लेट पेन्सिल एवं राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें क्रय कर प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

विभाग द्वारा संचालित शालाओं का विवरण :—

विभाग द्वारा दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों में प्रायमरी, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाएं संचालित की जारही है जिनका विवरण निम्नानुसार है:—

अनुक्रमांक	संस्थाएं	शालाओं की संख्या	दर्ज छात्रों की संख्या	स्वीकृत पद		कार्यरत कर्मचारी
1	प्राथमिक शालाएं	9156	4,91,038	सहायक शिक्षक	17242	17242
2	माध्यमिक शालाएं	1511	73,347	शिक्षक	1610	1509
				सहायक शिक्षक	3086	1997
3	उच्चतर माध्य० शालाएं	248	30,894	प्राचार्य	210	198
				प्रधानाध्यपक	39	..
				व्याख्याता	0885	231
				शिक्षक	767	739
				उद्योग शिक्षक	218	200
				पी. टी. आई.	23	20
				सं शिक्षक	20	20

अनुसूचित जाति

आयु सीमा 6–11 (कक्षा 1 से 5)

क्रमांक	जिला	शाला जाने योग्य बालक/बालिका			दर्ज संख्या प्रतिशत		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भोपाल	5172	4353	9525	79.3	24.7	54.3
2.	सीहोर	4656	7832	16488	45.8	5.6	26.7
3.	रायसेन	7390	6686	14076	47.2	11.7	30.4
4.	विदिशा	11459	9840	21299	48.5	10.1	30.8
5.	राजगढ़	8756	7944	16710	52.3	9.8	32.1
6.	होशंगाबाद	6989	6001	12990	80.9	30.1	57.4
7.	खण्डवा	6466	5841	12307	98.6	39.6	70.6
8.	बैतूल	6263	5351	11614	97.3	59.5	79.4
9.	छिन्दवाड़ा	9874	6018	15892	97.2	81.8	91.4
10.	नरसिंहपुर	5344	4946	10290	89.8	45.2	68.4
11.	सिवनी	3525	3294	6819	95.8	45.6	71.6
12.	जबलपुर	13827	11034	24861	96.8	52.4	77.1
13.	मण्डला	3971	1969	5940	100	83.9	99.8
14.	बालाघाट	8335	5738	14093	79.2	73.1	76.6
15.	सागर	17286	15453	32739	36.6	12.1	25.0
16.	दमोह	8848	8332	17180	71.5	22.4	47.7
17.	छतरपुर	11144	9647	20791	58.0	10.6	36.0
18.	पन्ना	5543	5156	10659	53.2	9.7	32.5
19.	टीकमगढ़	8867	7769	16636	78.8	19.1	50.9
20.	रायपुर	25704	26223	51927	77.6	23.0	50.0
21.	दुर्ग	12161	11730	23891	81.0	34.9	58.4
22.	बस्तर	14815	8401	23216	74.0	75.4	74.5
23.	राजनांदगांव	6369	6395	12764	100	41.3	72.3
24.	बिलासपुर	29798	29918	59716	82.0	23.7	52.8
25.	सरगुजा	4685	4537	9222	100	59.2	81.7
26.	रायगढ़	9348	9498	18846	75.5	29.8	52.5
27.	उज्जैन	14786	13924	28710	63.1	14.8	40.0
28.	मन्दसौर	10550	9777	20327	83.7	19.6	52.9
29.	रतलाम	5920	5576	11496	47.0	15.2	31.6
30.	शाजापुर	11438	10643	22081	52.5	5.8	30.0
31.	ग्वालियर	16156	8027	24183	86.6	58.4	77.3

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	भिण्ड	14674	8581	23255	92.3	39.4	72.8
33.	मुरैना	16910	12282	29192	95.1	24.3	65.3
34.	शिवपुरी	8797	7554	16351	70.8	11.3	43.3
35.	गुना	11164	9861	21025	65.9	8.48	38.9
36.	दतिया	3513	3090	6603	90.6	17.3	56.3
37.	इन्दौर	11594	10199	21793	95.1	57.2	81.8
38.	देवास	7959	7406	15365	78.5	15.1	47.9
39.	धार	4498	4338	8836	90.8	25.9	59.0
40.	खरगोन	9891	9389	19280	85.7	26.0	56.6
41.	झाबुआ	1335	1303	2638	100	45.8	74.2
42.	रीवा	9594	7849	17443	56.9	8.3	35.0
43.	सतना	9062	8602	17664	57.7	8.6	33.8
44.	सीधी	5969	5734	11703	58.8	10.4	35.1
45.	शहडोल	4269	4068	8337	100	38.9	72.8
	योग	438674	377889	816773	78.2	28.0	54.9

अनुसूचित जाति

आयु सीमा ११–१४ (कक्षा ६ से ८)

क्रमांक	नाम जिला	शाला जाने योग्य बालक/बालिका			दर्ज संख्या प्रतिशत		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भोपाल	2898	2439	5337	23.5	8.3	16.6
2.	सीहोर	4850	4388	9238	12.6	1.2	7.2
3.	रायसेन	4141	3746	7887	13.1	2.1	7.9
4.	विदिशा	6420	5514	11934	8.9	1.0	5.3
5.	राजगढ़	4906	4427	9363	6.2	.41	3.4
6.	होशंगाबाद	3916	3362	7278	35.2	7.1	22.2
7.	खण्डवा	3426	3250	6676	21.9	5.1	13.7
8.	बैतूल	3285	3223	6508	36.3	9.1	22.6
9.	छिन्दवाड़ा	4244	4100	8344	28.0	11.6	19.9
10.	नरसिंहपुर	2994	2771	5765	27.8	8.4	18.5
11.	सिवनी	1976	1878	3854	29.7	6.1	18.3
12.	जबलपुर	6912	6279	13191	33.8	11.8	23.3
13.	मण्डला	1665	1663	3328	46.6	17.8	29.6
14.	बालाघाट	2574	2585	5159	48.1	20.3	34.2
15.	सागर	9786	8658	18344	8.9	1.4	5.4
16.	दमोह	4957	4669	9626	18.5	2.6	10.3
17.	छतरपुर	6244	5405	11649	11.8	1 1	6.8
18.	पन्ना	3105	2867	5972	6.6	.24	3.5
19.	टीकमगढ़	5129	4143	9322	17.2	.50	47.8
20.	रायपुर	14402	14693	29095	24.5	4.6	14.4
21.	दुर्ग	6813	6573	13386	27.3	6.9	17.3
22.	बस्तर	2530	1338	3864	51.9	31.2	43.6
23.	राजनांदगांव	3569	3583	7152	31.4	9.6	20.5
24.	बिलासपुर	16697	16763	33460	6.1	1.2	3.6
25.	सरगुजा	2625	2542	5167	13.6	2.7	8.2
26.	रायगढ़	5238	5322	10560	16.3	4.9	10.7
27.	उज्जैन	8285	7802	16087	26.2	10.5	18.6
28.	मन्दसौर	5911	5478	11389	26.4	3.3	15.3
29.	रतलाम	3317	3124	6441	41.1	6.8	24.5

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	शाजापुर	6409	5963	12372	10.5	4.3	5.6
31.	ग्वालियर	7371	6179	13550	36.3	5.4	22.2
32.	भिण्ड	9313	7775	17088	36.6	1.73	7.32
33.	मुरैना	8914	7442	16356	25.5	2.2	14.9
34.	शिवपुरी	4929	4233	9162	14.7	.94	8.3
35.	गुना	6255	5525	11780	10.2	.52	5.7
36.	दतिया	1968	1732	3700	28.0	1.1	15.4
37.	इन्दौर	6496	5715	12211	52.5	21.1	37.8
38.	देवास	4459	4149	8608	17.7	1.85	10.1
39.	धार	2520	2431	4951	28.2	2.6	15.7
40.	खरगोन	5542	5261	10803	25.7	3.0	14.7
41.	झाबुआ	748	730	1478	24.2	3.0	13.7
42.	रीवा	5375	4398	9773	13.6	0.90	7.9
43.	सतना	5077	4820	9897	12.8	0.8	6.9
44.	सीधी	3344	3213	5557	5.9	0.2	3.1
45.	शहडोल	2392	2279	4671	18.4	1.9	10.4
	योग	233827	214430	448337	22.6	5.1	14.2

अनुसूचित जाति

आयु सीमा 14–17 (कक्षा 9 से 11)

क्रमांक	जिला	शाला जाने योग्य बालक/बालिका			दर्ज संख्या प्रतिशत		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भोपाल	2733	2301	5034	8.4	2.4	5.7
2	सीहोर	4575	4139	8714	5.3	0.38	3.0
3	रायसेन	3905	3534	7439	4.6	0.36	2.6
4	विदिशा	6056	5200	11256	3.4	0.25	2.0
5	राजगढ़	4627	4204	8831	3.7	0.28	2.1
6	होशंगाबाद	3693	3172	6865	14.0	1.7	8.3
7	खण्डवा	3098	3040	6138	22.3	5.4	5.6
8	बैतूल	3098	3040	6138	22.3	5.4	13.9
9	छिंदवाड़ा	4003	3867	7870	44.3	11.2	28.0
10	नरसिंहपुर	2824	2614	5438	13.1	2.3	7.9
11	सिवनी	1721	1622	3343	10.6	1.7	6.3
12	जबलपुर	6519	5922	12441	19.8	6.3	13.4
13	मंडला	1570	1569	3139	28.3	4.5	16.4
14	बालाघाट	2428	2438	4686	28.0	5.9	16.9
15	सागर	9135	8167	17302	4.5	0.62	2.7
16	दमोह	4676	4404	9080	9.0	1.2	5.1
17	छतरपुर	5890	5098	10988	4.0	.08	2.2
18	पन्ना	2929	2704	5633	2.8	0.14	1.5
19	टीकमगढ़	4686	4106	8792	9.5	0.17	.05
20	रायपुर	13584	13859	27443	14.2	0.8	7.5
21	दुर्ग	6427	6199	12626	14.0	2.6	8.4
22	बस्तर	1217	779	1996	19.0	8.98	15.1
23	राजनांदगांव	3366	3380	6746	10.0	3.8	6.8
24	बिलासपुर	15748	15811	31559	11.4	0.8	6.1
25	सरगुजा	2475	3398	4873	10.6	0.5	5.8
26	रायगढ़	4940	5020	9960	9.5	3.2	6.3
27	उज्जैन	7814	7359	15173	8.5	1.5	5.0
28	मन्दसौर	5576	5167	10743	11.0	1.3	6.3
29	रतलाम	3129	2947	6076	19.8	5.4	12.8
30	शाजापुर	6045	5624	11669	5.3	0.24	2.8
31	ग्वालियर	6952	5828	12780	19.8	1.8	11.5
32	भिण्ड	6731	3619	12350	31.3	0.02	17.2

1	2	3	4	5	6	7	8
33	मुरैना	8413	7024	15437	15.5	0.09	8.4
34	शिवपुरी	4649	3992	8641	7.5	0.30	4.2
35	गुना	5900	5211	11111	3.8	0.03	2.0
36	दतिया	1657	1633	3490	11.9	0.18	5.7
37	इन्दौर	6127	5390	11517	20.0	5.6	13.3
38	देवास	4206	3914	8120	7.75	0.2	4.1
39	धार	2377	2292	4669	14.6	0.8	7.8
40	खरगोन	5227	4962	10189	12.6	0.9	6.9
41	झाबुआ	705	689	1394	16.0	2.0	9.1
42	रीवा	5070	4148	9218	10.8	0.3	6.0
43	सतना	4789	4556	9335	5.7	0.26	3.0
44	सीधी	3158	3031	6185	2.1	0.03	1.1
45	शहडोल	2255	2151	4406	6.9	0.4	3.6
	योग..	216558	198866	415424	11.5	1.5	6.7

अनुसूचित जनजाति

आयु सीमा 6–11 (कक्षा 1 से 5)

क्रमांक	जिला	शाला जाने योग्य बालक/बालिका			दर्ज संख्या प्रतिशत		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	२	3	4	5	6	7	8
1.	भोपाल	589	495	1084	78.1	63.8	71.5
2.	सीहोर	2892	2617	5509	39.4	6.0	23.5
3.	रायसेन	5800	5248	11048	38.1	8.0	23.8
4.	विदिशा	2517	2162	4679	18.0	5.3	12.2
5.	राजगढ़	106	97	203	0.0	0.0	0.0
6.	होशंगाबाद	5034	3394	8428	95.0	39.0	72.4
7.	खण्डवा	6148	4802	10950	100.0	40.9	95.3
8.	बैतूल	15710	15412	31122	68.7	20.8	45.0
9.	छिन्दवाड़ा	25466	24604	50070	67.2	24.0	45.9
10.	नरसिंहपुर	4804	4447	9251	74.9	37.26	56.8
11.	सिवनी	18874	17510	36284	60.2	26.5	45.3
12.	जबलपुर	15992	13001	28993	97.4	42.1	72.6
13.	मण्डला	380 57	38026	76083	77.5	26.1	52.2
14.	बालाघाट	11334	5836	17190	80.8	70.4	77.2
15.	सागर	..	..	..	..	..	..
16.	दमोह	..	..	..	..	..	..
17.	छतरपुर	1731	1499	3230	59.1	13.3	38.2
18.	पन्ना	4386	4049	8435	65.9	17.1	42.5
19.	टीकमगढ़	1799	1577	3376	54.0	15.1	35.8
20.	रायपुर	27594	28151	55745	76.4	23.6	49.7
21.	दुर्ग	12980	12521	25501	82.5	33.8	58.6
22.	बस्तर	73798	33582	107380	78.1	74.4	76.9
23.	राजनांदगांव	6724	6751	13475	100.0	65.3	44.0
24.	बिलासपुर	29454	29572	59026	100.0	31.9	69.8
25.	सरगुजा	54558	52839	107397	80.1	43.1	61.9
26.	रायगढ़	42702	43391	86093	79.4	41.1	60.1
27.	उज्जैन	1492	925	2417	10.8	2.5	7.6
28.	मन्दसौर	25	24	49	..	..	..
29.	रतलाम	5779	5443	11222	45.2	6.2	26.3
30.	शाजापुर	23	21	44	13.0	..	6.8
31.	ग्वालियर	1295	1086	8381	51.9	15.2	35.2
32.	भिन्ड	69	58	127	53.6	20.6	38.5

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	मुरैना	3676	3069	6745	35.7	13.4	40.3
34.	शिवपुरी	4331	3719	8050	38.8	5.7	23.5
35.	गुना	4392	3880	8272	44.6	4.79	25.9
36.	दतिया	373	328	701	17.6	2.7	10.6
37.	इन्दौर	70	61	131	100.0	100.0	100.0
38.	देवास	3198	2975	6173	56.2	9.4	33.7
39.	धार	33435	32253	65688	64.0	13.6	39.2
40.	खरगोन	37931	36008	73939	61.6	15.2	39.0
41.	झाबुआ	41002	40030	81032	71.7	20.0	46.2
42.	रीवा	9772	7995	17767	38.3	6.8	24.1
43.	सतना	9536	9052	18588	42.0	8.0	25.5
44.	सीधी	19016	18271	37287	61.4	13.0	37.7
45.	शहडोल	33366	31801	65167	83.0	25.8	55.1
	योग...	617830	548582	1166332	76.3	30.00	54.0

अनुसूचित जनजाति

आयु सीमा 11–14 **(कक्षा** 6 **से** 8**)**

क्रमांक	जिला	शाला जाने योग्य बालक/बालिका			दर्ज संख्या प्रतिशत		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भोपाल	330	277	607	52.7	28.5	41.7
2.	सीहोर	1621	1466	3087	6.7	0.27	3.6
3.	रायसेन	3250	2940	6190	5.5	0.34	3.1
4.	विदिशा	1411	1211	2622	2.8	0.16	0.6
5.	राजगढ़	55	49	104	93.0	0.00	40.0
6.	होशंगाबाद	2540	2182	4722	18.4	4.2	11.8
7.	खण्डवा	2830	2672	5502	15.08	1.8	8.7
8.	बैतूल	8803	8635	17438	5.3	0.6	2.9
9.	छिंदवाड़ा	14268	13787	28055	6.9	1.6	4.3
10.	नरसिंहपुर	2692	2492	5184	11.6	2.0	7.0
11.	सिवनी	10300	9741	20041	7.8	1.6	4.8
12.	जबलपुर	8512	7733	16245	17.1	2.26	10.05
13.	मण्डला	21324	21306	42630	12.1	1.8	6.9
14.	बालाघाट	4334	4358	8688	28.0	5.9	16.9
15.	सागर	..	..	..	..	..	..
16.	दमोह	..	..	..	..	..	..
17.	छतरपुर	970	840	1810	7.6	0 .6	4.4
18.	पन्ना	2458	2268	4726	4.8	0.08	2.5
19.	टीकमगढ़	1008	884	1892	3.4	0.0	2.0
20.	रायपुर	15461	15774	31235	24.6	6.0	15.2
21.	दुर्ग	7273	7015	14288	31.6	7.4	19.7
22.	बस्तर	40164	40003	80167	9.6	1.1	5.4
23.	राजनांदगांव	3767	3783	7550	41.5	6.5	24.0
24.	बिलासपुर	16503	16570	33073	19.1	1.5	10.3
25.	सरगुजा	30569	29607	60176	11.0	1.3	6.3
26.	रायगढ़	23927	24312	48239	26.7	11.1	19.1
27.	उज्जैन	412	219	631	21.8	7.7	17.0
28.	मन्दसौर	14	13	27	..	..	..
29.	रतलाम	3238	3050	6288	16.5	2.7	9.8
30.	शाजापुर	13	12	25	61.5	0.0	32.0
31.	ग्वालियर	726	608	1334	4.7	0.16	2.6

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	भिण्ड	51	42	93	11.7	0.0	6.45
33.	मुरैना	2059	1720	3779	1.7	0.0	0.95
34.	शिवपुरी	2427	2084	4511	1.8	0.0	0.97
35.	गुना	2461	2174	4635	2.1	0.0	1.2
36.	दतिया	209	184	393	4.3	1.6	3.05
37.	इन्दौर	39	35	74	100.0	100.0	100.0
38.	देवास	1792	1667	3459	4.8	.2	2.6
39.	धार	18734	18072	36806	9.2	1.06	5.2
40.	खरगोन	21253	20176	41429	8.0	1.2	4.7
41.	झाबुआ	22974	22429	45403	8.4	1.6	5.0
42.	रीवा	5475	4480	9955	7.3	0.5	4.2
43.	सतना	5343	5072	10415	7.0	0.4	3.8
44.	सीधी	10655	10238	20893	5.8	0.26	3.1
45.	शहडोल	18695	17819	36514	8.4	.7	4.7
	योग ...	340940	329999	670935	12.9	2.4	7.7

अनुसूचित जनजाति

आयु सीमा 14-17 (कक्षा 9 से11)

क्रमांक	जिल	शाला जाने योग्य बालक/बालिका			दर्ज संख्या प्रतिशत		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	थोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भोपाल	311	262	573	10.3	7.6	9.1
2.	सीहोर	1528	1384	2912	1.6	0.00	0.8
3.	रायसेन	3065	2774	5839	0.92	0.00	0.80
4.	विदिशा	1330	1143	2473	1.2	0.08	0.68
5.	राजगढ	66	41	107	89.3	2.4	56.00
6.	खंडवा	2437	2295	4732	5.00	0.6	2.9
7.	बैतूल	8293	8145	16438	3.4	0.73	2.1
8.	छिन्दवाड़ा	13458	13003	26461	5.05	1.06	3.93
9.	नरसिंहपुर	2540	2352	4892	4.4	1.1	2.8
10.	सिवनी	8888	8358	17246	3.2	0.3	1.7
11.	जबलपुर	8029	7294	15323	8.7	1.3	5.2
12.	मंडला	20113	20096	40209	4.3	0.37	2.4
13.	बालाघाट	4088	4107	8195	9.3	1.8	5.6
14.	सागर	..	..	..	..	..	..
15.	दमोह	..	..	..	..	..	..
16.	छतरपुर	915	792	1707	2.2	0.00	1.2
17.	पन्ना	2318	2140	4458	2.0	0.00	0.98
18.	टीकमगढ़	951	833	1784	3.5	0.00	.50
19.	रायपुर	14583	14878	29461	11.4	.75	6.00
20.	दुर्ग	6860	6617	13477	13.9	1.4	7.7
21.	बस्तर	28432	28318	56750	4.1	.3	2.2
22.	राजनांदगांव	3553	3568	7121	11.8	1.6	6.7
23.	बिलासपुर	15566	15629	31195	7.9	.5	4.2
24.	सरगुजा	28833	27925	56758	6.9	.2	3.6
25.	रायगढ़	22704	22795	45499	15.7	5.1	10.4
26.	उज्जैन	302	132	434	14.5	0.75	10.4
27.	मन्दसौर	14	12	26	..	..	..
28.	रतलाम	3054	2877	5931	3.3	1.7	2.5
29.	शाजापुर	40	1	41	100.00	100.00	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	ग्वालियर	684	574	1258	1.5	2.6	2.00
31.	भिण्ड	57	20	77	77.1	0.00	65.06
32.	मुरेना	1943	1622	3565	2.05	.06	1.15
33.	शिवपुरी	2289	1966	4255	.87	0.00	0.47
34.	गुना	2322	2050	4372	1.5	0.00	0.82
35.	दतिया	197	173	370	0.00	0.57	0.27
36.	इन्दौर	37	32	69	100.00	100.00	100.00
37.	देवास	1690	1572	3262	4.1	0.06	2.1
38.	धार	17670	17046	34716	4.1	.2	2.2
39.	खरगोन	20046	19030	39076	3.8	.6	2.2
40.	झाबुआ	21669	21155	82824	3.9	.6	2.3
41.	रीवा	5165	4226	9390	5.6	0.02	3.1
42.	सतना	5039	4784	9824	2.4	.1	1.3
43.	सीधी	10050	9656	19706	1.8	0.02	3.1
44.	शहडोल	17633	16807	34440	3.3	0.09	1.8
45.	होशंगाबाद	2396	2058	4454	6.5	.82	3.9
	योग ..	313554	302600	616154	5.8	0.99	3.4

अध्याय–4

दूर दर्शन माध्यम से शिक्षा

शैक्षणिक प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ

शैक्षणिक प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ म. प्र. की स्थापना संचालनालय लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश के अन्तर्गत अक्टूबर, 1974 में की गई। मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग ने इस हेतु निम्नलिखित पदों को स्वीकृत किया है:—

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	प्रभारी अधिकारी	एक	रु. 680–1150
2.	प्रोग्राम-कम-स्क्रिप्ट राइटर	दो	रु. 500–900
3.	सहायक	एक	रु. 246–460
4.	स्टेनोटाइपिस्ट	एक	रु. 169–300 (रु. 40 विशेष भत्ता)

उद्देश्य :

शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना (Educational Technology Project) के उद्देश्य निम्नानुसार है :—

1. शिक्षा को सभी स्तरों पर प्रोत्साहित करना तथा शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने हेतु प्रयत्न करना।
2. शालेय शिक्षा में विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शालाओं में अध्यापन को विशेष रोचक बना कर तथा दृश्य–श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराकर (Wastage) को कम करना।
3. अध्यापकों के प्रशिक्षण व उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करना।
4. प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु उपग्रह द्वारा शैक्षिक टेलीविजन प्रसारणों का चुने हुए क्षेत्रों में प्रयोग करने में सहायता देना।

प्रस्तावित कार्य :—उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ के निम्नलिखित कार्य एवं उत्तरदायित्व प्रस्तावित हैं :—

1. प्रसारण पाठों (Broadcast Lessons) के लिये मुद्रित साहित्य तैयार करना।
2. कक्षा अध्यापकों को प्रसारण के पूर्व के कार्यक्रम तथा प्रसारण के बाद की चर्चाओं की शाला में आयोजित कर सकने हेतु प्रशिक्षित करना।
3. कक्षा के समय-विभाजन चक्र व रेडियो / टेलीविजन के प्रसारण में समन्वय स्थापित करना।
4. स्थानीय आवश्यकतानुसार प्रसारण (Broadcast) हेतु कार्यक्रम तैयार करना।
5. पाठ्यक्रम पर आधारित फिल्मों को योजनाबद्ध ढंग से दिखाना।

6. शिक्षा में सुधार हेतु दृश्य-श्रव्य उपकरणों व अन्य प्रौद्योगिकी सामग्री का प्रयोग करना।

7. प्रशिक्षण हेतु पाण्डुलिपि लेखक-शिक्षकों के चुनाव में सहायता करना।

8. जन–माध्यम (Mass media) के प्रयोग हेतु कार्यक्रम तैयार करना।

9. साक्षरता अभियान व शिक्षा जारी रखने के कार्यक्रमों को चलाना तथा उन लोगों की शिक्षा हेतु कार्य करना जो विभिन्न नौकरियों में कार्यरत है।

10. अनौपचारिक शिक्षा व वयस्क शिक्षा हेतु फिल्म निर्माण।

वर्ष 1974–75 में किये गये कार्य :

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, द्वारा अयोजित विचार गोष्ठी में राज्य में शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भाग लिया। इस गोष्ठी में उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन प्रयोग (Site) के कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु एक पर्टचार्ट (Pert chart) निर्मित किया गया था। इसी पर्टचार्ट के अनुसार तैयारी आरम्भ की गई। उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन प्रयोग के कार्यक्रमों को शालाओं में दिखाये जाने हेतु इस राज्य के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग एवं राजनांदगांव जिलों की शालाओं में 400 टेलीविजन सेट्स लगाये जाने का कार्य प्रारम्भ किया गया।

जनवरी 1975 में शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की गई। एक प्रोग्राम कम स्क्रिप्ट राइटर व एक स्टेनोग्राफर के पदों पर भी नियुक्तियां की गई।

वर्ष 1974-75 के अन्तिम तीन माहों में इस प्रकोष्ट के आगामी कार्यक्रमों की योजना बनाई गई व टेलीविजन के अभिरक्षकों की नियुक्ति आदि से सम्बन्धित अन्य विभागों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया।

इस प्रकोष्ठ का कार्य वर्ष 1975-76 में पूरी तैयारी के साथ प्रारम्भ किया जा रहा है :--

अगस्त 1975 से मध्यप्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिलों की 400 शालाओं में कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के लिए प्रतिदिन 11-71/2 से 11–30 तक उपग्रह के माध्यम से शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके है। इन कार्यक्रमों को प्रारंभ करने से पूर्व की तैयारी तथा टेलीविजन प्रसारण के पश्चात् की क्रियाएं कराने के लिए 450 टेलीविजन के उपयोगकर्ता शिक्षकों को इस प्रकोष्ट द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। टेलीविजन के प्रसारण कार्यक्रम हमारी शालाओं में प्राथमिक कक्षा के बच्चों में अत्यन्त पसन्द किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के टेलीविजन के माध्यम से प्रारंभ होने से अब शाला छोड़ने वाले छात्रों की संख्या इन शालाओं में सामान्यतया काफी कम हो गई है।

अक्टूबर 1975 में 400 टेलीविजन केन्द्रों पर 4000 प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों को बारह दिवसीय विज्ञान प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु इस प्रकोष्ठ ने सभी तैयारी की व बहु-माध्यम द्वारा 4000 प्राथमिक शालाओं के शिक्षक प्रशिक्षित किये गये।

अध्याय–5

मध्यप्रदेश में दृश्य–श्रव्य शिक्षा

सांख्यिकी संकलन वर्ष 1973-74 के अंक में दृश्य-श्रव्य शिक्षा कक्ष की स्थापना का उद्देश्य एवं उसके वर्तमान प्रमुख कार्यों का विवरण दिया जा चुका है। अब यहां दृश्य-श्रव्य शिक्षा इकाई के रचनाक्रम का विवरण तथा वर्ष 1974-75 में किये गये कार्यों की प्रगति प्रस्तुत है।

दृश्य-श्रव्य शिक्षा इकाई के रचनाक्रम में निम्नलिखित पद शासन द्वारा स्वीकृत है :–

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)		
1.	सहायक संचालक, लोक शिक्षण प्रभारी दृश्य-श्रव्य शिक्षा कक्ष	1	500–900
	तृतीय श्रेणी		
1.	अनुदेशक	5	280–480
2.	एड्स	3	195–330
3.	बढ़ई	1	155–230
4.	प्रथम श्रेणी उच्च लिपिक	1	246–460
5.	द्वितीय श्रेणी उच्च लिपिक	1	195–330
6.	निम्न श्रेणी लिपिक	2	169–300
7.	सुपरवायजर	2	220–375
8.	आर्गनायजर	2	195–300
9.	आपरेटर	2	169–300
10.	ड्राइवर	2	155–252
	चतुर्थ श्रेणी		
1.	क्लिनर	2	125–150
2.	भृत्य	2	125–150

उपरोक्त पदों में से तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत क्रमांक 7 से 10 तक 2 सुपरवायजर, 2 आर्गनायजर, 2 आपरेटर, 2 ड्राइवर के पद तथा चतुर्थ श्रेणी 2 क्लिनर के पद पुराने मध्यभारत राज्य के हैं लाइट सिने वाहन क्रमांक एम. पी. जेड 1133 तथा ग्रंथालय वाहन एम. पी. जेड. 1118 से संबंधित है। ये पद यद्यपि दृश्य-श्रव्य इकाई के रचनाक्रम में सम्मिलित किये गये हैं परन्तु दोनों वाहन तथा उन पर कार्यरत उपरोक्त कर्मचारी अभी संभागीय शिक्षा अधीक्षक ग्वालियर संभाग के अंतर्गत ग्वालियर में ही कार्यरत हैं। इन्हें ग्वालियर से भोपाल स्थानान्तर करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

शेष पदों में से केवल 1 सहायक संचालक, 5 अनुदेशक, 2 एड्स, 1 कारपेन्टर, 1 निम्न श्रेणी लिपिक तथा एक भृत्य इस समय दृश्य-श्रव्य शिक्षा कक्ष में कार्यरत है तथा इन्ही अल्प संख्य कार्यकर्ता की सहायता से राज्य में दृश्य-श्रव्य शिक्षा प्रसार का बहुमुखी महत्वपूर्ण एवं गुरुतर कार्य सम्पादन किया जा रहा है।

दृश्य-श्रव्य शिक्षा के क्षेत्र में इतने बड़े राज्य की आवश्यकता की पूर्ति इतने अल्प कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाना यद्यपि सम्भव नहीं है फिर भी वर्तमान उपलब्ध सुविधाओं, परिस्थितियों एवं बजट प्रावधान के अनुरूप इसका प्रसार राज्य के अधिक से अधिक क्षेत्र में किये जाने के सतत् प्रयत्न किये जा रहे हैं।

वर्ष 1974-75 में इस कक्ष द्वारा सम्पन्न किये गये कुछ महत्वपूर्ण कार्य :-

(1) **दृश्य-श्रव्य प्रशिक्षण कार्यक्रम :**

राज्य की निम्नलिखित संस्थाओं में 8 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 427 अध्यापकों को अपने विषयों से संबंधित ग्राफिक एवं फोटोग्रफिक सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण करना, उपकरण संचालन करना तथा इन दृश्य-श्रव्य सामग्रियों का सही एवं सफल उपयोग करने पर प्रशिक्षण प्रदान किया।

क्रमांक	संस्था का नाम	तिथियां	प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों की संख्या
1	शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, खण्डवा	29-8-74 से 7-9-74 तक	139
2	शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर	3-11-74 से 7-11-74 तक	142
3	शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रीवा	18-12-74 से 24-12-74 तक	145
		कुल योग ..	427

(2) **शिक्षा संस्थाओं को शाला उपयोगी फिल्मों का प्रदाय एवं प्रदर्शन :-**

		फिल्मों की संख्या
1	राज्य को विभिन्न शिक्षा संस्थाओं को शालाओं में प्रदर्शन के लिये उधार दी गई फिल्में।	185
2	भोपाल की शालाओं तथा अन्य संस्थानों में फिल्म प्रदर्शन।	63

(3) **उपकरण सुधार कार्य :**

1974-75 में शिक्षा संस्थाओं के निम्नलिखित उपकरणों को सुधारा गया :

	विवरण	संख्या
1	16 मि. मी. फिल्म प्रोजेक्टर	3
2	टेपरिकार्डर	6
3	एम्पलीफायर	4
4	पंखे	14
5	कूलर	2
6	माइक्रोफोन	1

टीप:- दृश्य-श्रव्य कक्ष एवं शैक्षणिक प्रौद्योगिकी प्रकोष्ट के उपकरणों में उनके उपयोग के कारण जो खराबी आती है उन्हें भी इस कर्मशाला में सुधारा जाता है।

अध्याय--6

विकलांगों की शिक्षा

1.	संस्थाएं	8
2.	छात्र संख्या---	
	बालक	294
	बालिका	185
	योग	479
3.	शिक्षक संख्या--	
	पुरुष	41
	महिला	13
	योग	54
4.	विकलांगों की शिक्षा पर व्यय--	
	शिक्षकों का वेतन	1,75,587
	अन्य कर्मचारियों का वेतन	74,972
	उपकरण तथा अन्य प्रसाधन	25,920
	अन्य	58,419
	योग	3,34,898
	शासकीय मद से व्यय	2,36,200

खण्ड – 3

प्रशिक्षण

अध्याय--- 1

उच्च स्तरीय प्रशिक्षण

राज्य में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्न संस्थाओं में की गई है:--

(1) राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

(2) राज्य शिक्षक प्रशिक्षण मंडल

(3) राज्य स्तरीय संस्थान

(4) शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, जबलपुर, खण्डवा, बिलासपुर, उज्जैन एवं रीवा।

राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद:--

यह परिषद राज्य के विभिन्न शिक्षा महाविद्यालयों एवं राज्यस्तरीय अन्य संस्थानों में अनुसंधान प्रायोजनाओं को संगठित और समन्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यवाहियां करती है।

जबलपुर में 15 जुलाई 1974 को परिषद की एक सभा हुई जिसमें परिषद के अध्यक्ष, संचालक लोक शिक्षण के अतिरिक्त परिषद के सचिव, संचालक राज्य शिक्षा संस्थान एवं सदस्यों में संचालक, मनोविज्ञान एवं दर्शन महाविद्यालय तथा संचालक, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान उपस्थित हुए। इस सभा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों, उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याताओं एवं बुनियादी प्रशिक्षण संस्था के शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के संबंध में विचार विनिमय हुआ। साथ ही एम. एड. के शोध-निबन्धों में समन्वय, शोध-संक्षेपिकाओं का परीक्षण तथा राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एस. सी. ई. आर. टी.) और एस. बी. टी. ई. के कार्यों के स्पष्ट करने के उपायों पर विचार किया गया। इस हेतु उप समितियों का गठन किया गया तथा उनके अलग-अलग वर्कशाप आयोजित किये गये। इस परिषद को कक्षा 1 से 8 तक की हिन्दी एवं सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के क्षेत्र परीक्षण का दायित्व सौपा गया, जिससे इन पुस्तकों में संशोधन करके इन्हें अधिक उपयोगी बनाया जा सके। यह कार्य आगामी सत्र से प्रारंभ करने का निर्णय किया गया।

राज्य शिक्षक प्रशिक्षण मंडल--

शिक्षक आयोग (सन् 64-66) के प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के अनुसार प्रशिक्षण संस्थाओं का गुणात्मक सुधार के कार्यक्रमों के समुन्नत करने, शोध सेवाकालीन योजनाओं, शिक्षा विस्तार आदि के द्वारा प्रशिक्षण के स्वरूप को अधिक सक्षम बनाने के लिये राज्य प्रशिक्षण मंडल की स्थापना 1967 में की गई। प्रशिक्षण के साथ-साथ शिक्षा के सभी स्तरों के गुणात्मक सुधार की योजनाएं बनाना तथा क्रियान्वयन के सुझाव देने हेतु राज्य स्तरीय शिक्षा समिति के रूप में कार्य करना इसका लक्ष्य है।

गठन--

मंडल में 14 सदस्य हैं। संचालक लोक शिक्षण इसके पदेन अध्यक्ष हैं। 14 सदस्यों में से निम्नलिखित 8 विश्वविद्यालयों शिक्षा संकाय के अध्यक्ष हैं:--

1. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
2. इन्दौर विश्वविद्यालय, इन्दौर

3. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
4. भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल
5. जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर
6. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर
7. सागर विश्वविद्यालय, सागर
8. अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा

दो प्राध्यापक स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय के तथा 4 प्राचार्य बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के संचालक लोक शिक्षण द्वारा मनोनीत सदस्य हैं ।

कार्य एवं कार्यक्षेत्र—

1. एम. एड., बी. एड., डिप. टी., बी. टी. आई. तथा रिफ्रेशर कोर्स संचालित करनेवाली प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में सुधार के सुझाव देना ।
2. प्रशिक्षण संस्थाओं में सामयिक निरीक्षण हेतु 3 सदस्यों के विशिष्ठ निरीक्षक दल योजना ।
3. शिक्षक प्रशिक्षण की सामान्य समस्याओं पर चर्चायें करना तथा उनके निराकरणार्थ सुझाव देना ।
4. शिक्षक प्रशिक्षण के स्तरोन्नयन की दृष्टि मे प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये सामान्य कार्यक्रमों की योजना बनाना तथा क्रियान्वित की अनुशंसा करना ।
5. अनुसंधान तथा शोध के लिये समस्यायें सुझाना ।
6. विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्य में समन्वय करना ।
7. विभिन्न स्तरों को शिक्षा के गुणात्मक सुधार के सुझाव देना ।

इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है एवं वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होना आवश्यक है ।

राज्य शिक्षा संस्थान, भोपाल :

विद्यालयीन शिक्षा में गुणात्मक सुधार के उद्देश्य से दिसम्बर 1973 में राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई । विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थान इस उद्देश्य की पूर्ति का प्रयास करता आ रहा है । इसका काम निम्न लिखित विभागों द्वारा सम्पादित होता है:—

1. अधिकारी वर्ग प्रशिक्षण विभाग
2. आदर्श विद्यालय विभाग
3. ग्रामीण छात्रवृति विभाग
4. पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति
5. विज्ञान इकाई एवं यूनिसेफ
6. एम. एड. शिक्षण
7. विस्तार केन्द्र
8. राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.)

विभिन्न विभागों के कार्य विवरण संक्षेप में अधोलिखित है:–

(1) **सेवाकालीन प्रशिक्षण विभाग:––**

(अ) दिनांक 4 एवं 5 फरवरी 1973 को शैक्षणिक अधिकारियों का सम्मेलन सांची में आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षकों एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण को अधिक उपयोगी बनाने हेतु विभिन्न उपायों पर विचार किया गया ।

(ब) सन्दर्भित वर्षान्त तक 372 अधिकारियों को 17 समूहों में एक-एक मास का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 492 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य, 28 बुनियादी प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य एवं 40 जिला शिक्षा अधिकारी है ।

संस्थान के संयोजन में निम्नांकित अन्य प्रशिक्षण आयोजित किये गये:––

(क) शिक्षा महाविद्यालयों में सहायक शाला निरीक्षकों को 15 दिन का प्रशिक्षण, सत्र में प्रशिक्षितों की संख्या 150.

(ख) बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं में 285 माध्यमिक शालाओं के प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण,

(ग) मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय जबलपुर में 7 अगस्त से 10 अगस्त 75 तक शाला संदर्शकों एवं

(घ) 11 सितम्बर से 12 सितम्बर 75 तक उ.मा.वि. के 11 प्राचार्यों का प्रशिक्षण ।

(2) **आदर्श विद्यालय विभाग:––**

(क) शासन द्वारा चयन किये गये 120 आदर्श विद्यालयों में गुणात्मक विकास के उद्देश्य से संस्थान द्वारा 36 प्रायोजनाओं की सूची कार्यान्वयन हेतु इन शालाओं को भेजी गई ।

(ख) निरीक्षण:–संस्थान के अधिकारियों के द्वारा इस वर्ष 13 शालाओं का निरीक्षण किया गया। वर्ष 1974-75 के अन्त तक निरीक्षित शालाओं की संख्या 80 है । आदर्श विद्यालय एवं अन्य विद्यालयों के वर्ष 1974 के परीक्षा परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया । ज्ञात हुआ कि आदर्श विद्यालय के परिणाम का प्रतिशत इतर विद्यालयों से अच्छा है। छात्रवृत्ति धारियों एवं अन्य छात्रों के परीक्षाफल का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। ज्ञात हुआ कि छात्रवृत्ति धारियों का परीक्षाफल 91.5 जबकि अन्य विद्यालयों के छात्रों का 49.5 प्रतिशत है ।

(3) **ग्रामीण प्रतिभावन छात्रवृत्ति विभाग :**

ग्रामीण प्रतिभा को विकसित करने के उद्देश्य से राज्य के समस्त 457 विकास खण्डों में से प्रत्येक के दस हजार से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों के दो छात्र-छात्राओं को योग्यता के आधार पर कक्षा 9, 10, 11 में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रावास में रहने वालों को 100 रु. एवं बाहर रहने वालों को 50 रु. के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाती है ।

वर्ष 1974 में 5749 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनमें 728 को छात्रवृत्ति की पात्रता प्राप्त हुई। इनमें से केवल 572 छात्रों ने छात्रवृत्ति का लाभ उठाया, किन्तु शासन द्वारा धन की स्वीकृति न मिलने के कारण उनको इस वर्ष छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकी। केवल कक्षा 10 एवं 11 के छात्रों को 963500 रु. वितरित किये गये। स्वीकृति प्राप्त होने पर सन् 1974–75 के कक्षा 9 के छात्रों को सत्र 1975–76 (माह सितम्बर 1975) में छात्रवृत्ति रु. 509300 वितरित की गयी ।

(4) **पाठ्य पुस्तक विभाग:--**

इस विभाग के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की हिन्दी, कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक अध्ययन, कक्षा 3 से 5 तक विज्ञान, कक्षा 1 से 3 तथा 6 से 8 तक गणित, कक्षा 6 से 11 तक संस्कृत, कक्षा 4 व 5 के भूगोल, कक्षा 6 से 10 तक अंग्रेजी एवं कक्षा 6 से 8 तक के जीव विज्ञान का पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन किया गया ।

(5) **विज्ञान इकाई :--**

यूनिसेफ के मार्ग दर्शक कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थान में विज्ञान शिक्षण संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन होता है । इस वर्ष निम्नलिखित मुख्य कार्य किये गये:--

(क) 25 जून 74 को प्राथमिक शाला-विज्ञान प्रशिक्षण पुनर्गठन कार्यक्रम के स्त्रोत व्यक्तियों को जीव-विज्ञान के किट प्रदर्शित किये गये ।

(ख) विज्ञान शिक्षकों की एक संगोष्ठी 4 सितम्बर से 7 सितम्बर 74 तक आयोजित की गई, जिसमें भोपाल के माध्यमिक शालाओं के 32 शिक्षकों ने भाग लिया, जिनको नवीन गणित, भौतिक शास्त्र एवं जीव-विज्ञान का शिक्षण दिया गया ।

(ग) प्राथमिक विज्ञान-शिक्षक-प्रायोजना के अन्तर्गत दिनांक 24 सितम्बर से 28 सितम्बर 74 तक एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राजगढ़ जिले के 30 शिक्षकों ने भाग लिया ।

(घ) कक्षा 9 से 11 तक के विज्ञान एवं गणित के पाठ्यक्रम को विभाजित करने हेतु 9 सितम्बर 14 सितम्बर 74 तक कर्मशाला का आयोजन किया गया ।

(ङ) माध्यमिक कक्षाओं के विज्ञान एवं गणित के पाठ्यक्रमों के विभाजन का कार्य पूरा किया गया

(च) विज्ञान किट की पुस्तिका में दिये गये प्रयोगों का संस्थान में परीक्षण किया गया ।

(छ) 6 दिसम्बर से 14 दिसम्बर 74 तक स्वनिर्मित विज्ञान उपकरणों हेतु कर्मशाला का आयोजन किया गया ।

(ज) औपचारिकेतर शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम तैयार किये गये ।

(झ) विज्ञान शिक्षण सम्बन्धी 5 फिल्म स्ट्रिपों के लिये विषयों का चयन करके पूर्ण विवरण तैयार किया गया एवं शिक्षा संचालक को भेजा गया ।

(ञ) पाइलट प्रोजेक्ट के 14 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया ।

(ट) 5 जनवरी से 9 जनवरी 75 तक स्वनिर्मित विज्ञान उपकरणों की प्रदर्शिनी आयोजित की गयी एवं उपकरणों की पुस्तिका तैयार की गयी ।

(ठ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) तथा राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा खोज के अभिरुचि परीक्षण सम्बन्धी पत्रों का परीक्षण किया गया ।

(6) **एम. एड.** :- रा. शै. अनु. प्रशि. परिषद् के तत्वावधान में देश के विश्वविद्यालयों के शिक्षा संकाय के डीनों (अधिष्ठाताओं) का राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 74 तक संस्थान के प्रांगण में आयोजित किया गया । सम्मेलन में एम. एड. के पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधनों पर विचार विमर्श हुआ ।

(7) **विस्तार केन्द्र** :– इस विभाग के अन्तर्गत गुणात्मक विकास हेतु 50 प्राथमिक शालाओं को मार्ग दर्शन दिया जाता है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष 24 सितम्बर से 28 सितम्बर 74 तक विज्ञान शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया । भोपाल इन्दौर आकाशवाणी से प्रसारण होने वाले रेडियो कार्यक्रमों की 500 प्रतियां शालाओं को भेजी गयी । प्राथमिक शालाओ के समस्त मुख्य विषयों के पाठ्यक्रम विभाजन का कार्य पूर्ण किया गया । 32शिक्षकों को अक्टूबर 74 में गणित शिक्षण का प्रशिक्षण दिया गया ।

जिला शिक्षा अधिकारियों एवं सहायक जिला शाला निरीक्षकों की एक सभा दिनांक 18 एवं 19 नवम्बर, 74 को पाठ्यक्रम विभाजन एवं सतत मूल्यांकन पर विचार– विमर्श हेतु आयोजित हुई । प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के 45 शिक्षकों ने दिनांक 21नवम्बर से 28 नवम्बर 74 तक कक्षा 1 से 8 तक के समस्त मुख्य विषयों के इकाई–योजना का कार्य पूरा किया ।

टी. टी. नगर एवं हेवी ऐलेक्ट्रिकल्स स्थित प्राथमिक शालाओं के 56 प्राधानाध्यापकों का एक सम्मेलन 27 नवम्बर 74 को आयोजित किया गया । दूसरा सम्मेलन भोपाल स्थित 5 माध्यमिक शालाओ एवं बैरागढ़ स्थित प्राथमिक शालाओं के 59 प्राधानाध्यापकों का दिनांक 28 नवम्बर 74 एवं 3 दिसम्बर 74 को आयोजित हुआ । सम्मेलन में सतत मूल्यांकन, विकास प्रायोजनाओं एवं गुणात्मक विकास पर विचार किया गया । सम्मेलन में इकाई योजना सम्बन्धी सामग्री वितरित की गई । अन्त में 20 शालाओं को सहायक शिक्षा सामग्री वितरित की गयी ।

अन्य :– उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त संदर्भित वर्ष में संस्थान में अधोलिखित कार्य सम्पादित किये गये :–

(1) दिनांक 13 एवं 14 फरवरी 75 को उपयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान की संभावनाओं एवं कार्यों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के शोध अधिकारी श्री. वयू. यू. खान एवं श्री एम. सी. दुबे उप-संचालक लोक शिक्षण म. प्र. के अतिरिक्त जबलपुर तथा इन्दौर संभाग के योजना अधिकारियों और सहायक जिला शाला निरीक्षकों ने भाग लिया । विभिन्न क्षेत्रों में मान शक्ति के उपयोग के संबंध में प्रारम्भिक सर्वेक्षण हेतु जबलपुर एवं इन्दौर संभागों का चयन किया गया ।

(2) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के तत्वावधान में संस्थान में 12 जनवरी से 17 जनवरी 75 तक बुनियादी प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्यों की संगोष्ठी का आयोजन किया गया । संगोष्ठी में इन संस्थाओं के पाठ्य क्रम में संशोधन, प्राथमिक शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं शिक्षकों के लिए पाठ्य विवरण निर्देशिका को स्थानीय भाषाओं में तैयार करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया । इस संगोष्ठी में बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के 40 प्राचार्यों एवं व्याख्याताओं ने भाग लिया । इस संगोष्ठी को, म. प्र. शासन के शिक्षा सचिव, संचालक लोक शिक्षण, अतिरिक्त शिक्षा संचालक श्री दाणी, अतिरिक्त सचालक श्री चतुर्वदी एवं शिक्षा मण्डल के मूल्यांकन अधिकारी श्री दुबे का परामर्श प्राप्त हुआ । सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल विश्व विद्यालय के कुलपति डा. रविप्रकाश द्वारा सम्पन्न हुआ ।

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त प्रत्येक बुनियादी प्रशिक्षण संस्था के निर्देशन एवं नियंत्रण मे एक-एक औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया ।

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, जबलपुर :

(1) स्नातक विज्ञान शिक्षकों के लिये स्नातकोत्तर प्रशिक्षण–संस्थान में वर्ष 1974–75 में 32 स्नातक विज्ञान शिक्षकों के लिये स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई । इसमें मध्यप्रदेश के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 27 और निजी संस्थाओं के 5 विज्ञान स्नातक शिक्षकों को प्रवेश दिया गया था । इनमें––

परीक्षा में सम्मिलित छात्र	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	प्रतिशत	
29	27	2	90.0	सफल हुए ।

(2) बी. एड. (विज्ञान) प्रशिक्षण–वर्ष 1974–75 में 42 छात्रों ने बी. एड. (विज्ञान) प्रशिक्षण प्राप्त किया। सेवापूर्ण प्रशिक्षण में उनको उन्नत विधियों से नियोजित बी. एड. (विज्ञान) के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षित किया गया। सत्र 1974–75 का परीक्षा फल निम्नानुसार रहा:–

परीक्षा में सम्मिलित छात्र	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	प्रतिशत
42	42	..	100

(3) विज्ञानार्न शिक्षा पुनर्गठन प्रायोजनान्तर्गत प्रशिक्षण–यह प्रशिक्षण वर्ष 1971–72 में प्रारंभ किया गया। प्रथम समूह के 10, द्वितीय समूह के 14 और तृतीय समूह के 14 जिलों के शिक्षकों के लिये पत्राचार पाठों का मुद्रण कराकर संबधित जिलों को पत्राचार पाठों का वितरण किया गया। वर्ष 1975 में केवल यह योजना चार जिलों (बस्तर, शाजापुर, बैतूल, शहडोल) में ही चालू रखी गई। इन जिलों में ग्रीष्मावकाश में सम्पन्न हुए संस्थागत प्रशिक्षण में संस्थान द्वारा पर्यवेक्षक भेजे गये। इन पर्यवेक्षकों ने शिक्षकों की मार्गदर्शन दिया।

राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता–वर्ष 1974–75 में राज्य विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश के आदेशानुसार स्थगित किया गया।

विज्ञान शिक्षा में शोध—

(1) विज्ञान पाठ्यक्रमों में सुधार–विज्ञान शिक्षा में शोध करने की दृष्टि से प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधार किये गये। बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम के आधार पर विज्ञान उपकरणों की सूची तथा प्रयोगों की सूची तैयार की गई। इन सूचियों को तैयार करने हेतु संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रस्तावित संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में बुनियादी प्रशिक्षण संस्था मन्दसौर, पचमढ़ी, बीजलपुर और कुण्डेश्वर के विज्ञान व्याख्याता और इस संस्थान के आचार्यों ने भाग लिया।

(2) पाठ्यपुस्तकों में सुधार–प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विज्ञान तथा गणित के पाठ्यपुस्तकों में सुधार किया गया।

(3) विज्ञान के पाठ्यक्रमों का अनुवाद–कक्षा 3, 4 एवं 5 पाठ्य पुस्तकें "विज्ञान आओ करके सीखें" का अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है ताकि वे पुस्तकें अंग्रेजी माध्यम की शाला में लागू हो सकें।

विज्ञान की प्रगति हेतु अन्य कार्य :

(1) **विज्ञान प्रतिभा खोज–इस** संस्थान में विज्ञान प्रतिभा खोज का केन्द्र स्थापित किया गया है जिसमें जबलपुर के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया जाता है। साथ ही मध्यप्रदेश राज्य के सभी स्कूलों को पत्रक द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। इस वर्ष माह जून 1975 में मध्यप्रदेश के प्रत्येक संस्थान सें चुने हुये 5 विद्यार्थियों के लिये एक सेमीनार क्षेत्रीय शिक्षा माहाविद्यालय भोपाल में आयोजित किया गया। इस सेमीनार में संस्थान के सदस्यों ने प्रशिक्षण दिया। विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा 1976 हेतु ग्रीष्मकालीन मार्गदर्शन शिविर जबलपुर, बिलासपुर, मण्डला, बालाघाट में आयोजित किये गये जिसमें राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर का मार्गदर्शन उल्लेखनीय रहा। विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा के प्रचार हेतु पत्रक संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। इसे संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल की मुद्रित किये जाने हेतु दिया गया है।

विद्यार्थी तथा शिक्षक संस्थान से सतत मार्गदर्शन ले रहे हैं।

(2) **टेलीविजन द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण**.–इस वर्ष टेलीविजन द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की योजना लागू की गई है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगाव के चार जिले इस योजना से लाभान्वित होंगे। इस योजना में 400 शिक्षक मानीटरों को उन्मुखीकृत किया जाना है। इन मानीटरों का पहला उन्मुखीकरण प्रशिक्षण राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रायपुर में दिनांक 2–6–75 से 10–6–75 तक संपन्न हुआ। इस केम्प में 30 शिक्षक मानिटर प्रशिक्षित हुये। शेष शिक्षक मानीटरों को पांच केम्पों में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(3) **सेमी माइक्रो पद्धति से रसायन विज्ञान में प्रशिक्षण**:–मध्यप्रदेश में सेमी माइक्रो पद्धति से रसायन शास्त्र के शिक्षण हेतु 10 उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया है। यह शालाएं जबलपुर जिले की हैं। इन शालाओं की संस्थान द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। यह योजना पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू करने हेतु संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल को लिखा गया है।

(4) **मोबाइल व्हान**:–संस्थान को एक मोबाइल व्हान यूनीसेफ द्वारा प्रदाय की गई है। मोबाइल व्हान का उपयोग शालाओं के शिक्षा सुधार कार्यक्रम में किया जाता है। फिल्म प्रदर्शन तथा प्रयोग द्वारा शिक्षकों को मार्ग-दर्शन दिया जाता है।

(5) **राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान शिक्षा**:–समय-समय पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्य-पुस्तक एवं अध्यापक मार्गदर्शिका लेखन कार्यक्रमों में संस्थान के प्राध्यापकों ने सक्रिय सहयोग दिया।

शिक्षा मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यासय, जबलपुर :–

शिक्षा मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय, जबलपुर की स्थापना 10 सितम्बर, 1962 को मध्यप्रदेश शासन द्वारा व्यावहारिक मनोविज्ञान एवं संदर्शन के स्नातकोत्तरीय स्तर पर उच्चतम कार्य हेतु एक स्वतन्त्र महाविद्यालय के रूप में की गई। इसके पूर्व सन् 1947 में तत्कालीन स्पेन्स ट्रेनिंग कालेज (वर्तमान शासकीय शिक्षण महाविद्यालय) जबलपुर में स्नातकोत्तर व्यावहारिक मनोविज्ञान विभाग के रूप में इसका प्रादुर्भाव हुआ था। सन् 1955 में इसी विभाग के साथ में राज्य स्तरीय शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मार्ग दर्शन ब्यूरो की स्थापना की गई।

यह महाविद्यालय जबलपुर विश्वविद्यालय से "कान्सटीट्यूएन्ट कालेज" के रूप में सम्बद्ध है। जबलपुर विश्वविद्यालय में अलग से मनोविज्ञान विभाग न होने के कारण मनोविज्ञान स्नातकोत्तरीय शिक्षा एवं शोध का यह एक प्रमुख केन्द्र है। महाविद्यालय की गतिविधियां प्रमुख रूप से तीन भागों में विभाजित है:––

1. **स्नातकोत्तर अध्ययन विभाग**:–– स्नातकोत्तर स्तर पर यहां निम्नलिखित विषय पढ़ाये जाते हैं–– सामान्य एवं प्रायोगिक मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अनुसंधान विधि तथा सांख्यिकी, बाल–व्यवहार एवं विकासात्मक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान एवं समाज मनोविज्ञान। इन अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त निर्देष एवं परामर्श, औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान एवं सामाजिक कार्य–वैकल्पिक विषयों के रूप में विशेषीकरण का प्रावधान है। प्रत्येक वर्ष में प्रयोगिक मनोविज्ञान अनिवार्य है। इस सत्र में पूर्वार्ध में 37 विद्यार्थी एवं उत्तरार्ध में 28 विद्यार्थी पंजीकृत रहे।

2. **अनुसंधान**–– महाविद्यालयीन स्तर वर्तमान सत्र में– (अ) फिगर कापीयिंग परीक्षण का प्रमाणीकरण एवं (ब) संदर्शन का सामाजिक एकाकी पर प्रभाव को पूर्ण कर उनका प्रतिवेदन तैयार किया गया।

पी.एच.डी. स्तर––यहां के आचार्यों के कुशल निर्देशन में 9 विद्यार्थी विभिन्न विषयों पर शोध कार्य कर रहे हैं।

विद्यार्थियों द्वारा.– इस सत्र में स्नातकोत्तर उपाधि की आंशिक पूर्ति हेतु 5 छात्रों ने शोध प्रबन्ध किया।

३. **संदर्शन एवं परामर्श विभाग**.– इस विभाग के अन्तर्गत बहुमुखी कार्य सम्पादित किये जाते हैं:–

शालाओं में संदर्शन कार्य.– इसके अन्तर्गत वर्तमान सत्र में प्राचार्यों एवं केरियर मास्टरों के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। उच्चतर माध्यमिक शालाओं के मार्गदर्शन केन्द्रों का निरीक्षण कर, आचार्य वर्ग ने उनके सफल संचालन क लिये महत्वपूर्ण सुझाव दिये। विविधकृत पाठ्यक्रम के अन्तर्गत वर्गीकरण के लिये इस महाविद्यालय, के आचार्यों की सेवाओं का कुछ संस्थाओं ने लाभ उठाया।

सूचना केन्द्र:–इस केन्द्र की प्रमुख गतिविधि शैक्षणिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन सम्बन्धी सूचनाओं का एकत्रीकरण, वर्गीकरण एवं प्रसारण है। पत्रों के माध्यम से एवं व्यक्तिगत रूप से जानकारी इच्छुक लोगों को दी जाती है।

व्यक्ति अध्ययन एवं परामर्श विभाग.– इसके अन्तर्गत अनेक व्यक्तियों को सहायता पहुंचाई गई। मानसिक बीमारियों के पीड़ित व्यक्तियों के उपचारार्थ यहां कार्य किया जाता है। आर्युविज्ञान महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न व्यक्तियों से पीड़ित लोगों को यहां निदान के लिये भेजा जाता है। काफी संख्या में लोगों ने इस सेवा का लाभ उठाया है।

शैक्षणिक पिछड़ापन, अल्पस्तरीय उपलब्धि, पाठ्य विषयों के चयन एवं व्यक्तिगत निर्देश प्राप्त करने की समस्याओं से प्रभावित विद्यार्थियों को सहायता पहुंचाई गई। वैवाहिक समायोजन, व्यक्तिगत समस्याएं एवं विशिष्ट क्षेत्रों में कुसमायोजित व्यक्तियों को भी परामर्श द्वारा समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया।

"बाल्य संदर्शन क्लिनिक" में आर्युविज्ञान महाविद्यालय द्वारा भजे गये कई प्रकरणों में अधिकांश बौद्धिक स्तर के निर्धारण सम्बन्धी, संदर्शन हेतु थे। कुछ प्रकरण वाक्दोष एवं मिरगी के थे, इनका यथोचित समाधान किया गया।

व्यक्ति अध्ययन एवं परामर्श विभाग के अन्तर्गत इस सत्र में 110 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया। विभिन्न विभागों द्वारा अधिकारियों के चयन में इस महाविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। महाविद्यालय में उपलब्ध विभिन्न परीक्षणों का उपयोग कर अधिकारियों का चयन वस्तुगत रूप से किया जाता है।

विद्वत समिति एवं क्रियाकलाप निधि समिति द्वारा समय-समय पर भाषण माला आयोजित की गई जिसमें विद्वान वक्ताओं ने महाविद्यालय परिवार को सम्बोधित किया।

एम. एड. प्रशिक्षण

एम. एड. प्रशिक्षण के लिए निम्नांकित 5 प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रावधान है:–

1. शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, जबलपुर
2. शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर
3. शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन
4. शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रीवा
5. राज्य शिक्षा संस्थान, भोपाल

प्रत्येक संस्था में 10 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। इस प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष है एवं प्रशिक्षणार्थियों को पूर्ण वेतन दिया जाता है। जो प्रशिक्षणार्थी अपनी स्वयं की इच्छा पर एम. एड. प्रशिक्षण करते हैं उनको एम. एड. के लिये अध्ययन अवकाश की पात्रता आती है। प्रशिक्षणार्थियों का चयन एक समिति गठित कर किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता संचालक, लोक शिक्षण स्वयं करते हैं। यह चयन योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है।

अर्हताएं–एम. एड. के विज्ञापन में विभागीय अभ्यार्थियों की आयु ४५ वर्ष रखी है तथा बी. एड. के पश्चात् कम से कम २ वर्ष का शिक्षकीय अनुभव आवश्यक है। इस प्रशिक्षण में न्यूनतम योग्यता स्नातक या स्नातकोत्तर द्वितीय श्रेणी एवं बी. एड. द्वितीय श्रेणी निश्चित की गई है।

सत्र–एम. एड. प्रशिक्षण का सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ होता है एवं 30 अप्रेल तक चलता है।

अध्याय–2

बी. एड. प्रशिक्षण

बी. एड. के प्रशिक्षण का प्रावधान राज्य के समस्त 10 शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों एवं शिक्षा महाविद्यालय, सागर में भी रखा गया है । बी. एड. प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक शिक्षा महाविद्यालय में पदों का वर्गीकरण निम्नानुसार है:–

शिक्षकों के पद	100
व्याख्याताओं के पद	25
सीधी भरती के पद	30
योग..	155

विभागीय प्रशिक्षणार्थियों को संभागीय शिक्षण अधीक्षक द्वारा इस प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों एवं व्याख्याताओं को भेजा जाता है, किन्तु वर्ष 1976 में व्याख्याताओं को इस प्रशिक्षण में भेजने के लिऐ चयन संचालनालय द्वारा किया गया । सीधी भरती के 30 पदों पर विज्ञापन के अनुसार चयन उच्च शिक्षा अनुदान आयोग द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है ।

इनकी अर्हतायें एवं आयु सीमा आयोग द्वारा ही निर्धारित की जाती है । चयन समिति में निम्नांकित सदस्य रहते हैं :–

1.	कुल सचिव संबंधित विश्वविद्यालय	अध्यक्ष
2.	प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय	सचिव
3.	संबंधित संभागीय शिक्षण अधीक्षक	सदस्य

इन सीधी भर्ती के पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 16 एवं 20 प्रतिशत पद सुरक्षित रखे जाते हैं, किन्तु अर्हता की प्रतिस्पर्धा बनी रहती है ।

सत्र – यह प्रशिक्षण 16 मई से शुरू होता है जिसकी अवधि एक वर्ष है ।

अध्याय–3

बुनियादी प्रशिक्षण

सत्र 1974–75 में राज्य में कुल 45 बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाएं कार्यरत रही, जिनमें से 30 बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं में (प्रत्येक मे) 200 स्थान रखे गये जिनकी पूर्ति योग्यता के आधार पर परीक्षा लेकर की गई। बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम प्रशिक्षार्थी संस्थाओं में रहकर करेंगे और द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम वे शालाओं में शिक्षक रहकर पत्राचार द्वारा पूर्ण करेंगे।

पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्था, जबलपुर :–

पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्था, जबलपुर में ६० महिला प्रशिक्षार्थियों को प्रतिवर्ष प्रवेश दिया जाता है। यह प्रशिक्षण पूर्व प्राथमिक स्तर का है, जिसकी अवधि १ वर्ष है तथा इसका सत्र प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से प्रारम्भ होता है।

इसके प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता शिक्षा संहिता के अनुसार माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र है। प्रवेशार्थियों का चयन एक समिति द्वारा किया जाता है, जिसका गठन संचालक लोक शिक्षण द्वारा किया जाता है। इन प्रशिक्षार्थियों को कोई वेतन दिये नहीं होता, वरन् ये सीधी भरती के अन्तर्गत चयन किये जाते हैं, जिन्हें ३५ रुपये माहवार के हिसाब से छात्रवृति प्रदान की जाती है। छात्राओं से कोई शिक्षण शुल्क वसूल नहीं किया जाता है।

अध्याय–4

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. आंग्ल भाषा प्रशिक्षण
2. शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण
3. पुस्तकालय प्रशिक्षण
4. योग प्रशिक्षण

आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, भोपाल

आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, भोपाल की स्थापना अगस्त, 1964 में को गई। आंग्ल भाषा शिक्षा के स्तर को उन्नत करने तथा वर्तमान शिक्षा सुविधाओं को सुगठित करने के उद्देश्य से प्रतिवेदनाधीन वर्ष में निम्नांकित त्रियाकलाप सम्पन्न किये गये :–

(1) सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

(अ) स्थानीय माध्यमिक शालाओ में कार्यरत 152 अंग्रेजी शिक्षकों को अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया गया।

(ब) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के व्याख्याताओं हेतु रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, इन्दौर एवं सागर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, इस कार्यक्रम में 142 व्यक्तियों ने भाग लिया।

(स) भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स शिक्षा समिति, भोपाल द्वारा संचालित संस्था के शिक्षकों को अंग्रेजी भाषा में पर्याप्त ज्ञान देने के उद्देश्य से 10–10 दिवस के दो पाठ्यक्रम आयोजित किये गये।

(2) विस्तार सेवा
मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा अंग्रेजी विषय से सम्बन्धित विषय सामग्री प्रकाशित की गई जिसमें 4 अंग्रेजी पुस्तकों के प्रकाशन में इस संस्थान ने सहयोग प्रदान किया।

(3) शाला ग्रहण कार्यक्रम
संस्थान द्वारा 10 स्थानीय माध्यमिक शालाओं में कार्यरत अंग्रेजी भाषा के शिक्षकों के शिक्षण सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत शाला ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

(4) इस संस्थान द्वारा राज्य की आदर्श शालाओं में आंग्ल भाषा शिक्षण सुधार का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(5) बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं में विस्तार केंद्रों के माध्यम से आंग्ल भाषा शिक्षण कार्य किया गया, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 45 माध्यमिक शाला शिक्षक तथा संस्थान के 20 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुए।

(6) शिक्षा महाविद्यालयों में बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों की आंग्ल भाषा के शिक्षण सुधार हेतु मार्ग दर्शन दिया गया।

(7) इस संस्थान द्वारा अंग्रेजी भाषा फार्म बनाये गये हैं जो माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं में कार्यरत अंग्रेजी विषय के शिक्षकों को समय-समय पर प्रशिक्षण, वादविवाद आदि प्रतियोगिताओं के आयोजन करके आंग्ल भाषा के स्तर को उन्नत करने का हर संभव प्रयास किया जावेगा।

तात्याटोपे राज्य शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, शिवपुरी

राज्य में शारीरिक शिक्षा का एक महाविद्यालय तात्या टोपे राज्य शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय शिवपुरी में संचालित है। यह महाविद्यालय भूतपूर्व मध्य भारत राज्य के समय से संचालित है व इसमें दो कोर्स प्रमाण-पत्र तथा डिप्लोमा कोर्स आयोजित किये जाते हैं। प्रमाण पत्र कोर्स के प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा या किसी समतुल्य उच्चत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण तथा डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक या समतुल्य परीक्षा है। प्रमाण पत्र तथा डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश हेतु निम्नानुसार स्थान स्वीकृत हैं :–

		राज्य के लिए	राज्य के बाहर के लिए
1.	प्रमाण-पत्र कोर्स	150	10
2.	डिप्लोमा कोर्स	50	5
	योग	200	15

पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण

शिक्षा विभाग द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र के प्रशिक्षण की सुविधा केन्द्रीय पुस्तकालय, ग्वालियर में उपलब्ध है। यह प्रशिक्षण 6 माह का होता है और प्रत्येक वर्ष शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर 25 विभागीय उम्मीदवारों तथा १५ अशासकीय उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाता है। विभागीय उम्मीदवारों का चयन संचालनालय द्वारा तथा अशासकीय उम्मीदवारों का चयन केन्द्रीय पुस्तकालय ग्वालियर के क्षेत्रीय ग्रन्थपाल द्वारा किया जाता है। इस प्रशिक्षण में प्रवेश के लिये प्रशिणार्थी की न्यूनतम योग्यता उच्चत्तर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

प्रति वर्ष 5 विभागीय उम्मीदवारों को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक उपाधि के लिये प्रतिनियुक्त करने का भी प्रावधान है। इस प्रशिक्षण में वेतन मान 195–330 में कार्यरत ग्रन्थपालों को उनकी वरिष्ठता क्रम से भेजा जाता है। इस प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षणार्थी की शैक्षणिक योग्यता स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण सत्र की अवधि जुलाई से अप्रैल तक रहती है।

योग–प्रशिक्षण

योग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना जनवरी 1973 में हुई।

उद्देश्य :–

आचरण की अराजकता, शारीरिक व्यायाम की न्यूनता, आहार की अपर्याप्तता एवं अनियमितता तथा वातावरण की अन्य विषमताओं के कारण मानव शरीर शारीरिक एवं मानसिक रूप से दुर्बल होता जा रहा है। शालाओं में अध्ययनरत बालक एवं बालिकाओं पर इसका प्रभाव परिलक्षित है। योग शिक्षा द्वारा तन मन दोनों का संतुलित विकास होता है एवं समग्र व्यक्तित्व का विकास संभव होता है।

कार्य :–

1. सामान्य जनता के इच्छुक व्यक्तियों के लिये योग त्रिया प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करना।
2. राज्य की शालाओं में कार्यरत शिक्षकों को दो माह की अवधि का योग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

प्रवेश :–

प्रत्येक सत्र में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के 48 शिक्षकों को चयन किया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि दो माह की है।

खण्ड – 4

विविध

अध्याय–I

छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा नियंत्रित छात्रवृत्तियों का विवरण आगामी तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है। सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों एवं शिष्यवृत्तियों की जानकारी यथा समय शाला, समाचार-पत्र, आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित की जाती है ताकि विविध जानकारी एवं आवेदन प्रपत्रों हेतु शाला के प्रधानों से सम्पर्क यथा समय किया जा सके। सीमित साधन वाले प्रतिभावान छात्रों के लाभार्थ ही अधिकतर शिष्यवृतियां है। कुछ छात्रवृत्तियों की प्रतिभावान छात्रों को भी पात्रता है।

संचालक लोक शिक्षक द्वारा नियंत्रित छात्रवृतियों एवं शिष्यवृतियों का विवरण

क्रमांक	वृत्तियों का विवरण	संख्या	दर	अवधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
	पूर्व / उच्चतर माध्यमिक छात्रवृतियां / शिष्यवृतियां				
			रुपये प्रतिमाह	वर्ष	
1.	उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में छात्रवृतियां	336	25	3	छात्रावासियों के लिये 30 रुपये प्रति माह
	शिष्यवृतियां	7664			शिष्यवृतियों हेतु पालक की आय
2.	पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्रवृतियाँ	252	12	3	सीमा 6000 रु. वार्षिक
	विशेष छात्रवृतियां / शिष्यवृतियाँ				
3.	संगीत तथा कला हेतु छात्रवृतियां (संगीत महाविद्यालयों में)				
	(अ) गायन, वादन, नृत्य	20	25	2	
	(ब) चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला	20	25	2	
4.	संगीत तथा कला के लिये विशेष छात्रवृत्तियां				
	(अ) गायन, वादन, नृत्य	3	100	2	
	(ब) चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला	3	100	2	
5.	शालाओं हेतु खेलकद छात्रवृतियां	28	25	1	14 छात्रों के लिए एवं 14 छात्राओं के लिये
6.	नौ सेना तथा सेना छात्रवृतियाँ	8	100	1	
7.	राष्ट्रीय छात्र सेना (जूनियर) छात्रवृतियां	8	20	1	जल, थल, वायु सेना प्रत्येक हेतु 2 एवं छात्राओं के लिये थल सेना में 2

1	2	3	4	5	6
8.	शारीरिक शिक्षा छात्रवृति–स्नातकोत्तर	2	60	2	
	उपाधिपाठ्यक्रम	3	45	3	
	पत्रोपाधि	15	40	2	
	प्रमाण–पत्र	15	35	1	
9.	पब्लिक स्कूल में राज्य द्वारा प्रदत्त (कक्षा 6 से 11 में)	15 वार्षिक 2000 रु. से कम पालक की मासिक आय होने पर)	2000 रु.(500 रु.	6	भारत शासन द्वारा संचालित परीक्षाओं के आधार पर से छात्रवृतियां भारत शासन द्वारा प्रदत है जो छात्र इसमें सफल नहीं होते है किन्तु भारत शासन अनुशंसा करता है उन्हें यह मान्य है।
10.	विज्ञान के मेधावी छात्रों की छात्रवृत्तियां				
	स्नातक पाठ्यक्रम	50	60	3	यह भारत शासन द्वारा संचालित परीक्षा है जो छात्र उक्त परीक्षा में सफल नहीं होते हैं किन्तु जिनकी अनुशंसा भारत शासन करती है उन्हें यह छात्रवृत्तिमान्य है।
	स्नातकोत्तरपाठ्यक्रम	18	75	2	
11.	मृत/अपंग शासकीय कर्मचारियों के बालकों को छात्रवृत्तियां	प्रायमरी	5	5	
		पूर्व माध्यमिक	12	3	
		उच्चतर माध्यमिक	25	3	
		स्नातक	50	3	
		स्नातकोत्तर	75	2	
12.	निर्धनता तथा योग्यता आधार पर विशेष छात्रवृत्ति या एक मुश्त अनुदान।	अध्ययन	शासन द्वारा निर्णित	शासन द्वारा निर्णित	
13.	संस्कृत शालाओं में छात्रवृत्तियां				
	(1) प्रथमा स्तर छात्रवृत्तियां	100	10	3	
	,, ,, शिष्यवृत्तियां	100	10	3	

1	2	3	4	5	6
	(2) पूर्व मध्यमा स्तर छात्रवृत्तियां	25	20	2	
	पूर्व मध्यमा स्तर शिष्यवृत्तियां	25	20	2	
	(3) उत्तमा स्तर छात्रवृत्तियां	25	25	2	
	,, ,, शिष्यवत्तियां	25	25	2	
14.	उच्चतर माध्यमिक शालाओं में संस्कृत विषय (डी ग्रूप) अध्ययन हेतु वृत्तियां	74 (प्रति कक्षा)	10	3	
15.	समर्पण करने वाले डाकुओं के बालकों एवं दस्यु पीड़ित व्यक्तियों के बालकों को छात्रवृत्तियां	प्राथमिक पूर्व माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक		5 3 3	
16.	सैनिक स्कूल, रीवा में छात्रवृत्तियां	6वीं से 11वीं तक परीक्षा में सफल समस्त छात्रों को	1. 400 रु. मासिक आय शत प्रतिशत 2. 401 से 750रु. मासिक आय 75 प्रतिशत 3. 751 से 1000 रु. मासिक आय 50 प्रतिशत 4. 1001 से 1200 रु. मासिक आय 25 प्रतिशत	6	
17.	ग्रामीण प्रतीभा खोज छात्रवृत्ति उच्चतर माध्यमिक स्तर पर	457 विकास खंडों में प्रत्येक में 1 या 2	रु. 50 रु. 100 आवासीय छात्रों के लिये	3	
18.	आत्म समर्पण करने वाले डाकुओं तथा डाकुओं द्वारा मारे गये लोगों के बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति		छात्रावासी / गैर छात्रावासी		यह छात्रवृत्ति सीमित साधन वाले छात्रों को पाने की पात्रता है।
		प्राथमिक	60 / 35		
		माध्यमिक	60 / 40		
		उच्चतर माध्यमिक	65 / 45		
19.	सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति	भारत के समस्त राज्यों में 100	रु. 50 रु. 100 (छात्रावासी)	18 वर्ष की आयु तक	भारत शासन के निर्देश पर चुनाव होता है

अध्याय–2

अनुदान

शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न अशासकीय अभिकरण भी कार्यशील हैं एवं शिक्षण कार्य में अपना योगदान प्रदान करते हैं। राज्य शासन शिक्षा के पोषण, उन्नयन एवं विस्तार हेतु अनुदान अशासकीय संस्थाओं को प्रदान करता है। तद्नुसार संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा पोषण, भवन एवं उपकरण अनुदान दिये जाने का प्रावधान हैं। प्रतिवर्ष वित्तीय साधनों की सीमा में नवीन शालाओं को पोषण अनुदान, स्वीकृत किया जाता है एवं पूर्व में अनुदान प्राप्त संस्थाओं को अनुदान पुनः निर्धारण किया जाता है। अनुदान के खर्च में क्रमिक वृद्धि होती है। अशासकीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण क्षेत्र उच्चतर माध्यमिक शालाएं हैं यद्यपि प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी यह संस्थाएं अपना कार्य करती है। यद्यपि शिक्षा संचालन का अधिकतर दायित्व शिक्षा विभाग संभालता है, किन्तु इन अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कार्य को दृष्टि ओझल नहीं किया जा सकता। इसी हेतु शासन सदैव उनके हित को ध्यान में रख कर अनुदान की व्यवस्था करता है एवं इस व्यवस्था का सुचारु रूप से संचालन हेतु स्वस्थ सहयोग की अपेक्षा करता है। निम्नांकित सांख्यिकी अनुदान की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं :–

स्तरवार अनुदान

क्रमांक	संस्था	संख्या	धनराशि
1.	उच्चतर माध्यमिक	428	1,93,48,266
2.	माध्यमिक	226	26,97,904
3.	प्राथमिक	954	64,47,549
4.	पूर्व प्राथमिक	52	1,55,553
5.	पुस्तकालय	160	1,94,077
6.	अन्य विशेष संस्थाएं	64	5,42,355
	योग ..	1,884	2,93,85,704

विशिष्ट अनुदान

क्रमांक	अनुदान	राशि	शालाओं की संख्या					
			उच्चतर माध्यमिक	माध्यमिक	प्राथमिक	पूर्व प्राथमिक	पुस्तकालय	अन्य संस्थाए
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	भवन अनुदान	38,750	3	..	..	..	..	..
2.	उपकरण अनुदान	36,418	6	..	..	..	..	..
3.	पोषण अनुदान	2,93,85,704	428	226	954	52	160	64
4.	अन्य अनुदान	4,20,300	..	..	..	..	..	..
	योग ..	2,98,81,172	437	226	954	52	160	64

क्रमांक	जिला	उच्चतर माध्यमिक शालाएं		माध्यमिक शालाएं		प्राथमिक शालाएं		बालक मन्दिर		पुस्तकालय		विशिष्ट संस्थाएं	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	भोपाल	8	2,45,288	15	4,61,299	11	97,751	...	...	1	3,100	2	6,166
2.	सीहोर	...	...		...	1	4,097	...	...	...	...	...	...
3.	रायसेन	...	...		...	...	...	...	...	...	...	...	...
4.	विदिशा	3	1,45,,663	4	77,585	4	28,459	—	...	...	...	...	...
5.	राजगढ़	...	...	...	...	...	...	...	...	1	2,000	...	...
6.	होशंगाबाद	12	4,52,855	7	32,515	17	1,38,065	4	9,997	4	1,340	2	6,370
7.	खण्डवा	17	8,00,973	8	53,260	31	2,15,292	2	5,172	3	1,500	1	27,860
8.	बैतूल	8	2,96,134	1	5,350	9	78,940	2	6,530	1	500	....	...
9.	छिन्दवाड़ा	17	7,35.212	4	24,276	20	1,81,041	3	6,470	1	500	...	...
10.	नरसिंहपुर	7	2,61,837	...	...	3	27,522	4	6,900	2	1,000	2	8,749
11.	सिवनी	1	1,10,873	1	1,050	...	...	3	3,879	...	...	1	4,995
12.	जबलपुर	62	41,22,559	30	2,03,920	60	8,93,264	6	14,575	1	500	11	1,58,778
13.	मण्डला	4	1,44,316	4	47,213	15	88,324	2	3,450	...	...	...	...
14.	बालाघाट	3	1,32,463	1	11,032	6	43,537	2	2,885	...	...	1	2,700
15.	सागर	16	9,91,434	9	51,862	25	2,76,035	4	12,524	...	...	3	20,904
16.	दमोह	12	4,67,005	3	37,145	8	47,760	3	16,298	...		1	7,335
17.	छतरपुर	1	36,425	...	...	1	2,000	...	...	4	4051	1	4,300
18.	पन्ना	1	16,300	1	13,700	3	13,900	...	...	1	700	...	...
19.	टीकमगढ़	1	10,100	...	...	...	...	...	...	1	500	...	...
20.	रायपुर	55	23,37,264	7	78,905	46	4,16,850	4	19,770	19	9,500	4	32,000
21.	दुर्ग	10	5,23,060	1	13,386	6	40,102	4	15,968	2	1,000	...	...
22.	बस्तर	2	47,174	1	16,632	4	46,740	2	7,300	...	...	...	...
23.	राजनांदगांव	3	1,83,575	...	...	3	20,156	2	8,819	1	1,000	1	4,429
24.	बिलासपुर	44	13,34,030	7	63,550	30	3,22,710	5	15,090	5	1,950	2	14,250
25.	सरगुजा	7	2,14,350	3	41,420	12	1,30,270	...	...	1	600	...	...
26.	रायगढ़	10	3,10,950	14	1.15,160	20	1,57,790	...	...	6	3,000	1	5,800
27.	उज्जैन	8	3,78,859	4	1,06,089	43	2,09,015	...	...	4	8,445	2	8,622
28.	मन्दसौर	4	60,665	5	91,555	12	1,18,071	...	...	8	6,762	...	...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	रतलाम	5	1,06,646	6	69,402	11	1,18,354	...	...	3	6,272	...	...
30.	शाजापुर	1	2,500	...	...	3	9,260	...	...	3	1,300	...	...
31.	ग्वालियर	27	11,40,009	31	3,35,493	70	6,13,830	...	...	22	18,160	8	1,37,286
32.	भिण्ड	11	4,25,879	3	11,913	65	1,29,309	...	...	4	2,940	1	2,300
33.	मुरैना	14	4,87,546	7	1,02,700	233	5,78,500	...	...	6	1,200	2	9,800
34.	शिवपुरी	9	2,67,460	1	8,016	70	1,38,000	...	...	3	2,419	2	2,737
35.	गुना	3	49,160	4	94,634	14	48,804	...	...	5	5,620	2	6,774
36.	दतिया	...	...	...	...	...	...	...	...	1	2,500	...	...
37.	इन्दौर	28	21,41,000	17	3,15,423	61	8,51,600	...	...	13	41,790	11	66,130
38.	देवास	...	...	1	45,000	7	40,047	...	...	3	2,077	...	...
39.	धार	...	...	3	25,600	13	81,500	...	...	7	7,800	...	...
40.	खरगोन	1	90,000	1	2,500	4	83,324	...	...	11	16,150	1	1,000
41.	झाबुआ	...	...	1	15,000	5	48,500	...	...	...	...	..	...
42.	रीवा	5	65,161	4	18,500	3	8,910	...	...	5	3,683	...	...
43.	सतना	6	1,68,215	6	85,337	4	20,900	...	...	5	2,380	1	2,500
44.	सीधी	...	...	1	21,485	...	...	...	...	...	...	...	...
45.	शहडोल	2	45,326	...	...	1	7,020	...	...	2	3,838	1	3,600
	योग ..	428	1,93,48,266	226	26,97,904	954	64,47,549	52	1,55,553	160	1,94,077	64	5,42,355

अध्याय–3

पुस्तकालय

संचालनालय लोक शिक्षण के अधीन संचालित पुस्तकालयों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :–

१. शैक्षिक पुस्तकालय

२. सार्वजनिक पुस्तकालय

१. शैक्षिक पुस्तकालय :– ये पुस्तकालय शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों, राज्य स्तरीय विशेष संस्थाओं, जैसे राज्य शिक्षा संस्थान, भोपाल, आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान, भोपाल, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, जबलपुर, मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय, जबलपुर, शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, शिवपुरी तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्थित हैं। इन शैक्षिक पुस्तकालयों का उद्देश्य शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना है। अतः इन पुस्तकालयों में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की ज्ञानवृद्धि के लिये संदर्भ ग्रंथ, शैक्षिक उपयोग की सूचनात्मक पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकायें होती हैं। पुस्तकालयों के व्यवस्थित संचालन के लिये १० शिक्षा महाविद्यालयों, ५ राज्य स्तरीय विशेष संस्थाओं तथा १७३ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित ग्रंथपाल के पद स्वीकृत हैं। जिन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ग्रंथपाल के पद स्वीकृत नहीं हैं, उनके पुस्तकालयों का संचालन संस्था के शिक्षकों द्वारा किया जाता है।

२ सार्वजनिक पुस्तकालय :– संचालक लोक शिक्षण के अधीन ५ क्षेत्रीय पुस्तकालय तथा २५ जिला पुस्तकालय संचालित हैं। क्षेत्रीय पुस्तकालय ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, भोपाल तथा रीवा में स्थित हैं। जिला पुस्तकालय, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, सागर, दतिया, डबरा, सीहोर, रायसेन, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा तथा वरमेन्द्र पुस्तकालय नागौद में स्थित हैं।

ये क्षेत्रीय तथा जिला पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालयों के रूप में कार्य करते हैं। इन पुस्तकालयों के वाचनालय सर्वसाधारण जनता के लिये निःशुल्क खुले रहते हैं। किन्तु इन पुस्तकालयों से घर के उपयोग के लिये पुस्तकें ले जाने के लिये सदस्य बनना होता है जिसके लिये अमानत की राशि (कॉशनमनी) जमा करनी होती है। सदस्यता समाप्त करने पर यह धन सदस्य को लौटा दिया जाता है।

शैक्षिक तथा सार्वजनिक दोनों प्रकार के पुस्तकालयों के संचालन से संबंधित कार्य देखने तथा ग्रंथपालों की नियुक्ति और उनकी सेवा संबंधी अन्य कार्यों के देखने के लिये संचालनालय लोक शिक्षण में मुख्य ग्रंथपाल की देखरेख में एक पृथक से ग्रंथालय कक्ष है।

ग्रंथपालों की संख्या :–

(अ) वेतनमान के आधार पर :–

वेतनमान	संख्या
रु. 500–1150	1 (राजपत्रित)
रु. 400–720	5 (राजपत्रित)

रु. 280–400	95	(अराजपत्रित)
रु. 195–330	123	,,
रु. 140–240 (अपुनरीक्षित)	1	,,
रु. 169–330	1	,,
योग..	226	

(ब) कार्य स्थल के आधार पर :–

संस्था	संख्या	
1. संचालनालय लोक शिक्षण	1	(राजपत्रित)
2. क्षेत्रीय पुस्तकालय	5	,,
3. क्षेत्रीय पुस्तकालय	5	(अराजत्रित)
4. जिला पुस्तकालय	25	,,
5. शिक्षा महाविद्यालय	10	(अराजपत्रित)
6. विशेष संस्थान	5	,,
7. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	173	,,
8. बाल पुस्तकालय एवं कौतुकालय, केन्द्रीय पुस्तकालय, ग्वालियर ।	1	,,
9. आलोक शाला उज्जैन	1	,,
योग..	226	

अनुदान:–

इसके अतिरिक्त विवेच्य वर्ष में जनता द्वारा संचालित राज्य के 158 अशासकीय पुस्तकालयों एवं वाचनालयों को लगभग 2 लाख रुपयों का अनुदान दिया गया ।

राजा राममोहन राय लायब्रेरी संस्थान :–

विवेच्य वर्ष में राज्य के 25 जिला पुस्तकालयों तथा 9 नेहरू युवक केन्द्रों तथा उन 20 जिलों को भी जहां अभी जिला पुस्तकालय नहीं है, राजाराम मोहनराय संस्थान कलकत्ता से 92,200 रुपये मूल्य की पुस्तकें प्राप्त हुई ।

अध्याय–4

शारीरिक शिक्षा

मध्यप्रदेश शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता समिति.– मध्यप्रदेश शासन शिक्षा विभाग ने वर्ष 1962 में स्वीकृत नियमावली के आधार पर राज्य में शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता समिति का गठन किया है। इसकी शाखायें जिला एवं संभाग स्तर पर भी स्थापित की गई हैं। जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष समिति के अध्यक्ष, शिक्षा अधिकारी सचिव, संभाग स्तर पर शिक्षा अधीक्षक इसके अध्यक्ष, एवं क्रीड़ा निरीक्षक सचिव का कार्य करते हैं। राज्य स्तर पर संचालक लोक शिक्षण अध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षा के प्रभारी अधिकारी इसके सचिव हैं। राज्य स्तरीय समिति (राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा मंडल) से सम्बद्ध है।

उद्देश्य :–

1. राज्य की शालाओं में खेलकूद एवं क्रीड़ा संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहन देना।
2. छात्रों में अच्छे खिलाड़ी की भावनाओं का विकास करना।
3. शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर आयोजन कराने की व्यवस्था करना।
4. छात्रों के लिए खेलने में विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना।
5. राज्य की ओर से राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा मण्डल द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होना।

कार्यक्षेत्र :–

राज्य की समस्त उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक शालायें।

समिति वर्ष भर क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है या प्रशिक्षण शिविर लगाकर होनहार छात्र/छात्राओं को विशिष्ट खेलों का प्रशिक्षण देन की व्यवस्था करती है। मुख्यतः शालेय खेलकूद प्रतियोगितायें तीन भागों में विभाजित हैं.–

1. **शरदकालीन खेल:–** इनमें फुटबाल, कबड्डी, टेबिल टेनिस, बास्केट बाल एवं खो-खो तथा तैराकी की प्रतियोगितायें आयोजित की जाती हैं।
2. **शीतकालीन खेल:–** हाकी, वालीबाल, जिम्नास्टिक, बेडमिन्टन, खेलकूद, कुश्ती आदि प्रतियोगितायें आयोजित की जाती है।
3. **क्रिकेट:–** शालेय स्तर पर क्रिकेट प्रतियोगितायें आयोजित की जाती है।

खेलकूद कार्यक्रम

क्रमांक	खेलकूद कार्यक्रम वर्ष 1974–75 का विवरण	धनराशि
1	2	3
1.	बजट प्रावधान	1,56,600
2.	व्यय (शासन से स्वीकृत)	1,59,550
3.	खेलकूद प्रतियोगिताओं की धनराशि जो वंटित की गई:—	
	(1) जिलास्तरीय प्रतियोगिताएं भाग 1 एवं 2	18,550
	(2) संभागीय प्रतियोगिताएं भाग 1 एवं 2	19,000
	(3) संभागीय दलों को राज्य प्रतियोगिता भाग 1 एवं 2 में सम्मिलित होने हेतु	10,000

1	2	3
(4)	राज्यस्तरीय प्रतियोगिताएं भाग 1 एवं 2	30,000
(5)	राज्य दल को राष्ट्रीय प्रतियोगिता भाग 1 एवं 2 में सम्मिलित होने हेतु	31,000
(6)	प्री–नेशनल कोचिंग भाग 1 एवं 2	6,000
(7)	क्रिकेट को प्रोत्साहन देने हेतु	3,000
(8)	क्रिकेट की राज्य प्रतियोगिता तथा क्रिकेट के दल को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सम्मिलित करने हेतु	4,200
(9)	ब्लेजस	4,850
(10)	विभिन्न स्तर पर बालिका हाकी प्रतियोगिता	14,500
(11)	विभिन्न स्तर पर बाल्य कुश्ती प्रतियोगिता	11,750
(12)	राज्य स्तर पर तैराकी प्रतियोगिता तथा तैराकी दल को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सम्मिलित करने हेतु	6,000
	बंटित धनराशि का योग . .	1,58,850

प्रवेश शुल्क :– राज्य प्रतियोगिता में सम्मिलित होने हेतु संभागों से प्रवेश शुल्क लिया जाता है ।

शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता नियमावली के अन्तर्गत प्रवेश शुल्क प्राप्त किया जाता है। प्रवेश शुल्क विद्यार्थियों से नहीं लिया जाता है, जिस शाला का विद्यार्थी प्रतियोगिता में सम्मिलित होता है, उसी शाला को निर्धारित दर पर प्रवेश शुल्क देय होता है। प्रवेश शुल्क की दर निम्नानुसार है :–

	छात्र संख्या	धनराशि (रुपयों में)
1. माध्यमिक शाला में दर्ज छात्र संख्या	100 या कम	5
2. माध्यमिक शाला में दर्ज छात्र संख्या	100 से 200	8
3. माध्यमिक शाला में दर्ज छात्र संख्या	200 से 300	10
4. माध्यमिक शाला में दर्ज छात्र संख्या	350 से ऊपर	15
5. उच्चतर माध्यमिक शाला में दर्ज छात्र संख्या	100 तक	10
6. उच्चतर माध्यमिक शाला में दर्ज छात्र संख्या	100 से 250	15
7. उच्चतर माध्यमिक शाला में दर्ज छात्र संख्या	250 से 500	25
8. उच्चतर माध्यमिक शाला में दर्ज छात्र संख्या	500 से ऊपर	50

माध्यमिक शालाओं से प्रवेश शुल्क जिलास्तरीय प्रतियोगिता समिति वसूल करती है। कुल प्राप्त धन में से 25 प्रतिशत धनराशि संभागीय प्रतियोगिता समिति भेजती है। शेष धनराशि का उपयोग जिला प्रतियोगिता के लिये होता है।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से संभागीय क्रीड़ा प्रतियोगिता समिति प्रवेश शुल्क प्राप्त करती है। कुल प्राप्त धनराशि का 30 प्रतिशत राज्यस्तरीय प्रतियोगिता समिति को संभागीय समिति धन भेजती है ।

राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रवेश. दल की विभिन्न खेलों में अर्जित उपलब्धि

राष्ट्रीय प्रतियोगिता	खेल / क्रीड़ा का नाम	प्रतियोगिता में प्राप्त स्थान	प्राप्त पदक का प्रकार
1	2	3	4
20 वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता यात्री आगरा (उ. प्र.)	1 हाकी (बालक)	संयुक्त विजेता	स्वर्ण पदक
	2 हाकी (बालिका)	तृतीय स्थान	कास्य पदक
	3 खो–खो (बालिका)	प्रथम स्थान	स्वर्ण पदक
	4 टेबिल टेनिस (बालिका)	चतुर्थ स्थान	..
	5 तैराकी (बालक)		
	200 मी. फ्री स्टाइल वीरेन्द्र चौहान	तृतीय ,,	कास्य पदक
	400 मी. फ्री स्टाइल वीरेन्द्र चौहान	द्वितीय ,,	कास्य पदक
	800 मी. फ्री स्टाइल वीरेन्द्र चौहान	तृतीय ,,	कास्य पदक
20वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता भाग 2 (शीतकालीन) इम्फाल (माठीपुर) 27–2–75 से 3–3–75	1. बास्केट बाल (बालक)	द्वितीय स्थान	रजत पदक
	2. जिम्नास्टिक (बालक)	पंचम स्थान	..
	3. बास्केट बाल (बालक)	द्वितीय स्थान	रजत पदक
	4. जिम्नास्टिक (बालिका)	छटवां स्थान	..
	5. बैडमिन्टन (बालिका)	प्रथम स्थान	स्वर्ण पदक
	6. एथेलैटिक्स (बालक)		
	(सीनियर) 1. ऊंची कूद ब्रिजेन्द्र	द्वितीय स्थान	रजत पदक
	2. 110 मी. बाधादौड़ पी. दास	द्वितीय ,,	रजत पदक
	3. 4X400 मी. टिलेदौड़	तृतीय ,,	कास्य पदक
	(जूनियर) 4. 400 मी. दौड़ कवीन्द्र	तृतीय ,,	कास्य पदक
	5. 300 मी. दौड़ नरेन्द्र	तृतीय ,,	कास्य पदक
	6. ऊंची कूद सुरेन्द्रसिंह	तृतीय ,,	कास्य पदक
	7. चक्र फैंक दारासिंह	प्रथम ,,	स्वर्ण पदक
	8. एथेलैटिक्स (बालिका)		
	(सीनियर) 1. 800 मी. दौड़ कु. उज्वला	द्वितीय ,,	रजत पदक
	2. 100 मी. बाधा दौड़ कु. स्नेहलता	तृतीय ,,	कास्य पदक
	3. 800 मी दौड़ कु. सुषमा	तृतीय ,,	कास्य पदक

राज्य के व्यायाम निर्देशकों की जानकारी

क्रमांक	पद	वेतनमान	संख्या	प्रशिक्षित व्यायाम निर्देशकों की संख्या	प्रशिक्षित व्यायाम निर्देशकों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	व्यायाम निर्देशक तात्याटोपे महाविद्यालय, शिवपुरी	रु. 280–480	4	4	शत प्रतिशत
2.	व्यायाम निर्देशक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	रु. 280–480	24	24	,,
3.	व्यायाम निर्देशक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	रु. 220–375	668	668	,,
4.	व्यायाम निर्देशक	रु. 220–375	36	36	,,
	योग		732	732	

व्यायाम निर्देशकों का वेतनमान एवं योग्यता के आधार पर वर्गीकरण

क्रमांक	वेतनमान	संख्या	योग्यता
1	2	3	4
1.	रु. 280-10-350-12½-400-ई. बी.-20-480	28	शारीरिक शिक्षा में उपाधि अथवा डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण।
2.	रु. 220-5-240-6-270-10-300ई. बी. 10-350-12½-375	704	शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण।
	योग	732	

राज्य की शासकीय उच्चतर माध्यमिक शालाओं में उपलब्ध क्रीड़ांगणों की जानकारी

कुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक शालाओं की संख्या	उच्चतर माध्यमिक शालाओं की संख्या जहां क्रीड़ागण उपलब्ध है
1430	240

वर्ष 1974-75 में राज्य में एन. डी. एस. निर्देशकों की जानकारी

क्रमांक	पद	वेतनमान	संख्या	प्रशिक्षित एन. डी. एस. निर्देशकों की संख्या	प्रशिक्षित एन. डी. एस निर्देशकों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	एन. डी. एस. निर्देशक सीनियर ग्रेड-1	अ 210-320	1	1	शत प्रतिशत सभी निर्देशकों ने सरिस्का/बरवाहा प्रशिक्षण प्राप्त किया है
2	एन. डी. एस. निर्देशक सीनियर ग्रेड-2	ब 150-240	10	10	–तथैव–
3	एन. डी. एस. निर्देशक जूनियर ग्रेड-1	स 110-200	357	357	–तथैव–
	योग ..		368	368	

अध्याय--5

राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान

सत्र 74–75 में प्रदेश के 1606 अभियान केन्द्रों पर परीक्षण आयोजिन किये गये जिसमें विभिन्न स्तरों पर 66,896 प्रतियोगी सफल रहे ।

सम्पूर्ण प्रदेश में निम्नानुसार प्रतियोगी विभिन्न केन्द्रों पर सम्मिलित हुए । कुल भाग लेनेवालों की संख्या 3,14,249 है ।

अवर वर्ग में सम्मिलित होनेवालों की संख्या–	3 तारा	12,938
	2 तारा	48,009
	1 तारा	2,01,080
प्रवर वर्ग में सम्मिलित होनेवालों की संख्या–	3 तारा	8,190
	2 तारा	14,961
	1 तारा	23,071

जिलेवार आंकड़े

क्रमांक	जिले का नाम	भाग लेने वालों की संख्या	जूनियर (अवर)			सिनियर (प्रवर)		
			3 तारा	2 तारा	1 तारा	3 तारा	2 तारा	1 तारा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	भोपाल ..	1,864	86	531	1,019	11	93	124
2.	सीहोर ..	2,790	295	425	1,809	46	91	124
3.	रायसेन ..	8,768	245	1,542	6,069	175	503	234
4.	विदिशा ..	19,203	800	3,549	11,723	822	1,207	1,102
5.	राजगढ़ ..	23,049	965	3,569	15,700	666	1,116	1,033
6.	रायपुर ..	4,227	81	960	2,524	32	118	512
7.	दुर्ग ..	6,877	274	812	4,744	106	241	700
8.	बस्तर ..	675	15	153	331	15	11	150
9.	राजनांदगांव ..	3668	77	668	2,019	78	284	542
10.	बिलासपुर ..	5,786	90	671	3,581	154	410	880

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	रायगढ़ ..	888	10	66	586	17	109	100
12.	सारगुजा ..	4,302	430	871	2,149	245	237	370
13.	होशंगाबाद ..	6,120	306	1,112	3,699	114	313	576
14.	खण्डवा ..	7,484	219	936	3,498	105	540	2,186
15.	बैतूल ..	8,355	82	1,161	5,732	64	407	909
16.	नरसिंहपुर ..	3,814	63	683	2,489	133	166	280
17.	छिन्दवाड़ा ..	3,966	130	687	2,516	205	171	255
18.	सिवनी ..	3,192	135	620	1,971	58	175	233
19.	सागर ..	759	128	282	328	..	5	16
20.	दमोह ..	1,259	34	91	984	17	12	121
21.	टीकमगढ़ ..	8,706	259	859	6,309	58	370	851
22.	पन्ना ..	2,081	158	294	1,228	103	124	174
23.	छतरपुर ..	3,062	150	481	1,907	58	152	314
24.	ग्वालियर ..	5,858	234	767	4,028	191	210	428
25.	भिण्ड ..	4,354	500	928	2,599	166	138	123
26.	मुरैना ..	5,224	358	971	2,920	235	374	366
27.	शिवपुरी ..	4,282	257	782	2,709	45	161	228
28.	गुना ..	10,675	452	1,898	6,965	425	516	419
29.	जबलपुर ..	324	24	50	195	10	18	27
30.	बालाघाट ..	5,898	409	1,274	2,973	367	401	474
31.	मण्डला ..	5,485	219	987	2,961	200	424	994
32.	सीधी ..	8,244	731	1,496	4,729	577	430	281

1	2		3	4	5	6	7	8	9
33.	शहडोल	..	1,737	93	367	958	52	113	154
34.	सतना	..	15,955	1,247	2,320	9,875	644	787	4082
35.	इन्दौर	..	6,354	158	921	4,754	36	250	235
36.	धार	..	10,606	251	1,007	7,910	114	475	849
37.	झाबुआ	..	7,059	271	1,266	4,466	303	327	426
38.	खरगोन	..	7,431	88	930	5,176	90	484	663
39.	देवास	..	16,102	407	2,038	12,371	109	396	728
40.	उज्जैन	..	18,824	892	3,085	12,281	412	673	1,481
41.	शाजापुर	..	9,306	205	1,531	6,500	253	255	562
42.	मन्दसौर	..	27,202	735	3,148	20,555	411	1,024	1,329
43.	रतलाम	..	12,434	322	1,220	9,338	268	650	636
	योग	..	3,14,249	12,938	48,009	2,07,080	8,190	14,961	23,071

अध्याय–6

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान

समाज में शिक्षकों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा की पुर्नस्थापना तथा संकटकाल में उनकी सहायता की दृष्टि से अपने देश में राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की स्थापना भारत शासन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 25 जून, 1962 से की गई है। प्रतिष्ठान का मुख्यालय दिल्ली में है तथा प्रत्येक राज्य एवं केन्द्र-शासित क्षेत्र में कार्यकारिणी समितियां हैं। मध्यप्रदेश की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष राज्य के शिक्षा मंत्रीजी हैं और संचालक लोक शिक्षण उसके सचिव-कोषाध्यक्ष हैं।

प्रतिष्ठान की गतिविधियां संचालित करने के लिए शिक्षक कल्याण निधि है। इस निधि में जनता, पालकों, बालकों एवं स्वयं शिक्षकों के चन्दे से धन एकत्रित होता है। शिक्षक इस निधि की अपने वर्ग के सामूहिक सुरक्षा का साधन मानकर इसमें चन्दा देते हैं एवं अन्य लोग शिक्षकों की सेवाओं के प्रति अपने आभार की अभिव्यक्ति के रूप में चन्दा देते हैं। गतवर्ष इस निधि में 4 लाख रुपये से अधिक धन एकत्रित किया गया और इस वर्ष साढ़े पांच लाख रुपये से भी अधिक धन प्राप्त होने की आशा है। राज्य सरकार भी इस निधि में 25 हजार रुपये का वार्षिक अनुदान प्रदान करती है।

शिक्षक कल्याण निधि का उपयोग प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। सारा धन-संग्रह राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के नाम पर होता है और उसके खाते में जमा कर दिया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिष्ठान एक बड़ी केन्द्रीय निधि स्थापित कर रहा है, जिसकी सहायता से निकट भविष्य में देश व्यापी शिक्षक कल्याण योजनाएं प्रारंभ की जा सकेंगी। राज्य के द्वारा एकत्रित धन में से 20 प्रतिशत इसी केन्द्रीय निधि में चला जाता है और शेष 60 प्रतिशत धन राज्य में शिक्षक कल्याण गतिविधियों को चलाने के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति को वापिस कर दिया जाता है। मध्यप्रदेश में अभी तक 23 98,961 रुपये की राशि का संग्रह हुआ है जिसमें से राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण की ओर से 19,19,168 रुपये की राशि राज्य को वापिस लौटाई गई है। विगत 12 वर्षों में इस राशि में से 2721 शिक्षकों को 12,30,984 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है और वर्तमान में 743 शिक्षकों अथवा उनके आश्रितों को सहायता दी जा रही है।

विगत दो वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की मध्यप्रदेश शाखा के कार्यकलापों को विस्तृत करने एवं उनमें नई चेतना फूंकने की दिशा में कई-महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है।

1. सम्भागीय मुख्यालयों में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस का आयोजनः–

सन् 1974 तक इस प्रदेश में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष केवल भोपाल में ही मना लिया जाता था, जिससे केवल एक परम्परा या परिपाटी का पालन ही हो पाता था। इस प्रकार के आयोजनों में किसी प्रकार की गहन प्रेरणा या उत्साह का अभाव दृष्टिगोचर होने लगा था और इनमें अपेक्षाकृत कम शिक्षक तथा अन्य नागरिक भाग लेते थे। इसका परिणाम होता था कि अनेक शिक्षकों एवं अधिकांश नागरिको को यह पता भी नहीं चल पाता था कि शिक्षक दिवस कहां मनाया गया और किस प्रकार मनाया गया।

राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस आयोजनों की इस नीरसता एवं निर्जीवता को दूर करने के लिए गत वर्ष यह निर्णय लिया गया कि राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस को प्रतिवर्ष बारी-बारी से राज्य के विभिन्न संभागीय मुख्यालयों में पूरे प्रचार-प्रसार एवं उत्साह से आयोजित किया जाए जिससे राज्य के सभी शिक्षकों एवं नागरिकों को क्रमश: इस आयोजन में भाग लेने का अवसर मिल सके और वे निकट से राज्य शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के कार्यकलापों का अवलोकन कर सकें ।

उक्त निर्णय के अनुरूप गतवर्ष राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस का आयोजन 5 सितम्बर 1975 को रायपुर में किया गया और इस वर्ष 5 सितम्बर को जबलपुर में। जबलपुर में आयोजित इस वर्ष के शिक्षक दिवस समारोह की अध्यक्षता मध्यप्रदेश के शिक्षा मंत्री माननीय श्री वसन्तराव उयके ने की और नगर के विशाल 'मानस भवन' में आयोजित इस समारोह में हजारों शिक्षकों एवं लब्धप्रतिष्ठित नागरिकों ने भाग लिया। प्रदेश के लगभग सभी समाचार पत्रों में इस आयोजन की जो भूरि-भूरि प्रशंसा प्रकाशित हुई है, उससे स्पष्ट है कि इस प्रदेश में शिक्षक दिवस का आयोजन पूर्णतः सजीव एवं सशक्त हो उठा है और उसके माध्यम से प्रदेश के शिक्षकों तथा अन्य नागरिकों के बीच परस्पर स्नेह एवं सम्मान की एक अपूर्व भावना विकसित हो रही है ।

2. **राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार:–**

अच्छे शिक्षकों को प्रोत्साहन एवं सम्मान देने के लिए गतवर्ष से इस प्रदेश में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार की भी एक नई योजना प्रारम्भ की गई है । राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की एक पुरस्कार योजना अपने देशों में विगत कुछ वर्षों से चल रही है, किन्तु इस राष्ट्रीय पुरस्कार योजना की एक विशेष परिसीमा तो यह रही है कि ये पुरस्कार शिक्षकों की विशाल संख्या की तुलना में काफी कम होते हैं, और फिर ये पुरस्कार प्राय: 20 वर्ष से अधिक शैक्षिक अनुभव वाले शिक्षकों को प्राप्त होते हैं, जो कि पुरस्कार प्राप्ति के समय तक अपने सेवा काल के अन्तिम चरण में पहुंच चुके होते हैं ।

कर्तव्यनिष्ठ एवं लगनशील शिक्षकों को सम्मानित एवं पुरस्कृत करन की इस व्यवस्था क अन्तर्गत, सेवा के मध्यकाल में दस से बीस साल तक की सेवा वाले, उत्कृष्ट शिक्षकों के प्रोत्साहन एवं सम्मान की कोई समुचित व्यवस्था न होने के कारण इस राज्य के शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा गतवर्ष से राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान करने की एक योजना प्रारंभ की गई है । इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक संभाग से दो उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रमाण पत्र एवं 501 रु. का नगद पुरस्कार देकर राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस के समारोह में सम्मानित किया जाता है । गतवर्ष के बीस राज्य स्तरीय पुरस्कार इस वर्ष जबलपुर के राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह में माननीय शिक्षामंत्री के करकमलों द्वारा प्रदान किए गए और इस वर्ष के पुरस्कार अगले वर्ष के शिक्षक दिवस समारोह में वितरित किए जावेंगे । इस राज्य स्तरीय पुरस्कार व्यवस्था के फलस्वरूप अपेक्षाकृत कम शैक्षणिक अनुभव वाले शिक्षकों को अपना शिक्षण उत्कृष्ट बनाने हेतु नई प्रेरणा मिली है ।

3. **शिक्षकों के प्रतिभावान पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति:–**

मध्यप्रदेश में विशेषकर प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कई ऐसे शिक्षक हैं, जिनका कि लगभग सारा जीवन दूसरों के घर में दीपक जलाने में व्यतीत हो जाता है किन्तु वे निर्धनता एवं शिक्षा केन्द्रों से दूरस्थ ग्रामों में कार्यरत रहने के कारण अपने बच्चों को उच्च तकनीकी अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं । इस प्रकार के शिक्षकों के होनहार पुत्र/पुत्रियों की आर्थिक सहायता करने का भी निर्णय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा इस वर्ष लिया गया है । इसके अनुरूप वर्तमान सत्र

में तकनीकी या चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययन रत शिक्षकों के 10 प्रतिभावान पुत्र/पुत्रियों के लिए 1000 रु. की वार्षिक छात्रवृत्तियां घोषित की गई हैं । तकनीकी एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में अन्य कला अथवा वाणिज्य महाविद्यालयों आदि की तुलना में व्यय अधिक होता है, अतः अगले वर्ष से इन छात्रवृत्तियों की राशि और अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की कार्यकारिणी समिति के विचाराधीन है ।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त शिक्षक कल्याण की कई अन्य योजनाएं भी शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के विचाराधीन हैं । इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:–

(1) राज्य के कुछ चुने हुए अस्पतालों में शिक्षकों एवं उनके परिवार के सदस्यों की समुचित चिकित्सा व्यवस्था के लिए विशेष चिकित्सा वार्डों का निर्माण ।

(2) प्रत्येक जिला मुख्यालय में शिक्षकों के लिए "शिक्षक सदन" का निर्माण ।

(3) राज्य के प्रमुख पर्यटन केन्द्रों में शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए अवकाश गृहों की स्थापना ।

(4) शिक्षकों की सहकारी संस्थाएं निर्मित कर उनके माध्यम से राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों के विक्रय की व्यवस्था करना ।

उक्त योजनाओं को कार्यान्वित करने में हमारे सामने मुख्य समस्या समुचित धनराशि उपलब्ध कराने की है । इसके लिए राज्य शासन एवं शिक्षकों के कार्य से सम्बन्धित अन्य स्वायत संस्थाओं से राज्य के शिक्षक कल्याण कोष में अधिक धनराशि देने का निवेदन किया जा रहा है और शिक्षकों से भी यह अपेक्षा की जा रही है कि वे स्वयं भी अपने वर्ग के सामूहिक कल्याण हेतु आगे आयें ।

अध्याय–7

शासकीय जीवाजी वेधशाला, उज्जैन

स्थापना :

भारतीय ज्योतिसिद्धान्त एवं प्राचीन पाश्चात्य ज्योतिष प्रणाली के अनुसार प्राप्त भ्रम स्थिति के आधार पर ग्रभण के स्पर्शाधिकाल यथावत् नहीं मिलने से जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने जो ज्योतिष शास्त्र में निष्णात थे, सन् १९१९ में उज्जैन में, वेधशाला का निर्माण कर बेध के द्वारा ज्योतिष शास्त्र में संशोधन प्रतिपादित किया।

पुनरुद्धार का उद्देश्य :

भारतीय पंचागों की विभिन्नता को दूर करने के लिए ऐसे करणग्रंथ की आवश्यकता अनुभव की गई जो भारतीय पंचागों में ऐक्यता ला सके। इस महत् कार्य के लिए उज्जैन वेधशाला को प्राथमिकता दी गई तथा स्व. महाराजा माधवराव सिंधिया, ग्वालियर के सहयोग से सन् १९२३ में इस वेधशाला का पुनरुद्धार किया गया। सर्वानन्दलाघव एवं सर्वान्दकरण नामक ज्योतिग्रंथों की रचना, स्व. श्री गो. स. आपरे, संस्था के भतपूर्व अधीक्षक ने की। ज्योर्तिविद्वानों के लिए यह अत्यन्त उपयोगी है।

गतिविधि :

सामान्य वेधशाला से प्रतिवर्ष एक एफेमेरिज प्रकाशित की जाती है जिसका सम्पूर्ण गणित वधशाला पर तैयार किया जाता है। एफेमेरिज में दिए गए विषयों का सत्यापन वेधशाला पर वेध द्वारा लिया जाता है। यह देश का एकमात्र प्रकाशन है, उसका प्रसार विदेशों में भी है। देश में इसके प्रचार के लिए पुस्तक विक्रेताओं की बेनर्स भेजे गए। ग्रह नक्षत्रों के नित्य वेध लेने की व्यवस्था है।

शैक्षणिक :

महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्यप्रदेश के प्रारम्भिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के छात्र वेधशाला पर अध्ययन के लिए आते हैं, जिन्हें योग्य मार्गदर्शन दिया जाता है। विश्वविद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन छात्रों के लिए प्रशिक्षण की विशिष्ट व्यवस्था की जाती है। आलोच्य वर्ष में बड़ोदा, विक्रम एवं इन्दौर विश्व-विद्यालय के छात्रों ने अपने प्राध्यापकों के साथ यहां आकर ज्योतिष शास्त्र का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया।

विदेशी पर्यटक :–

विदेशी पर्यटकों के लिए वेधशाला एक आकर्षण का केन्द्र है। आलोच्य वर्ष में रूस, अमेरिका, आस्ट्रिया, जर्मनी, बेलजियम, जापान, इंगलेण्ड, आस्ट्रेलिया एवं अफ्रीका के पर्यटकों ने वेद्यशाला के यन्त्रों का विशिष्ट अवलोकन एवं अध्ययन किया। विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रत्येक यन्त्र की उपयोगिता के फलक इंग्लिश भाषा में भी लगे हुए हैं।

वेधशाला की पद स्थापना:

वैधशाला की कार्य व्यवस्था के लिए निम्न पद स्वीकृत हैं :-

क्रमांक	पद	पदों की संख्या	श्रेणी	वेतनमान
1	2	3	4	5
1.	अधीक्षक	1	द्वितीय श्रेणी	425–900
2.	सहायक अधीक्षक	1	तृतीय श्रेणी	169–300
3.	केलक्यूलेटर	1	,,	155–252
4.	आब्झरवर	2	,,	,,
5.	कम्प्यूटर	2	,,	,,
6.	प्रधान लेखक	1	,,	220–375
7.	उच्च श्रेणी लिपिक	1	,,	195–330
8.	ग्रन्थपाल	1	,,	169–300
9.	भृत्य	10	चतुर्थ श्रेणी	125–150

योजना:

1. वेधशाला के यन्त्रों की समुचित जानकारी की स्थाई व्यवस्था के लिए प्रत्येक यन्त्र की जानकारी के पाषाण फलक लगाना ।

2. वेधशाला की अनुसन्धानात्मक गतिविधि के लिए इसे विक्रम विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना ।

3 खगोलीय शिक्षा के लिए वेधशाला पर द्विवर्षीय व्यावहारिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना ।

उपसंहार:

भारतीय पंचांगों की विषमता की दूर करने के लिए भारतीय पद्धति का एक पंचांग वेधशाला से प्रकाशित करने की भी योजना है। इसके कार्यान्वित हो जाने पर मध्यप्रदेश में पर्व, त्योहार एवं उत्सवों में एक रूपता आ सकेगी ।

अध्याय–8

शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद

शासकीय सेवाओं, स्थानीय निकायों एवं व्यावसायिक संस्थाओं में अर्हता प्राप्त आशुलिपिक तथा मुद्रलिपिक नियुक्ति हेतु उपलब्ध हो सकें इस ध्येय को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन राज्य शासन द्वारा सन् 1924 में नागपुर में संचालक लोक शिक्षण के अधीन शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद का निर्माण किया गया था। परिषद की आवश्यकता एवं उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए नवीन मध्यप्रदेश में भी इसे चालू रखा गया है।

सम्प्रति परिषद का गठन निम्नानुसार है :—

संचालक लोक शिक्षण	..	पदेन अध्यक्ष
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना)	..	स्थायी सदस्य
प्रशिक्षण अधिकारी भाषा विभाग	..	स्थायी सदस्य
वरिष्ठ अधीक्षक संचालनालय लोक शिक्षण	..	सदस्य-सचिव
भोपाल स्थित विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में कार्यरत अर्हता प्राप्त आशुलिपिकों में से दो वरिष्ठ आशुलिपिक हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्र लेखन के लिये 1 वर्ष की अवधि के लिये परिषद के अध्यक्ष द्वारा सदस्य मनोनीत किये जाते हैं।	..	सदस्य

परिषद द्वारा निम्नांकित १३ केन्द्रों पर वर्ष में चार बार अर्थात् मार्च, जून, सितम्बर व दिसम्बर में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में एक साथ व एक ही समय (1) हिन्दी शीघ्रलेखन (2) अंग्रेजी शीघ्रलेखन (3) अंग्रेजी मुद्रलेखन व (4) हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं:–

(1) रायपुर (2) जबलपुर (3) बिलासपुर (4) होशंगाबाद (5) सागर (6) जगदलपुर (7) इन्दौर (8) उज्जैन (9) ग्वालियर (10) रायगढ़ (11) छिंदवाड़ा (12) रीवा (13) भोपाल।

जबलपुर में अंग्रेजी मुद्रलेखन व रायपुर, इन्दौर, ग्वालियर व भोपाल में हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षाओं में सम्मिलित होनेवाले परीक्षार्थियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण उक्त केन्द्रों पर इन परीक्षाओं के लिये एक-एक अतिरिक्त केन्द्र की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार यथार्थ में उक्त परीक्षाएं 18 केन्द्रों पर ली जा रही हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी अथवा प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिषद द्वारा प्रत्येक केन्द्र के लिये केन्द्राध्यक्ष नियुक्त किये जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक केन्द्र पर प्रत्येक परीक्षा के लिये परिषद द्वारा शीघ्रलेखन परीक्षाओं के लिये डिक्टेटर्स तथा मुद्रलेखन परीक्षाओं के लिये मौखिक परीक्षक नियुक्त किये जाते हैं जिन्हें यात्रा व्यय व दैनिक भत्ता परिषद द्वारा दिया जाता है। परीक्षाओं को कुशलतापूर्वक सूचारू रूप से तथा शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने का दायित्व केन्द्राध्यक्ष का रहता है। केन्द्र पर कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस का समुचित प्रबन्ध किया जाता है।

मुद्रलेखन परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पत्र रहते हैं :-

अंग्रेजी मुद्रलेखन :

1. प्रश्न पत्र 1– 300 शब्दों का मुद्रलिखित पेसेज 10 मिनिटों में मुद्रित करना ।

2. प्रश्न पत्र 2– 150 शब्दों का हस्तलिखित (साइक्लोस्टाइल्ड) पेसेज 10 मिनिटों में मुद्रित करना ।

3. मौखिक परीक्षा– मुद्रलेखन यंत्र की देखरेख के बारे में प्रश्न, मुद्रलेखन यंत्र के मुख्य पुर्जों के नाम, उनका कार्य तथा मुद्रलेखन संबंधी प्रश्न ।

हिन्दी मुद्रलेखन :

1. प्रश्न पत्र 1– 250 शब्दों का मुद्रित पेसेज 10 मिनिटों में मुद्रलिखित करना ।

2. प्रश्न पत्र 2– 125 शब्दों का हस्तलिखित (साइक्लोस्टाइल्ड) पेसेज 10 मिनिटों में मुन्द्र लिखित करना ।

3. मौखिक परीक्षा–मुद्रलेखन यंत्र की देख–रेख के बारे में प्रश्न, मुद्रलेखन यंत्र के मुख्य पुर्जों के नाम, उनका कार्य तथा मुद्रलेखन सम्बन्धी प्रश्न ।

अंग्रेजी/हिन्दी मुद्रलेखन की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अंक नहीं दिये जाते अपितु त्रुटियां गिनी जाती हैं। 3% (तीन प्रतिशत) तक त्रटियां करनेवाला परीक्षार्थी उत्तीर्ण व $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक त्रुटियां करनेवाला विशेष योग्यता से उत्तीर्ण माना जाता है। मौखिक परीक्षा के लिये पांच प्रश्नों के 20 अंक रहते हैं। उत्तीर्ण होंने के लिये कम से कम 10 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। प्रथम प्रश्न पत्र / द्वितीय प्रश्न पत्र व मौखिक परीक्षा में से प्रत्येक में पृथक पृथ्थक रूप से उत्तीर्ण होने पर ही परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता ।

परीक्षा के लिये मुद्रलेखन यंत्र परीक्षार्थी को ही लाना होता है। मुद्रलेखन यंत्र देने की जिम्मेदारी परिषद की नहीं है।

शीघ्र लेखन परीक्षा :–

1. अंग्रेजी शीघ्रलेखन की परीक्षा में प्रत्येक मिनिट में 100 शब्दों के हिसाब से लगातार पांच मिनिट का आलेख रहता है। इस आलेख को लिप्यन्तरित करने के लिए 40 मिनिट दिये जाते है। हस्तलिखित लिप्यन्तरण मान्य नहीं किया जाता है।

2. हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा में प्रत्येक मिनिट में 100 शब्दों के हिसाब से लगातार पांच मिनिट का आलेख रहता है । इस आलेख को लिप्यन्तरित करने के लिए 50 मिनिट दिये जाते है । हस्तलिखित लिप्यन्तरण मान्य नहीं किया जाता है।

अंग्रजी / हिन्दी शीघ्रलेखन में आशुलेख तथा लिप्यन्तरण में मिलाकर ३० तक त्रुटियां करनेवाला परीक्षा उत्तीर्ण माना जाता है। पंक्चुएशन की त्रुटियां नहीं गिनी जाती हैं।

हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा के लिये परिषद द्वारा कोई खास की-बोर्ड वाला मुद्रलेखन यंत्र निश्चित नहीं किया गया है। परीक्षार्थी किसी भी मुद्रलेखन यंत्र का उपयोग कर सकता है। परिषद द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन के लिये कोई खास लिपि निश्चित नहीं की गई है।

परिषद के प्रारंभ होने से ही अर्थात् सन् १९२४ से प्रत्येक परीक्षा के लिये परीक्षा शुल्क सिर्फ पांच रुपये नियत है। अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के परीक्षार्थियों के लिये परीक्षा शुल्क सिर्फ तीन रुपये है। उन्हें आवेदन पत्र के साथ तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। परीक्षा शुल्क अद्यपर्यन्त वही लिया जा रहा है यद्यपि आज की स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इसमें संशोधन करना आवश्यक प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में शासन को निवेदन किया गया है।

जब १९२४ में परिषद का निर्माण किया गया था उस समय इसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं में १५-२० परीक्षार्थी सम्मिलित होते थे। शनैः शनैः परीक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि होती गई। सन् १९६० में आयोजित चार त्रैमासिक परीक्षाओं में लगभग १००० परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। १९७३ में शासन ने नवीन लिपिकों के लिये मुद्रलेखन परीक्षा उतीर्ण करना अनिवार्य कर दिया तब से परीक्षार्थियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। गत चार परीक्षाओं में (जून १९७५, दिसम्बर ७५, मार्च ७६ व जून ७६) में लगभग ३७,००० परीक्षार्थी सम्मलित हुए। यह स्वयं स्पष्ट है कि परिषद के कार्यभार में सेकड़ों गुनी वृद्धि हुई है। परिषद के पास पूर्ण कालिक अमला नहीं है। अंशकालीन कार्यकर्ताओं से कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है। परीक्षार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अतएव नवीन व अतिरिक्त केन्द्र खोलने तथा परिषद के लिये पूर्णकालिक अमला स्वीकृत करने के लिये शासन को निवेदन किया गया है।

परिषद की कार्य प्रणाली में कुछ नवीनताओं का समावेश हुआ है। एक महत्वपूर्ण नवीनता तो यह है कि सन् 1973 के पूर्व उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन केवल परिषद के सदस्यगण ही करते थे, परन्तु 1973 से परिषद द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन पद्धति अपना ली गई है। इस पद्धति के अन्तर्गत भोपाल में स्थित विभागाध्यक्ष के कार्यालयों में कार्यरत अर्हता प्राप्त विश्वसनीय व प्रामाणिक आशुलिपिकों को परीक्षाएं सम्पन्न होने के अनुवर्ती माह में द्वितीय शनिवार / रविवार को मूल्यांकन के लिये आमंत्रित किया जाता है व उक्त दो दिनों में यह कार्य पूर्ण करा लिया जाता है। मूल्यांकन कर्ताओं को मुद्रलेखन की प्रति उत्तर पुस्तिका के लिये 50 पैसे व शीघ्रलेखन की प्रति उत्तर पुस्तिका के लिये 1 रु. की दर से पारिश्रमिक दिया जाता है। इस पद्धति के अन्तर्गत मूल्यांकन न केवल त्वरापूर्वक होता है परन्तु निष्पक्ष भी रहता है।

सन् 1973 से ही टाइपिंग संस्थाओं का परिषद द्वारा पंजीकरण भी किया जाता है। यह पंजीकरण इस सीमित उद्देश्य के लिये किया जाता है कि जो संस्थाएं परिषद द्वारा विहित शुल्क 12 रुपये कोषालय में ०-77 शिक्षा-छ-सामान्य-1-अन्य प्राप्तियां शीर्षक के अन्तर्गत जमा कर चालान की प्रति सहित सचिव शीघ्रलेखन-मुद्रलेखन परीक्षा परिषद को आवेदन प्रेषित करती हैं उन्हें सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में परिषद द्वारा ली जानेवाली परीक्षाओं के परीक्षाफलों व अधिसूचनाओं की प्रति प्रेषित की जाती है।

परिषद के नियमानुसार तीन माह में कम से कम एक बार परिषद की बैठक होना अवश्यक हैं। तदनुसार परीक्षाफल तैयार होने पर परिषद की बैठक आमंत्रित की जाती है और अन्य विषयों के अतिरिक्त परीक्षाफल के लिये भी परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाता है व परीक्षाफल की प्रतियां समस्त केन्द्राध्यक्षों / समस्त पंजीकृत संस्थाओं / समस्त अनुदेशक भाषा विभाग / समस्त संभागीय शिक्षा अधीक्षकों / अधीक्षक शासकीय मुद्रणालय / संचालक सूचना विभाग / संचालक भाषा विभाग / अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना) को प्रेषित कर दी जाती है तथा सफल परीक्षार्थियों को यथाशीघ्र उनके प्रमाण-पत्र भी भेज दिये जाते हैं। जिन परीक्षार्थियों के प्रमाण-पत्र गुम जाते हैं अथवा नष्ट हो जाते है उन्हें नियमानुसार एतद्विषयक आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर परिषद द्वारा प्रमाण-पत्रों की द्वितीयक प्रतियां भी दी जाती हैं।

खण्ड – 5

बीस सूत्रीय कार्यक्रम

अध्याय--1

२० सूत्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा

1. आवश्यक चीजों की कीमतों को कम करने के लिए प्रयत्न जारी रखना, उत्पादन में वृद्धि, अनाज की वसूली और वितरण व्यवस्था में सुधार, सरकारी विभागों में फिजूलखर्ची समाप्त करना।

2. खेती योग्य भूमि की सीमा निर्धारित करने वाले कानूनों को अमल में लाना, सीमा से अधिक भूमि को भूमिहीन मजदूरों में बांटना और जमीन संबंधी कागजात दुरुस्त करना।

3. भूमिहीनों और गरीब जनता को मकान बनाने के लिए जमीन देना।

4. ठेका, मजदूर-प्रथा की समाप्ति तथा बेगार को अवैध घोषित करना।

5. ग्रामीण जनता का ऋण माफ करना। जरूरी कानूनों के जरिये भूमिहीन किसानों, छोटे किसानों और कारीगरों से ऋण की वसूली पर प्रतिबन्ध लगाना। दूसरे शब्दों में, महाजन इन वर्गों से ऋण बसूल नहीं कर सकेंगे।

6. खेती, मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को न्यूनतम वेतन प्रदान करने की व्यवस्था करना और इससे सम्बन्धित कानून पर सख्ती से अमल करना।

7. पचास लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई का प्रबन्ध करना और भूमिगत जल को उपयोग में लाना।

8. विद्युत् उत्पादन में वृद्धि करना।

9. हाथकरघा उद्योग के विकास के लिए नई योजना बनाना, जिससे बुनकरों की धागा प्राप्त करने में सहूलियत हो। मोटे कपड़े की किस्म में सुधार करना और उसके वितरण की ठीक-टीक व्यवस्था करना।

10. जनता कपड़े की किस्म और आपूर्ति में सुधार करना।

11. शहरी भूमि तथा शहरी काम में आने योग्य भूमि का समाजीकरण करना। खाली जमीन तथा नए मकानों के क्षेत्रफल की सीमा निर्धारित करना।

12. जो लोग शहरी सम्पत्ति की कीमत कम दिखाते हैं तथा करों की चोरी करते हैं, उनकी जांच के लिए विशेष दस्तों की नियुक्ति करना। आर्थिक अपराधियों पर संक्षिप्त मुकदमे (समरी ट्रायल) चलाना और उन्हें कड़ी सजायें देना।

13. तस्करों की सम्पत्ति जब्त करने के लिये कानून बनाना।

14. पूंजी नियोजन की व्यवस्था को आसान बनाना, जो लोग आयात लायसेंस का दुरुपयोग करें, उन्हें दंड देना।

15. श्रमिकों को उद्योग में भागीदारी प्रदान करने के लिए नई योजनायें और कानून बनाना ।

16. सड़क परिवहन के लिए राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था चालू करना ।

17. मध्य वर्ग को आय कर में छूट देना । अभी तक यह छूट 6 हजार रुपये आमदनी वालों को प्राप्त थी । अब वह 8 हजार रुपये वार्षिक आमदनी वालों को भी प्राप्त रहेगी ।

18. छात्रों को छात्रावासों में सभी जरूरी चीजें नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना ।

19. छात्रों को पाठ्य पुस्तकें तथा नोट बुक नियंत्रित मूल्य पर प्राप्त करना ।

20. लोगों को विशेष कर कमजोर वर्गों को रोजगार तथा प्रशिक्षण देने के लिए अप्रेंटिसशिप की नई योजनायें बनाना ।

अध्याय–2

20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन

माननीय प्रधानमंत्री महोदया द्वारा घोषित 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम में वर्णित कार्यक्रमों के संबंध में शिक्षा-विभाग द्वारा शालेय शिक्षा क्षेत्र में निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही की गई जिसका विस्तृत विवेचन आगे दिया जा रहा है :–

(1) बुक बैंकों की स्थापना ।

(2) छात्रवृत्तियां

(3) छात्रों को नियंत्रित मूल्य पर पुस्तकें, कापियां, स्टेशनरी उपलब्ध कराना ।

(4) अनुमोदित छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को नियंत्रित मूल्य पर खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री उपलब्ध कराना ।

(1) बुक बैंकों की स्थापना

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1975–76 में कक्षा 3 से 8 में अध्ययनरत हरिजन एवं आदिवासी छात्रों के लाभार्थ राज्य की विभिन्न प्राथमिक तथा माध्यमिकशालाओं में क्रमशः 43064 तथा 144 (8144) पुस्तक कोष खोले गये । राज्य शासन ने इन कोषों की स्थापना हेतु 27.77 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की । विभिन्न कक्षाओं के 4,55,329 हरिजन एवं आदिवासी छात्र इस योजना से लाभान्वित हुए । कुल क्रय की गई पुस्तकों की संख्या 23,79,179 है जिनकी कुल कीमत 32,80 728 रु. है । ये पुस्तकें पाठ्य पुस्तक निगम से क्रय की गई जिस पर निगम ने छात्रों को अधिकाधिक लाभ देने की दृष्टि से, मूल्य में कमी कर केवल 27.77 लाख रुपये ही लिया है । जिस पैमाने पर व जिस रूप में यह योजना राज्य में लागू की गई है उसे देशव्यापी समर्थन प्राप्त हुआ है । यह कहना असंगत न होगा कि इस दिशा में मध्य प्रदेश सभी राज्यों से आगे रहा है । वर्ष 1976–77 में भी यह योजना निरंतर रहेगी जिसके लिए 40.00 लाख रुपयों का प्रावधान भी किया जा चुका है ।

जिलेवार विस्तृत विवरण आगामी तालिका में दिया गया है :–

प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बुक बैंक की स्थापना

1975–76

क्रमांक	जिला	पुस्तकों की संख्या	लाभान्वित छात्रों की संख्या	मूल्य	प्राथमिक शालाओं में बुक बैंक की संख्या	माध्यमिक शालाओं में बुक बैंक की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	रायसेन	17027	355	23847.30	592	441
2	राजगढ़	831	1548	12113.65	375	93

1	2	3	4	5	6	7
3	खण्डवा	45190	11889	55817.00	612	102
4	बैतूल	55335	10998	76871.05	644	95
5	छिन्दवाड़ा	78764	17208	117389.95	1013	182
6	नरसिंहपुर	33325	5625	47896.10	526	150
7	सिवनी	51325	9411	55700.70	863	133
8	मंडला	98004	20704	142727.60	1041	176
9	बालाघाट	47090	8548	69737.45	927	169
10	सागर	61823	12406	86606.70	962	175
11	दमोह	61042	5410	85504.60	670	109
12	छतरपुर	12811	4038	18674.12	837	127
13	पन्ना	9499	2102	12247.75	512	82
14	टीकमगढ	12933	2488	18888.20	435	77
15	रायपुर	167374	34257	241586.90	2991	482
16	दुर्ग	95645	18420	130350.20	1568	361
17	बस्तर	141156	30437	186426.30	2275	322
18	राजनांदगांव	78921	12497	108040.00	1318	146
19	बिलासपुर	145000	28402	158680.05	2854	429
20	सरगुजा	91309	16630	139324.80	1120	211
21	रायगढ़	109431	35357	162756.95	1693	283
22	उज्जैन	49871	10055	74200.85	811	152
23	मन्दसौर	35311	7202	51865.35	768	202
24	रतलाम	28495	5686	40909.55	684	153

1	2			3	4	5	6	7
25	शाजापुर	..	..	20569	4267	29427.25	498	117
26	ग्वालियर	..	..	44243	9108	65854.95	760	195
27	भिण्ड	..	..	43050	8001	64513.90	799	277
28	मुरैना	..	..	47361	9394	66397.15	1305	190
29	शिवपुरी	..	..	20933	3225	2888.15	571	120
30	गुना	..	..	17297	3974	23539.85	535	94
31	दतिया	..	..	11933	2509	16326.90	365	62
32	देवास	..	..	27684	5734	40561.95	631	120
33	झाबुआ	..	..	57580	12848	80016.40	739	146
34	सतना	..	..	19749	4249	29198.15	1002	215
35	शहडोल	..	..	93965	10540	144797.00	1215	222
36	भोपाल	..	..	13976	2984	20634.30	458	103
37	सीहोर	..	..	13265	2200	19041.45	764	142
38	विदिशा	..	..	14859	3505	20276.15	597	102
39	होशंगाबाद	..	..	42646	10036	60631.10	806	181
40	जबलपुर	..	..	108091	3558	130126.48	144	299
41	इन्दौर	..	..	73767	14285	109993.30	537	238
42	धार	..	..	50190	7143	66275.65	864	209
43	खरगोन	..	..	74780	15984	104198.35	1288	291
44	रीवा	..	..	24006	2400	34331.10	860	251
45	सीधी	..	..	24244	4820	33535.00	933	15
		योग	..	2379179	455329	3280727.95	43064	8144

(2) छात्रवृत्ति

माननीय प्रधान मंत्री के बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यशासन शिक्षा विभाग द्वारा उच्चत्तर माध्यमिक शाला स्तर की कक्षाओं के 5,000 अतिरिक्त शिष्यवृत्तियों का निर्माण किया है। ये शिष्यवृत्तियां योग्यता एवं साधनहीन छात्रों के लिये लाभार्थ निर्मित की गई है। ये शिष्यवृत्तियां छात्रावासियों के लिये रु. 30 प्रति मास तथा गैर छात्रावासियों के लिए रु. 25 प्रतिमास स्वीकृत है। इन शिष्यवृत्तियों की अवधि 10 मासा है। छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रु. 3,600 से बढ़ाकर रु. 6,000 वार्षिक छात्रों को अधिकतम लाभ देने के प्रयोजन से की गई है। तदनुसार वर्ष 75–76 में 5,000 शिष्यवृत्तियां कक्षा 9 के छात्रों को स्वीकृत की गई। ये शिष्यवृत्तियां शिक्षा विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थाओं के अध्ययनरत छात्रों को स्वीकृत की गई ।

वर्ष 1976–77 में उक्त शिष्यवृत्तियों से 20 प्रतिशत अर्थात् 1,000 शिष्यवृत्तियों की कटौती कर वंटन वित्त विभाग द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग को उनकी शालाओं में स्वीकृत करने हेतु 5.05 लाख की धनराशि प्रदान की गई है। शेष 80 प्रतिशत अर्थात् 4,000 शिष्यवृत्तियों का उपयोग शिक्षा विभाग द्वारा किया जावेगा, उस पर अनुमानित 20.20 लाख का व्यय होना प्रस्तावित है।

(3) छात्रों को नियंत्रित मूल्य पर पुस्तकें, कापियां, स्टेशनरी उपलब्ध कराना

देश में बढ़ती हुई कागज की कीमत को रोकने एवं कागज की सुव्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य स्तर पर एक कागज वितरण समिति का गठन करने का निश्चय किया। भारत सरकार, खाद्य एवं सिविल पूर्ति विभाग, नई-दिल्ली के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन ने जुलाई 1974 में अभ्यासपुस्तिका एवं परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं के निर्माण हेतु राज्य स्तरीय कागज वितरण समिति का गठन किया। उसी प्रकार पाठ्य पुस्तकों का निर्माण नियंत्रित कागज से किया जाय तथा उनके मूल्य का निर्धारण हो, इस उद्देश्य से एक अन्य समिति का गठन माह दिसम्बर 1974 में किया गया जो कि राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक कागज वितरण समिति मध्यप्रदेश के नाम से जानी जाती है।

ये दोनों समितियां समूचे मध्य प्रदेश में अभ्यास। पाठ्य। परीक्षा उत्तर पुस्तकों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से प्रदत्त कागज का वितरण कापी निर्माता संघ परीक्षा संस्थाओं तथा विभिन्न निजी प्रकाशकों को करती है। केन्द्र सरकार से विभिन्न प्रयोजन हेतु प्राप्त कागज का विवरण निम्नानुसार है :–

विवरण	अभ्यास पुस्तिका	पाठ्य पुस्तिका	परीक्षा पुस्तिका	योग (मिट्रिकटन)
1	2	3	4	5
1. संयुक्त समिति से प्राप्त आवंटन	7780	3460	1492	12,732
2. राज्य स्तरीय कागज समिति के वितरित कुल वंटन	7780	3460	507	11,747

राज्य स्तरीय कागज वितरण समिति। मध्य प्रदेश एवं राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक कागज वितरण समिति मध्यप्रदेश द्वारा अभ्यास।पाठ्य। पुस्तिकाओं के मूल्यों का निर्धारण किया गया है।

(अ) अभ्यास पुस्तिका :—

जून 1974 से जून 1976 तक 8300 टन कागज अभ्यास पुस्तिकाओं के लिए राज्य को आवंटित हुआ है जिसमें से 6835 टन कागज विभिन्न अभ्यास पुस्तिका निर्माता संघों को आवंटित किया जा चुका है। 200 टन कागज मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की मांग की पूर्ति हेतु पाठ्य पुस्तकों के लिए परिवर्तित कर दिया गया है। अभ्यास पुस्तिकाओं के मूल्यों का निर्धारण समिति द्वारा किया गया है एवं अभ्यास पुस्तिकाओं के मूल्यों संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :—

क्रमांक	अभ्यास पुस्तिका का प्रकार	आकार	निर्धारित मूल्य
1	2	3	4
1.	कवर अभ्यास पुस्तिका	48 पृष्ठ	0.25 पैसे
2.	कवर अभ्यास पुस्तिका	80 पृष्ठ	0.40 पैसे
3.	अजिल्द अभ्यास पुस्तिका	96 पृष्ठ	0.50 पैसे
4.	सजिल्द अभ्यास पुस्तिका	96 पृष्ठ	0.65 पैसे
5.	मोटे आकार की आधी जिल्द वाली अभ्यास पुस्तिका ..	120 पृष्ठ	0.65 पैसे
6.	सजिल्द अभ्यास पुस्तिका	144 पृष्ठ	0.80 पैसे
7.	सजिल्द अभ्यास पुस्तिका	192 पृष्ठ	1.15 पैसे
8.	सजिल्द अभ्यास पुस्तिका	240 पृष्ठ	1.30 पैसे
9.	कालेज अभ्यास पुस्तिका (फुल साइज पतले कवर की पुस्तिका) ..	72 पृष्ठ	0.75 पैसे
10.	कालेज (फुल साइज) मोटे कवर की अभ्यास पुस्तिका ..	80 पृष्ठ	0.85 पैसे
11.	मोटे कवर की प्रयोगिक अभ्यास पुस्तिका ..	56 पृष्ठ	0.65 पैसे
12.	सजिल्द प्रयोगिक अभ्यास पुस्तिका	80 पृष्ठ	1.30 पैसे
13.	सजिल्द प्रयोगिक अभ्यास पुस्तिका	116 पृष्ठ	1.50 पैसे

(ब) पाठ्य पुस्तकें :—

पाठ्य पुस्तकों के मूल्यों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है :—

	डेमी साइज	क्राउन साइज
कुल पुस्तिकायें ..	रु 2.25 प्रति पेज	रु 1.70 प्रति पेज
विज्ञान पुस्तिकायें ..	रु. 2.75 प्रति पेज	रु. 2.5 प्रति पेज

पाठ्य पुस्तकें मुख्यतः पाठ्य पुस्तक निगम तथा माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर की कुछेक अनुशंसित पुस्तकें निजी प्रकाशकों द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। कुछ इनीगिनी महाविद्यालयीन स्तर की पुस्तकें विश्वविद्यालयों द्वारा भी प्रकाशित की जाती हैं।

पाठ्य पुस्तक निगम "न लाभ न हानि" आधार पर पुस्तकें प्रदाय करता है अतः उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के लक्ष्य की स्वतः पूर्ति हो जाती है। शेष के संबंध में कागज वंटित करते समय उन्हें उक्त निर्धारित मूल्य का पालन करने के लिए निर्देशित कर दिया जाता है।

जून 1974 से जून 1976 तक पाठ्य पुस्तकों के लिए राज्य को 3260 टन कागज आवंटित किया गया। ऊपर बताए अनुसार 200 टन कागज अभ्यास पुस्तिकाओं के कोटा में से भी दिया गया। इस प्रकार 3460 टन कागज निम्नांकित विवरणानुसार वंटित किया गया:–

माध्यमिक शिक्षा मंडल	..	458 टन
म. प्र. पाठ्य पुस्तक निगम	..	1,851 टन
विश्वविद्यालय	..	180 टन
निजी प्रकाशक	..	930 टन
अन्य	..	38 टन
	योग ..	3,460 टन

(३) परीक्षा पुस्तिकायें.—

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर परीक्षाओं का संचालन क्रमशः जिला स्तरीय मंडल तथा संभागीय मंडलों द्वारा किया जाता है। उच्चतर माध्यमिक स्तर का परीक्षा संचालन माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा महाविद्यालयीन स्तर की परीक्षाओं का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। जून 1974 से मार्च 1976 तक 892 टन कागज इस कार्य हेतु राज्य को प्राप्त हुआ जिसमें से 490 टन कागज उपरोक्त मंडलो एवं विश्वविद्यालयों को वंटित किया गया।

(४) छात्रावासों में नियंत्रित दरों पर आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति

राज्य में शालेय शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षा संस्थाओं में कुल 685 छात्रावास है जिनमें 16999 विद्यार्थी निवास कर रहे हैं। इन छात्रावासों में से 664 छात्रावासों में नियंत्रित दरों पर खाद्य सामग्री प्रदाय की व्यवस्था है, जिससे 16,731 छात्र लाभान्वित हुए। प्रत्येक छात्रावास में छात्रों के लिए राशन कार्ड बनाये गए।

खण्ड –6

शिक्षा प्रशासन

अध्याय-1

शिक्षा प्रशासन

संचालनालय पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा क प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण, निरीक्षण एवं प्रशासन को नियंत्रित करता है एवं सचिवालयीन स्तर पर शिक्षा विभाग से प्राप्त आदेशों एवं निर्देशों का क्रियान्वयन करता है व राज्य के अन्य विभागों से संतुलित समन्वित प्रशासन बनाए रखने में कार्यरत रहता है।

संचालनालय का कार्यालयीन प्रशासन:

संचालनालय में संचालक के अतिरिक्त निम्नलिखित राजपत्रित पद स्वीकृत हैं:-

1.	अतिरिक्त संचालक	2
2.	संयुक्त संचालक	3
3.	उप संचालक	7
4.	विज्ञान परामर्शदाता	1
5	मुख्य ग्रंथपाल	1
6.	सहायक संचालक	13
7.	संपादक	2
8.	कार्टोग्राफर	1
9.	लेखाधिकारी	1
10.	सहायक लेखाधिकारी	1

प्रशासन की दृष्टि से संचालनालय के कार्य को 22 प्रमुख कक्षों में बांटा गया है। प्रत्येक कक्ष का प्रभारी सहायक अधीक्षक होता है। प्रत्येक कक्ष में सहायक अधीक्षक के नियंत्रण में सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक तथा निम्न श्रेणी लिपिक आवश्यकतानुसार स्वीकृत है। लेखा विभाग में गणक, वरिष्ठ तथा कनिष्ठ लेखा परीक्षक के पद भी स्वीकृत हैं।

संचालनालय में कार्यप्रणाली सचिवालय की कार्यप्रणाली के अनुरुप ही है।

शालेय स्तर पर प्राचार्य व माध्यमिक शालाओं के निरीक्षण के लिए सहायक शाला निरीक्षकों के अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक शालाओं के अध्यापकों के निरीक्षण हेतु कोई पृथक व्यवस्था अब तक नहीं हो पायी थी जिससे इन विद्यालयों का निरीक्षण कार्य व्यवस्थित नहीं था, इसके अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में लेखा का कार्य बड़ी दयनीय स्थिति से चल रहा था। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा शालेय शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने का निश्चय किया गया तद्नुसार भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें शिक्षा संभागों की कुल संख्या 23 व शिक्षा जिलों की कुल संख्या 101 निर्धारित करते हुए शिक्षकों के वेतन वितरण करने हेतु 212 केन्द्रों की स्थापना की अनुशंसा की है। राज्य शासन द्वारा उपर्युक्त अनुशंसायें स्वीकृत करते हुए पूरे कार्यक्रम को तीन चरणों में प्रभावशील करने का निश्चय किया गया है, जिसमें से प्रथम चरण में दो नवीन शिक्षा संभागों व 9 नवीन शिक्षा जिलों की स्थापना वर्ष 1976-77 से की गई है।

शिक्षा संभाग :

रचना क्रम के प्रथम चरण में स्वीकृत नवीन दो संभागों का उदय पूर्व के रायपुर तथा बिलासपुर संभागों को विभक्त कर हुआ है। इस प्रकार दो अतिरिक्त संभागों (1) दुर्ग एवं (2) सरगुजा मिलाकर राज्य के शिक्षा संभाग दस से बढ़कर बारह हो गए है।

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय तथा उसी स्तर की अन्य संस्थाओं को छोड़कर शेष सभी शासकीय संस्थाओं, कार्यालयों तथा कर्मचारियों के नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं प्रशासन के लिए तथा संभागान्तर्गत अन्य मान्यता प्राप्त अथवा अन्य अशासकीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण के लिए संभागीय शिक्षा अधीक्षक उत्तरदायी होता है।

नवीन रचनाक्रम के अन्तर्गत शिक्षा अधीक्षक की सहायता के लिए प्रत्येक संभाग में निम्नानुसार अधिकारी स्वीकृत हैं:—

1.	उप संभागीय शिक्षण अधीक्षक	..	3
2.	निरीक्षक (विषय)	..	3
3.	योजनाधिकारी	..	1
4.	संभागीय क्रीड़ा निरीक्षक	..	1
5.	लेखाधिकारी	..	1

जिला शिक्षा प्रशासन :

शासन से प्राप्त नवीन रचनाक्रम के प्रथम चरण के अन्तर्गत राज्य के शिक्षा जिलों की संख्या 45 से बढ़ाकर 54 कर दी है। रायपुर एवं बिलासपुर संभाग में 9 अतिरिक्त जिलों का निर्माण हुआ है। प्रत्येक नवीन संभागों में जिलों का विवरण निम्नानुसार है:—

(1) जिला रायपुर	.. ..	दो भागों में	(1) रायपुर (2) महासमुन्द
(2) जिला दुर्ग	.. ..	दो भागों में	(1) दुर्ग (2) बालोद
(3) जिला राजनांदगांव	.. ..	दो भागों में	(1) राजनांदगांव (2) कवर्धा
(4) जिला बस्तर	.. ..	दो भागों में	(1) जगदलपुर (2) कांकेर
(5) जिला बिलासपुर	.. ..	दो भागों में	(1) बिलासपुर (2) जांजगीर
(6) जिला रायगढ़	.. ..	दो भागों में	(1) रायगढ (2) धर्मजयगढ़
(7) जिला सरगुजा	.. ..	चार भागों में	(1) सरगुजा (2) बैकुंठपुर (3) सूरजपुर (4) रामानुजगंज

प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत है यह जिले में माध्यमिक स्तर (मिडिल) तक की शिक्षा का पूर्ण प्रशासनिक प्रभारी है तथा नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। शिक्षा अधिकारी संबंधित संभागीय शिक्षा अधीक्षक के सीधे नियंत्रण में कार्यरत रहता है। शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु नवीन रचनाक्रम में एक लेखाधिकारी स्वीकृत किया गया है जो लेखा तथा अन्य वित्तीय प्रकरणों में पूर्ण रूप से सहयोग करेगा।

अगले पृष्ठों में शिक्षा प्रशासन संबंधी तालिकाओं में कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी दी गई है।

अध्याय-2

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या तथा उनके वेतनमान

वर्ग	स्वीकृत पद
प्रथम श्रेणी	85
द्वितीय श्रणी	1,510
तृतीय श्रेणी	1,76,641
चतुर्थ श्रेणी	6,097
योग	1,84,333

प्रथम श्रेणी अधिकारी (प्रशासनिक)

क्रमांक	पद	पदों की संख्या	वेतनमान	विशेष विवरण
11	2	3	4	5
1	संचालक लोक शिक्षण	1	1500–75–1800–100–2000	विभागीय पदाधिकारी । आय. ए. एस. अधिकारी के लिये उनके वेतनमान के अनुसार
2	अतिरिक्त संचालक ..	2	1250–50–1500–75–1800 ..	
3	संयुक्त संचालक ..	3	1100–50–1500	
4	उप संचालक ..	7	680–40–800–50–1000–ई. बी.– –50–1150	
5	विज्ञान परामर्शदाता ..	1	„ „	
6	संभागीय शिक्षा अधीक्षक	12	„ „	
7	मुख्य ग्रंथपाल ..	1	500–30–680–40–800–ई. बी. 50–1150	
	योग ..	27		

प्रथम श्रेणी अधिकारी (शैक्षणिक)

क्रमांक	पद	पदों की संख्या	वेतनमान	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	संचालक राज्य शिक्षा संस्थान भोपाल	1	1100–50–1500	
2	संचालक, आंग्लभाषा भोपाल	1	1100–50–1500	
3	संचालक, विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर	1	1100–50–1500	
4	प्राचार्य, शिक्षा दर्शन एवं मनोविज्ञान	1	1100–50–1500	
5	प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय	10	1100–50–1500	
6	उप प्राचार्य	1	680–40–800–50–1000–ई. बी.–50––1150	
7	प्राध्यापक ..	40	,, ,, ,,	
8	अधीक्षक सुधारालय सिवनी	1	,, ,, ,,	
9	मास्टर आफ मेथड्स	1	,, ,, ,,	
10	योग विभागाध्यक्ष ..	1	500 रुपये निश्चित वेतन	
	योग	58		
	कुल योग प्रथम श्रेणी	85		

टीप :—क्रमांक 5 में दर्शाये प्राचार्य शिक्षा महाविद्यालयों जिनमें एम. एड. कक्षायें हैं वे रु. 1100—1500 वेतन श्रेणी में कार्यरत है तथा शेष 950—1350 के अन्तर्गत है।

द्वितीय श्रेणी अधिकारी (प्रशासनिक)

क्रमांक	पद	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	सहायक संचालक	13	500-30-680-ई. बी.-40-800-50-900
2.	उप संभागीय शिक्षा अधीक्षक	26	,,
3.	सहायक संभागीय शिक्षा अधीक्षक	10	425-25-500-30-680-ई. बी.-40-800-50-900
4.	जिला शिक्षा अधिकारी	54	,,
5.	वित्त अधिकारी	1	425-25-500-30-680-ई. बी.-40-800-50-1050
6.	सांख्यिक	1	425-25-500-30-680-ई. बी.-40-800-50-900
7.	लेखाधिकारी	55	,,
8.	सहायक लेखाधिकारी	1	400-25-500-30-590-ई. बी.-30-680-40-720
9.	कार्टोग्राफर	1	,,
10.	संपादक	2	,,
11.	सहायक सांख्यिक एवं योजनाधिकारी	12	,,
12.	संभागीय क्रीड़ा निरीक्षक	12	,,
13.	निरीक्षक (विषय)	6	,,
	योग ..	194	

द्वितीय श्रेणी अधिकारी (शैक्षणिक)

क्रमांक	पद	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	सहायक प्राध्यापक	84	500-30-680-ई. बी.-40-800-50-900
2.	जूनियर मास्टर आफ मेथड्स	4	,,
3.	समन्वयक	6	,,
4.	प्राचार्य, प्रशिक्षण संस्थायें	46	425-25-500-30-680-ई. बी.-40-800-50-900
5.	प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	1080	425–25–500–30–680–ई.बी.40–800–50–900
6.	अधीक्षक, जीवाजी वेधशाला, उज्जैन	1	,,
7.	उप अधीक्षक, सुधारालय, सिवनी	1	,,
8.	सहायक अधीक्षक, सुधारालय, सिवनी	1	,,
9.	प्राचार्य, संस्कृत विद्यालय	5	400–25–400–30–680–ई. बी. 40–800
10.	व्याख्याता	75	,,
11.	कर्मशाला अधीक्षक	1	,,
12.	भौतिकी शिक्षक	1	,,
13.	विज्ञान मंदिर अधिकारी	2	,,
14.	सलाहकार	4	,,
15.	क्षेत्रीय ग्रंथपाल	5	400–25–500–30–590–ई. बी. 30–680–40–720
	योग ..	1316	
	कुल योग द्वितीय श्रेणी ..	1510	

तृतीय श्रेणी कर्मचारी (लिपिक वर्ग)

क्रमांक	पद	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	अधीक्षक	7	400–20–500–25–675
2.	सहायक लाइजन अधिकारी	1	350–12½–400–20–500–ई. बी 25–600
3.	गणक	1	,,
4.	सीनियर सुपरवाइजर	1	320–10–350–12½–400–20–480
5.	सहायक अधीक्षक	26	280–10–350–12½–400 ई. बी. 20–480
6.	सांख्यिकीय सहायक	7	,,
7.	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	84	280–10–350–12-1/2- 400–ई.बी.–20–480
8.	क्रीड़ा एवं वेलफेयर निरीक्षक	54	,,
9.	योजना सहायक	54	,,
10.	स्टेनोग्राफर	26	,,
			280–10–350–12/12–400–ई.बी 20–480
			220–5–240–6–270–10–300–ई. बी. 10–350–12-1/2–375
11.	ग्रंथपाल	208	280–10–350–12-1/2–400– ई. बी. 20–480
			220–5–240–6–270–10–300 ई. बी. 10–350–12-1/2–375
12.	मुख्य लिपिक	67	246–6–270–10–350–ई.बी.–12-1/2–400–20–460
			220–5–240–6–270–10–300 ई. बी. 10–350–12-1/2–375
13.	गणक	500	246–6–270–10–350–ई. बी. 12-1/2–400–20–460––
			220–5–240–6–270–10–300–ई.बी.–10–350–12-1/2–375
14.	केशियर	1	205–5–240–6–270– ई. बी- –10–350–12-1/2–375
			246–6–270–10–350–ई.बी.–12-1/2–400–20–460
15.	आर्टिस्ट	1	,,
16.	सहायक	39	,,
17.	स्टोर कीपर	2	169–4–185–5–240–ई.बी.–6–270–10–300

NIEPA DC
D00328

1	2	3	4
118.	सुपरवाइजर	11	246–6–270–10–350–ई. बी. –$12\frac{1}{2}$–400–20–460 220–5–240–6–270–10–300– ई. बी. –10–350–$12\frac{1}{2}$–375.
119.	कनिष्ट लेखा परीक्षक	79	205–5–240–6–270–ई.बी.–10–350–$12\frac{1}{2}$–375 195–5–240–6–252– ई. बी. –6–270–10–330
210.	सहायक ग्रंथपाल	1	195–5–240–6–252–ई. बी.–6–270–10–330
211.	उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग 2	1763	,,
212.	स्टेनो टाइपिस्ट	11	169–4–185–5–240– ई. बी. –6–270–10–300 +40 रु. विशेष वेतन
213.	निम्न श्रेणी लिपिक	1690	169–4–185–5–240–ई. बी. –6-270-10–300
214.	बुक लिफ्टर एवं केटलागर	16	155–$2\frac{1}{2}$–160–4–180– ई. बी. –5–240-6-252
215.	चालक	6	,,
216.	कारपेन्टर	1	139–2–145–$2\frac{1}{2}$–160–4–180–5–200
217.	पार्टटाइम गणक	6	30 रु. प्रतिमाह
	योग.-	4663	

तृतीय श्रेणी कर्मचारी (शिक्षक वर्ग)

क्रमांक	पद	पदों की संख्या	वेतनमान
11	2	3	4
11.	व्याख्याता	7876	350–$12\frac{1}{2}$–400–20–500–ई. बी.–25–600
22.	केरियर मास्टर	81	,,
33.	सहायक विज्ञान मंदिर अधिकारी	2	,,
41.	समन्वयक	6	,,
51.	सहायक जिला शिक्षा अधिकारी	36	375–$12\frac{1}{2}$–460–20–500–25–575
61.	उप–जिला शिक्षा अधिकारी	2	,,

1	2	3	4
7.	व्यायाम निर्देशक	732	280–10–350–12½–400-ई.बी.–20–480
			220–5–240–6–270–10–300–ई.बी.–10 350–12½–375
			195–5–240–6–252-ई.बी.-6–270–10–330
8.	कृषि शिक्षक	1	280–10–350–12½–400–ई.बी.–20–480
			,,
9.	निर्देशक	22	205-5-240-6-270-ई.बी.-10–350-12½-375
10.	प्राचार्य	1	280–10–350–I 2½–400–ई. बी.-20–480
			,,
11.	सहायक जिला शाला निरीक्षक	1101	246–6-270–10–350–ई.बी.–12½–400–20 460
12.	उच्च श्रेणी शिक्षक	9074	,,
13.	प्रधानाध्यापक, मा. शाला	4910	246–6–270–10–350–ई.बी.–12½–400–20–460+रुपये 50 विशेष वेतन
14.	उद्योग शिक्षक	1517	246–6–270–10–350–ई. बी.–12½–400–20–460
15.	योग निर्देशक	5	,,
16.	वार्डन	1	246–6–270–10–350–ई. बी. –12½–400–20–460
17.	संगीत शिक्षक	201	169–4–165–5–240–ई. बी. –6–270–10–300
18.	व्यावसायिक शिक्षक	11	,,
19.	सहायक अटेन्डेन्स अधिकारी	4	195–5–240–6–252–ई. बी. –6–270–10–330
20.	आर्गनाइजर	2	,,
21.	एड्स	3	,,
22.	अधीक्षक	1	,,
23.	सिलाई शिक्षक	1	,,
24.	अटेन्डेन्ट सहायक	1	,,
25.	कनिष्ठ निर्देशक	362	,,
26.	प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला	16729	169–4–185–5–240–ई. बी.–6–270–10–300 +रुपये 25 विशेष वेतन
27.	निम्न श्रेणी शिक्षक	1,17,715	,,
28.	तबला शिक्षक	169	,,
29.	लेब मेकेनिक	1	,,
30.	बागवानी निर्देशक	1	,,
31.	सहायक अधीक्षक	1	,,
32.	चालक	40	155–2½–160–4–180–ई.बी.–5–240–6–252

1	2	3	4
33.	कम्पाउन्डर	2	169–4–185–5–240–ई.वी.–6–270–10–300 155–2½–160–4–180–ई.बी.–5–240–6–252
34.	नर्स	15	,,
35.	प्रयोग शाला सहायक	1334	169–4–185–5–240–ई.बी.–6–270–10–300 155–2½–160–4–180–ई.बी.–5–240–6–252
36.	आपरेटर्स	2	155–2½–160–4–180–ई.बी.–5–240–6–252
37.	कारपेन्टर	7	,,
38.	पाक शाला निर्देशक	1	,,
39.	टीककला निर्देशक	1	,,
40.	ओब्जरवर	2	155–2½–160–4–180–ई.बी.–5–240–6–252
41.	केलक्यूलेटर	1	,,
42.	कम्पूटर्स	2	,,
43.	मुख्य प्रहरी	1	,,
44.	जनरल मेकनिक	1	80–130 (ओल्ड)
45.	शिक्षक एवं ट्रेनीज	10,000	100 निश्चित
	योग:—	1,71,978	
	कुल योग (तृतीय श्रेणी)..	1,76,641	

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	अटेन्डेन्ट	19	155-2 1/2-160-4-180-इ. बी.-5-240-6-252 / 131-2-145-2 1/2-160-4-172
2.	गैस प्लाट मैकेनिक	1	155-2 1/2-160-4-180-इ. बी.-5-240-6-252
3.	लायब्रेरी अटेन्डेन्ट	41	"
4.	लेब अटेन्डेन्ट	3	139-2-145-2 1/2-160-4-180-5-200 / 131-2-145-2 1/2-160-4-164
5.	कृषि अटेन्डेन्ट	42	131-2-145-2 1/2-160-4-172
6.	दफ्तरी	78	131-2-145-2 1/2-160-4-164
7.	भृत्य	5855	125-2-145-2 1/2-154
8.	फराशं	17	"
9.	चौकीदार	12	दो पद कान्टिजैन्सी में स्वीकृत है। जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित वेतन दिया जावेगा।
10.	क्लिनर एवं कंडक्टर	28	
11.	जमादार	1	
	योग: ..	6097	

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,SriAurbindo Marg.NewDelhi-110016
DOC. No....328.........
Date......30/7/82....

शाप्रा-मुई-५५४-२०००-१-७७